



नूतन क्षितिज

सोलहवां संस्करण



प्रजातंत्र तथा भारत की विविधता में निहित एकता विशेषांक



कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा II)
पश्चिम बंगाल, कोलकाता – 700064

पत्रिका परिवार



अधिकारियों के क्रम: श्री अनादि मिश्र, प्रधान महालेखाकार महोदय (बाएं से तृतीय), श्री पवन कुमार कौंडा, वरिष्ठ उपमहालेखाकार महोदय (बाएं से चतुर्थ), श्री एम. सतीश, उपमहालेखाकार महोदय (बाएं से द्वितीय), श्री शिशिर कुमार श्रीवास्तव, उपमहालेखाकार महोदय (बाएं से प्रथम), श्री सुप्रिय खां, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (बाएं से पंचम) तथा श्री वसीम मिन्हास, हिन्दी अधिकारी (बाएं से षष्ठ)

संरक्षक
श्री अनादि मिश्र
प्रधान महालेखाकार

संपादक
श्री सुप्रिय खां
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

सह संपादक
श्री वसीम मिन्हास
हिन्दी अधिकारी

सहयोगी संपादक मंडल
श्री राजीव दास
वरिष्ठ अनुवादक
श्री राजा साव
वरिष्ठ अनुवादक
श्री अमित कुमार साह
कनिष्ठ अनुवादक
सुश्री सुमन कुमारी
कनिष्ठ अनुवादक
श्री सोनू कुमार
कनिष्ठ अनुवादक

नूतन क्षितिज



स्वत्वाधिकार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल

प्रकाशन

नूतन क्षितिज (हिंदी पत्रिका)

वर्ष

2024

अंक

सोलहवां

मुख पृष्ठ

प्रजातंत्र एवं भारत की विविधता में निहित एकता

मूल्य

राजभाषा के प्रति निष्ठा

प्रकाशक

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा - II), प. बं.
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, तृतीय बहुतलीय कार्यालय भवन, पाँचवा तल,
सॉल्ट लेक, कोलकाता - 700064





हिन्दी पत्राचार के माध्यम से उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु नराकास (कार्यालय 4), कोलकाता द्वारा द्वितीय पुरस्कार ग्रहण करते प्रधान महालेखाकार महोदय



प्रधान महालेखाकार का संदेश



मुझे यह जानकर अति प्रसन्नता हो रही है कि कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय), पश्चिम बंगाल की हिंदी गृह पत्रिका 'नूतन क्षितिज' के 16 वें अंक का प्रकाशन हो रहा है। राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में विभागीय पत्रिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं तथा कार्यालय में होने वाली विभिन्न सांस्कृतिक/खेलकूद गतिविधियों से अवगत कराती हैं।

राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के प्रति समर्पित होते हुए हम सब का संवैधानिक दायित्व है कि हम अपना आधिकारिक कार्य अधिक से अधिक हिंदी में करें। हिंदी एक समृद्ध एवं सशक्त भाषा है। इसमें कार्य करके हमें गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। हमें सरल, सहज एवं सुगम हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए।

इस वर्ष पत्रिका का मुख्य विषयवस्तु "भारत की विविधता में निहित एकता तथा प्रजातन्त्र" है। पत्रिका का यह विशेषांक भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तथा जीवंत प्रजातन्त्र की झांकी प्रस्तुत करने का एक विनम्र प्रयास है। विविधता में एकता भारतवर्ष की सबसे बड़ी शक्ति है जो हमारे प्रजातन्त्र को एक नया आयाम प्रदान करती है। पिछले 77 वर्ष से हमारे देश ने विश्व में प्रजातंत्र के एक मजबूत स्तंभ के रूप में अपनी जगह बनाई है तथा हमें पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी इस विषय में अपनी वैभवशाली गरिमामयी स्थिति को सहेजकर रखेंगे।

पत्रिका के संपादकीय मंडल, रचनाकारों एवं पत्रिका के सफल प्रकाशन में भूमिका निभाने वाले सभी कर्मियों को मैं बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूँ।

अनादि मिश्र

(अनादि मिश्र)

प्रधान महालेखाकार



मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), प.बं. विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अपनी वार्षिक हिंदी गृह-पत्रिका नूतन क्षितिज के 16 वें अंक का प्रकाशन कर रहा है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अखंड भारत में एकता का मार्ग केवल हिंदी के माध्यम से ही ज्यादा सशक्त और प्रशस्त हो सकता है तभी तो बंगाल के समाज सुधारकों जैसे राजा राममोहन राय और केशवचंद्र सेन ने अपने विचारों के प्रचार के लिए हिंदी को अपनाया। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने गुजराती होते हुए भी राष्ट्रीयता और समाज सुधार की अपनी भाव-धारा को हिंदी के द्वारा ही समूचे देश में फैलाया। उनके यह विचार वास्तव में हिंदी भाषा की व्यापकता का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं।

मैं पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हार्दिक बधाई देता हूँ तथा आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इस प्रकार के रूचिकर एवं ज्ञानवर्धक अंक नियमित रूप से प्रकाशित होते रहेंगे।

पवन

(पवन कुमार कोंडा)
वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन



राजभाषा हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी पत्रिका प्रकाशन एक सशक्त माध्यम है। इसी क्रम में इस कार्यालय द्वारा नूतन क्षितिज पत्रिका के 16 वें अंक का प्रकाशन किया जा रहा है, जो सराहनीय है। हिंदी राजभाषा होने के साथ-साथ संपर्क भाषा के रूप में देश के नागरिकों को जोड़ने का कार्य भी करती है। हिंदी गृह पत्रिकाएं कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विविध विषयों पर अपने ज्ञान तथा अनुभवों को सृजनात्मक रूप में अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करती हैं।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि पत्रिका का यह अंक भी अन्य अंकों की भांति कार्यालय में सरकारी कामकाज हिंदी में करने हेतु एक उत्साहवर्धक वातावरण निर्मित करेगा।

मैं संपादक मण्डल तथा सभी रचनाकारों को बधाई देता हूँ तथा पत्रिका के निरंतर प्रकाशन की कामना करता हूँ।

सतीश

(सतीश एम.)
उप महालेखाकार/ए.एम.जी.॥

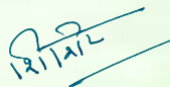
सत्यमेव जयते
संदेश



यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), प.बं. की वार्षिक हिंदी गृह पत्रिका नूतन क्षितिज के 16 वें अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। भाषा ही वह माध्यम है जिससे कोई भी समाज अपनी विरासत, ज्ञान, संस्कृति और संस्कार भावी पीढ़ियों तक पहुंचाता है और एक दूसरे के साथ जुड़ता है। हमारा देश विभिन्न भाषाओं और सांस्कृतिक विविधता से समृद्ध है। राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्ति के साथ ही हिंदी के दायित्वों में भी वृद्धि हो गई है।

हिंदी मात्र संवाद की भाषा नहीं है बल्कि देश के जन-मानस तक भारत सरकार की नीतियों, जन उपयोगी योजनाओं, वैज्ञानिक तथा तकनीकी जानकारी को सुगमतापूर्वक पहुंचाने का सशक्त माध्यम भी है। हिंदी पत्रिकाओं के प्रकाशन के माध्यम से सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकतम प्रयोग प्रोत्साहित होने के साथ-साथ, कला, विज्ञान आदि क्षेत्रों की विभिन्न जानकारियां भी सरल और सुबोधगम्य तरीके से पाठकों तक पहुंच रही हैं।

मैं इस पत्रिका से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हार्दिक बधाई देता हूँ तथा पत्रिका के इस अंक के सफल प्रकाशन की कामना करता हूँ।



(शिशिर कुमार श्रीवास्तव)
उप महालेखाकार/ए.एम.जी.।।



संपादक की कलम से कार्यालय की हिंदी गृह पत्रिका "नूतन क्षितिज" का 16 वाँ अंक आपके समक्ष सहर्ष प्रस्तुत है। राजभाषा हिंदी में पत्रिकाओं के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य हिंदी के प्रति रूचि तथा राजभाषा का व्यापक प्रचार प्रसार करना है हिंदी भारत की राजभाषा होने के साथ साथ संपर्क भाषा भी है। हिंदी केवल भारत तक ही सीमित नहीं है अपितु धीरे धीरे वह विश्व पटल पर भी अपना स्थान बना रही है। राजभाषा हिन्दी हमारे देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं संस्कृति के प्रभाव को दर्शाता है। हिंदी भाषा में भारतीय संस्कृति के विभिन्न तत्वों को आत्मसात करने की अद्भुत शक्ति है। हिंदी का अधिकाधिक उपयोग कार्यालयीन कार्यों में करना और हिंदी भाषा का सम्मान करना हम सभी की संवैधानिक जिम्मेदारी है।

मुझे आशा है कि इस अंक में प्रकाशित किए जा रहे लेख, रचनाएं सभी पाठकों को पसंद आएंगे तथा मैं सभी कार्मिकों का सहर्ष अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से पत्रिका में अमूल्य योगदान दिया। साथ ही पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य की कामना सहित पत्रिका के सफल संपादन हेतु संपादक मंडल, सभी पाठकों एवं रचनाकारों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

सुप्रिय खां
(सुप्रिय खां)
संपादक

आपके पत्र



सत्यमेव जयते

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा,
प्लॉट नं. 5, सेक्टर 33-बी,
दक्षिण मार्ग, चण्डीगढ़-160 020
OFFICE OF THE PR. ACCOUNTANT
GENERAL (AUDIT), HARYANA
PLOT NO.5, SECTOR 33-B,
DAKSHIN MARG, CHANDIGARH-160 020



सत्यमेव जयते

संख्या/No.: हिंदी कक्षा/पत्रिका/नूतन क्षितिज/प्रतिष्ठित/2023-24/ 1/P/1 दिनांक/Dated: 12.10.2023

सेवा में,

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) पश्चिम बंगाल
तीसरा एम.एस.ओ. बिल्डिंग (पांचघां तल),
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, डी.एफ. ब्लॉक,
कोलकाता - 700064

विषय: हिन्दी पत्रिका 'नूतन क्षितिज' के 15वें अंक के प्रेषण के संबंध में।

महोदय/महोदया,

पत्र सं. हिन्दी कक्षा/पत्रिका/66 दिनांक 10.10.2023 के द्वारा आपके कार्यालय की वार्षिक पत्रिका 'नूतन क्षितिज' के 15वें संस्करण की ई-प्रति प्राप्त हुई है। एतदर्थ धन्यवाद। पत्रिका में समाहित सभी रचनाएं उच्च कोटि की हैं। पत्रिका का जारी सशक्तिकरण पर विशेषांक काफी सराहनीय है। उत्तम संयोजन एवं संपादन के लिए संपादक मंडल बधाई के पात्र हैं।

पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

भवदीय,

हिंदी अधिकारी

सं.मले.(लेप-II.)/हि.अ./7-38/ प्रशंसा पत्र /2023-24/ दिनांक: 12.10.2023.

सेवा में,
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (हिंदी कक्षा),
महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल का कार्यालय,
कोलकाता- 700 064.

विषय: हिंदी ई-पत्रिका 'नूतन क्षितिज' के 15वें अंक का प्रशंसा पत्र।

महोदय,

आपके कार्यालय से प्रकाशित हिंदी ई-पत्रिका 'नूतन क्षितिज' के 15 वें अंक की प्रति प्राप्त हुई। धन्यवाद।

पत्रिका के इस महिला सशक्तिकरण विशेषांक पठनीय, उत्कृष्ट एवं प्रशंसनीय है। पत्रिका के के आवरण पृष्ठ में छपी हिंदी के महान साहित्यकार श्री.जयशंकर प्रसादजी की कविता की पंक्तियां इस विशेषांक के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। इस विशेषांक के सफल प्रकाशन के पीछे कार्यरत सभी अधिकारी एवं कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। राजभाषा के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने हेतु आपके कार्यालय द्वारा किया गया प्रयास सराहनीय है। पत्रिका की निरंतर प्रगति के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं।

भवदीय,

(वी. चित्रा)
हिंदी अधिकारी,
कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा-II),
तमिलनाडु एवं पुदुचेरी

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I)
पश्चिम बंगाल
2. गवर्मेन्ट प्लेस (पश्चिम), ट्रेजरी बिल्डिंग्स,
कोलकाता - 700 001



सत्यमेव जयते

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL
ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I)
WEST BENGAL
2, GOVT. PLACE (WEST), TREASURY BUILDINGS,
KOLKATA-700 001
Ph. (033) 2213-3151/52, Fax (033) 2213-3174
e-mail : agawestbengal1@cag.gov.in

सं. हिंदी कक्षा/हिंदी पत्रिका/पाथरी/ 184 दिनांक: 16.10.2023

सेवा में,

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ हिंदी कक्षा
महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल का कार्यालय,
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, डी.एफ. ब्लॉक, कोलकाता - 700 064

विषय:- हिंदी ई-पत्रिका 'नूतन क्षितिज' के 15 वें अंक की पाथरी संबंधी।

महोदय/महोदया,

आपके कार्यालय का पत्रांक हिंदी कक्षा/पत्रिका/66, दिनांक 10.10.2023 के माध्यम से आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित हिंदी ई-पत्रिका 'नूतन क्षितिज' के 15वें अंक की प्रति हुई। धन्यवाद। पत्रिका का आवरण पृष्ठ एवं आंतरिक साज-सज्जा काफी सुंदर एवं आकर्षक है। पत्रिका में समाहित सभी रचनाएं ऐक्य एवं शानवरण हैं। आशा है कि यह पत्रिका हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

पत्रिका के सभी रचनाकारों एवं संपादक मंडल को पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए बधाई एवं पत्रिका के उत्तरोत्तर प्रगति की शुभकामनाएं।

भवदीय,

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (हिंदी)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं वफदारी) द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज

पत्रांक : ले व ह-2/05/हि.अ./यूप-III/42/2023 खंड III दिनांक - 12/10/2023

सेवा में,

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल का कार्यालय,
तीसरा एम.एस.ओ. बिल्डिंग (पांचघां तल), सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
डी.एफ.ब्लॉक, कोलकाता- 700064

विषय - हिंदी पत्रिका 'नूतन क्षितिज' के 15 वें अंक के विषय में।

महोदय,

कार्यालय की हिंदी पत्रिका 'नूतन क्षितिज' के 15 वें अंक को पढ़ने एवं पी.डी.एफ. डाउनलोड करने का लिक प्राप्त हुआ, एतदर्थ धन्यवाद।

पत्रिका में शामिल की गई सभी रचनाएँ उच्चकोटि की हैं। पत्रिका में निहित सभी लेख, कविता उत्कृष्ट एवं शानवरणक हैं उनमें से सुश्री सुमन मांझी, लेखापरीक्षा जी का लेख "श्रीलंका खंडी- एक दुष्कृत्यम स्यात्तुय लेखनी" और श्री सोनु कुमार, कनिष्ठ अनुवादक जी का लेख "बाघा खंडीय एवं इसके कृत्रिम विकास में तकनीक की भूमिका" बहुत ही अच्छे और प्रेरणादायी हैं।

पत्रिका के सफल संपादन तथा प्रकाशन हेतु संपादक मंडल को हार्दिक बधाई एवं पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

भवदीय
Signed by Sudhir Kumar
Sharma
Date: 12-10-2023 14:45:29
Reason: Approved
हिंदी अधिकारी



- टिप्पणियाँ हिन्दी में लिखिए।
- मसौदे हिन्दी में तैयार कीजिए।
- शब्दों के लिए अटकिये नहीं।
- अशुद्धियों से घबराइए नहीं।
- अभ्यास अविलंब आरंभ कीजिये।

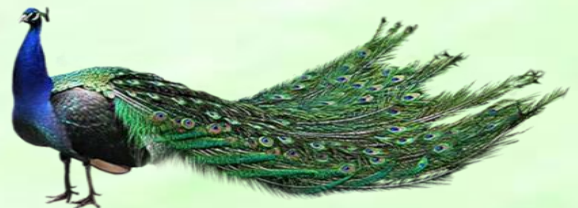
राजभाषा हिंदी संबंधी प्रावधानों का अनुपालन करना हम सभी सरकारी कार्मिकों का संवैधानिक दायित्व है।

संपादक मण्डल का रचनाकारों के विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं है। रचनाकार के विचार उनके स्वयं के हैं।



अनुक्रमणिका

क्र.सं.	शीर्षक	नाम	विधा	पृष्ठ सं.
1	विविधता में एकता	श्री राजीव दास	लेख	1-2
2	ऑडिट की पहचान	श्री अमित कुमार आचार्य	कविता	3
3	भारत की विविधता में निहित एकता	श्री नवीन कुमार	लेख	4-5
4	कान्हा-सी मुस्कान	सुश्री रश्मि कुमारी	कविता	6
5	भारत की विविधता में निहित एकता	श्री राहुल रंजन	लेख	7-8
6	जातिवाद एक अभिशाप	श्री जीमूतेश मजूमदार	कविता	9
7	लोकतंत्र और हिन्दी	श्री सोनू कुमार	लेख	10-12
8	नारी तेरी कहानी	श्री अनूप कुमार सरकार	कविता	13
9	समान नागरिक संहिता: परिचय, पृष्ठभूमि एवं इसकी आवश्यकता	श्री सोनू कुमार	लेख	14-16
10	प्रजातन्त्र और भारत की विविधता में निहित एकता	श्री शुभोजीत दे	कविता	17
11	प्रजातन्त्र और भारत के लोग	श्री राकेश गुप्ता	लेख	18-21
12	भारत देश महान	सुश्री सोनिया	कविता	22
13	जीवन में शिक्षा का महत्व	श्री राजेश चौधरी	लेख	23-24
14	अपनी मंजिल अपने हाथ	श्री राजेश चौधरी	कविता	24
15	प्रजातन्त्र तथा भारत की विविधता में निहित एकता	श्री सुजय प्रसाद	लेख	25-31
16	अलग-अलग सब फिर भी हम एक	श्री प्रदीप कुमार पात्र	कविता	32
17	भारत: विविधता में एकता की प्रकृति	सुश्री सुमन कुमारी	लेख	33-36
18	प्रजातन्त्र और हम	श्री अमित कुमार साह	कविता	37
19	प्रजातन्त्र	श्री वसीम मिन्हास	लेख	38-39
20	प्रजातन्त्र: भारत के परिप्रेक्ष्य में	श्री आशुतोष कुमार पाण्डेय	लेख	40-41
21	जनतंत्र में विविधता और एकता	श्री करुणाकर साहू	लेख	42-43
22	भारत में एक राष्ट्र, एक चुनाव की संभावनाएँ, इसके फायदे और नुकसान एवं चुनौतियाँ	श्री अजय चौधरी	लेख	44-45
23	अनुभवों की गंगा और ज्ञान की डुबकी	सुश्री प्रीति कुमारी	लेख	46-47
24	प्रजातन्त्र: एक सामाजिक एवं राजनीतिक आदर्श	श्री अमित कुमार साह	लेख	48-49
25	राजभाषा नियम	श्री राजा साव	संकलन	50-54
26	चित्रकारी	श्री देवप्रिय खां	चित्रकारी	55



विविधता में एकता

विविधता शब्द एकरूपता (Uniformity) के प्रतिकूल है। एकरूपता का अर्थ किसी विशेष प्रकार की समरूपता से है जो सम्पूर्ण समूह की विशेषता होती है। डी.एन. मजूमदार की एक पुस्तक जिसका शीर्षक 'रेसेज़ एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया' (Races and Cultures of India) है, इस पुस्तक के शीर्षक में प्रयुक्त बहुवचन में दिए शब्दों रेसेज़ (सिर्फ रेस नहीं) और कल्चर्स (सिर्फ कल्चर नहीं) पर ध्यान दें। इस तरह विविधता का अर्थ है विभिन्नता। भारत में समाज के रूपों को समझने के लिए इसका अर्थ समूहों और संस्कृतियों की विविधता से है। भारत में ऐसी विभिन्नताओं की बहुलता है।

एकता का अर्थ है एकीकरण। यह एक सामाजिक-मनोवैज्ञानिक स्थिति है। यह एक होने की भावना अर्थात् 'हम एक हैं' को व्यक्त करता है। यह उस कड़ी का पर्याय है जो समाज के सदस्यों को एक साथ जोड़ कर रखती है।

भारतीय समाज, एक ऐसा महान रूप है जिसमें अनगिनत समृद्धि और विविधता का संगम होता है। यहां लोगों की भाषा, धर्म, संस्कृति और स्वभाव में विविधता देखने को मिलती है, जो इसे एक अद्वितीय देश बनाता है। भारत में गुजरात की पारंपरिक गरबा नृत्य से लेकर पंजाब के भंगड़े तक, और केरल के कथकली नृत्य से लेकर असम के बिहू नृत्य तक, हर राज्य की अपनी विशेषता है।

रामधारी सिंह 'दिनकर' जी के शब्दों में -अक्सर कहा जाता है कि भारतवर्ष की एकता उसकी विविधताओं में छिपी हुई है, और यह बात जरा भी गलत नहीं है, क्योंकि अपने देश की एकता जितनी प्रकट है, उसकी विविधताएँ भी उतनी ही प्रत्यक्ष हैं।

भारत में विविधता के रूप-

भारतीय समाज और संस्कृति में हमें अनेक प्रकार की विविधताओं के दर्शन होते हैं, जिन्हें धर्म, जाति, भाषा, प्रजाति आदि में व्याप्त विभिन्नताओं के द्वारा सरलता से समझा जा सकता है। इन विभिन्नताओं के कुछ मुख्य बिन्दुओं को निम्न प्रकार से बाँटकर देखा जा सकता है:-

1. क्षेत्रीय या भौगोलिक विविधता - भारत की एकता की झलक इसकी भू-राजनीतिक अखंडता में देखने को मिलती है। भारत अपनी भौगोलिक एकता के लिए प्रसिद्ध है। यहां एक छोर पर हिमालय है तो दूसरे छोर पर खुला समुद्र। राजनीतिक रूप से भारत एक सार्वभौमिकता सम्पन्न राष्ट्र है। इसके प्रत्येक भाग का प्रशासन एक ही संविधान तथा एक ही संसद द्वारा होता है।

2. भाषायी विविधता - भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है, प्राचीन काल से ही भारत में अनेक भाषाओं व बोलियों का प्रचलन रहा है। वर्तमान में भारत में 22 राष्ट्रीय भाषाएँ तथा कई हजार बोलियाँ पाई जाती हैं। भारत में रहने वाले लोग इतनी भाषाएँ व बोलियाँ इसलिए बोलते हैं, क्योंकि यह उपमहाद्वीप एक लंबे समय से विविध प्रजातीय समूहों जैसे- ऑस्ट्रिक परिवार, द्रावीडियन परिवार, तिब्बतन परिवार तथा इंडो-यूरोपियन भाषा परिवारों की मंजिल रही है।

3. प्रजातीय विविधता - भारत में अनेक प्रजातियाँ आईं तो अवश्य परन्तु वर्तमान में सभी यहाँ मिश्रित रूप में मिलती हैं। यहाँ उत्तरी भारत में आर्य प्रजाति और दक्षिणी में द्रविड़ प्रजाति की बहुलता है।

4. धार्मिक विविधता - भारतीय समाज की यह अनुपम विशेषता है कि, यहां सभी धर्मों के मानने वाले साथ-साथ रहते हैं और एक-दूसरे की विशेषताओं को ग्रहण करते हैं। एक ही स्थान पर मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर, गुरुद्वारा होता है, जहाँ वह अपने धर्मानुसार पूजा-पाठ करते हैं। सभी धर्मों के लोग होली, दीपावली, बुद्ध-पूर्णिमा, गुरु नानक जयन्ती, ईद, क्रिसमस जैसे त्योहारों को मनाते हैं और आपस में मिल-जुल कर साथ-साथ आनंद लेते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो भारत की एकता का दूसरा स्रोत मंदिर संस्कृति है जो देव-स्थलों और पुण्य-स्थानों में सहज परिलक्षित होता है। देश के उत्तर में केदारनाथ-बद्रीनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम, पूरब में जगन्नाथपुरी से लेकर पश्चिम में द्वारिका तक धार्मिक देव-स्थल और पवित्र नदियाँ फैली हुई हैं।

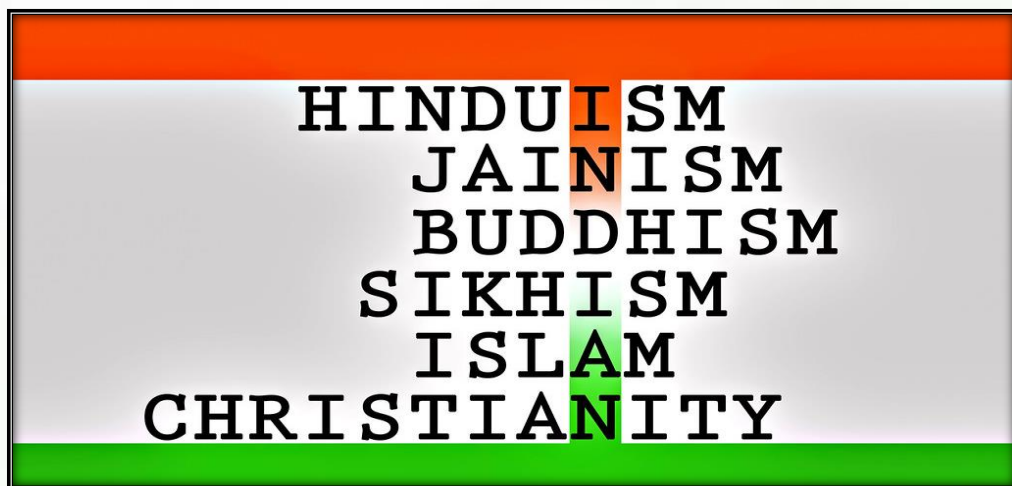
5. सांस्कृतिक विविधता - धार्मिक विश्वास की एकता मनुष्यों की सांस्कृतिक एकता को जरूर पुष्ट करती है। इस दृष्टि से, एक तरह की एकता तो वह है जो हिन्दू-समाज में मिलेगी, जो मुस्लिम समाज में मिलेगी, जो पारसी या क्रिस्तानी समाज में मिलेगी। लेकिन, धर्म के केन्द्र से बाहर जो संस्कृति की विशाल परिधि है, उसके भीतर बसनेवाले सभी भारतीयों के बीच एक तरह की सांस्कृतिक एकता भी है जो उन्हें दूसरे देशों के लोगों से अलग करती है। संसार के हरएक देश पर अगर हम अलग-अलग विचार करें तो हमें पता चलेगा कि प्रत्येक देश की एक निजी सांस्कृतिक विशेषता होती है जो उस देश के प्रत्येक निवासी की चाल-ढाल, बातचीत, रहन-सहन, खान-पान, तौर-तरीके और आदतों से टपकती रहती है। - **भारत एक है - रामधारी सिंह 'दिनकर'**

भारत अपने आप में विविधता का एक उप-महाद्वीप है। यह सदियों से धर्म, भाषा और संस्कृति की जीवंत विविधता का देश रहा है। भारत के संदर्भ में बहुलवाद, औपनिवेशिक काल में ही अपनी जीत दर्ज कर चुका है। उस काल के अत्याचारों के सामने, संस्कृति के भिन्न खंडित हिस्सों से बाहर एक संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए मानवता का ऐसा वसीयतनामा हमें मिला, जिसे हर भारतीय दूसरे भारतीय में देखता है। हमारे राष्ट्र का सतत् अस्तित्व, हमें बताता है कि हम एक दूसरे की त्वचा के रंग, भाषा और ईश्वर

को दिए गए नाम से परे आनंद की साझा खोज करते रहते हैं। ये ही वे संकेत हैं, जो भारत को बनाते हैं। एक कदम पीछे लौटते हुए हम देखते हैं कि वे किस प्रकार मानवीय करूणा और प्रेम का सतरंगी रूप बनाते हैं। बहुलवाद, विविधता को बर्दाश्त करने का वाद नहीं है, बल्कि वह तो इसका उत्सव है।

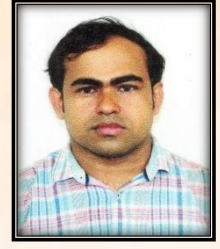
विनोबा भावे जी ने इस उदार और सहिष्णु संस्कृति की विशेषताओं को इस प्रकार कहा है कि- **"भारत में अनेक धर्म, भाषाएं और जातियां हैं। यह महान भूमि अनेक सामाजिक समूहों का संगम-स्थल रही है। इस प्रकार का महान दृश्य अन्य कोई देश प्रस्तुत नहीं करता- जहाँ भिन्न-भिन्न धर्मों के उपासक और भिन्न-भिन्न जाति के लोग एक साथ बस गए हैं। फिर भी यह उल्लेखनीय है कि सभी लोग भारत को अपना घर, अपना देश मानते हैं।"**

अतः अंत में कह सकते हैं कि विविधता में एकता हमें सिखाती है कि, जाति, पंथ या नस्ल में मतभेदों के बावजूद, ये मतभेद हमें अलग नहीं रख सकते हैं, और हमें अपने देश को बेहतर बनाने के लिए हमेशा एकजुट रहना चाहिए। यह न केवल राष्ट्र को एकजुट और मजबूत रखता है, बल्कि यह हमारे अंदर प्रेम, शांति और सम्मान के साथ सह-अस्तित्व के विश्वास को भी जीवित रखता है। देश की विशेष संस्कृति, परंपराएं, त्यौहार, संगीत और नृत्य इसे दुनिया का एक ऊर्जावान और अविश्वसनीय देश बनाते हैं।



श्री राजीव दास
वरिष्ठ अनुवादक

ऑडिट की पहचान



श्री अमित कुमार आचार्य
लेखापरीक्षक

जाँच की यह धड़कन,
ऑडिट का अद्वितीय संगीत।
निरीक्षण की नज़र,
संविधान का दिव्य संकेत।

सच्चाई की खोज में,
समर्पण से गोता लगाते।
शब्दों की प्रवाह में,
अनुशासन की रेखा बनाते।

दस्तावेजों के बंधन,
सच्चाई के पथ पर चलते।
हर व्यवसाय का मान,
ऑडिटर्स के द्वार पर बनते।

बिखरी अनुभूतियों को,
संगीत के रूप में सजाते।
प्रश्नों की गहराई में,
उत्तरों की खोज कर लाते।

जीवन के सारे रहस्य,
ऑडिट में छुपे समझाते।

संविधान की राह में,
अपने कर्तव्य को निभाते।

ऑडिट की यह प्रक्रिया,
निर्णय की नई दिशा बताती।
विश्वास की महिमा,
सच की राह पर ले जाती।

यही है ऑडिट की प्रेरणा,
निर्णय की शक्ति का परिचय।
उच्चतम योग्यता का परिचय,
संविधान के रचयिता का आदर्श।

ऑडिट का यह संगीत,
हर व्यवसाय की उपलब्धि का निशान।
निर्विवाद सत्य की विजय,
समृद्धि का वरदान।

ऑडिट की धड़कन,
सच्चाई का संगीत बनकर रहती।
समर्पण की राह पर,
निर्णय की दिशा दिखाती।

भारत की विविधता में निहित एकता

भारत विविधता से परिपूर्ण देश है; “विविधता में एकता” भारतीय समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है। यह वाक्यांश इस बात का भी सूचक है कि भारत किस प्रकार से विविधता पूर्ण संस्कृति, सामाजिक और जातीय तत्त्वों को अपनाते हुए निरंतर आगे बढ़ रहा है। यहाँ अपनी पहचान को अक्षुण्ण रखकर विविधता को अंगीकार करने की आज्ञादी है।

भारत एक ऐसा देश है जो विविधता में एकता की अवधारणा को बेहतर ढंग से साबित करता है। भारत एक अत्यधिक आबादी वाला देश है और विविधता में एकता की विशेषता के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। विविधता में एकता भारत की ताकत और शक्ति है। यह अब भारत की पहचान कराने वाली सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बन गई है।

विविधता में एकता ने देश की महान राष्ट्रीय एकता की विशेषता को जन्म दिया है जो भ्रष्टाचार, उग्रवाद और आतंकवाद के बाद भी मजबूत और समृद्ध भारत की नींव बन गया है। विभिन्न राज्यों में रहने वाले लोग आम तौर पर अपनी बोलने की भाषा, संस्कृति, परंपराओं, कपड़ों, त्यौहारों, दिखने आदि में भिन्न होते हैं, (बंगाली, महाराष्ट्रीयन, पंजाबी, तमिल, आदि के रूप में जाने जाते हैं); हालांकि, वे खुद को भारतीय बताते हैं जो उनकी एकता को दर्शाता है।

मानवता और लोगों की संभावना यहाँ विविधता में एकता बनाए रखने में उनकी मदद करती है। भारत में लोग अपनी भौतिक संपदा के बजाय आध्यात्मिकता, कर्म और संस्कार को अधिक महत्व देते हैं, जो उन्हें एक-दूसरे के करीब लाता है। यहाँ के लोगों में धर्म सहिष्णुता की शक्ति उनकी अनूठी विशेषता है जो उन्हें विभिन्न धर्मों के होने पर कोई कठिनाई महसूस नहीं करने में मदद करती है।

भारत में अधिकांश लोग हिंदू धर्म से संबंधित हैं, जिनमें अपनी भूमि में अन्य सभी अच्छी संस्कृतियों का स्वागत करने और उन्हें आत्मसात करने की अधिक क्षमता है। भारतीय लोगों की ऐसी सभी महत्वपूर्ण एवं आकर्षक विशेषताएं भारत को विविधता में एकता की अवधारणा

के लिए प्रसिद्ध बनाने में मदद करती हैं।

विविधता में एकता का महत्व:

- विविधता में एकता कार्यस्थल, संगठन और समुदाय में लोगों का मनोबल बढ़ाती है।
- यह लोगों के बीच टीम भावना, रिश्तों, टीम वर्क को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे प्रदर्शन, कार्य की गुणवत्ता, उत्पादकता और जीवनशैली में सुधार होता है।
- यह खराब परिस्थिति में भी संचार को प्रभावी बनाता है।
- लोगों को सामाजिक समस्याओं से दूर रखता है और संघर्षों को आसानी से प्रबंधित करने में मदद करता है।
- यह स्वस्थ मानवीय संबंधों को बेहतर बनाता है और सभी के लिए समान मानवाधिकारों की रक्षा करता है।
- भारत में विविधता में एकता पर्यटन का एक स्रोत प्रदान करती है। विविध संस्कृतियों, परंपराओं, व्यंजनों, धर्मों और कपड़ों के लोग दुनिया भर से अधिक आगंतुकों और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।
- यह विभिन्न प्रकार से विविधतापूर्ण होने के बावजूद देश के लोगों में राष्ट्रीय एकीकरण की आदत को जन्म देता है।
- यह देश की समृद्ध विरासत को महत्व प्रदान करता है तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत और समृद्ध बनाता है।
- यह विभिन्न फसलों के माध्यम से कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाने और इस प्रकार आर्थिक विकास में मदद करता है।
- देश के विभिन्न क्षेत्रों में कुशल और उन्नत पेशेवरों का स्रोत।

विविधता में एकता किसी देश के लिए निम्नलिखित

तरीकों से बहुत महत्वपूर्ण है: राष्ट्रीय एकता के लिए

विविधता में एकता किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अलग-अलग विचारों और विचारधाराओं वाले लोगों को विघटित करना आसान है। अगर लोगों के बीच मतभेदों के बावजूद एकता है, तो किसी भी ताकत के लिए देश को विघटित करना हमेशा असंभव होगा। नागरिकों की एकता किसी देश में शांति और समृद्धि बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

विकास एवं उन्नति के लिए

विविधता में एकता देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि जो देश एकीकृत है वह हमेशा समृद्ध होगा और विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। साथ ही, उसे सामाजिक रूप से अस्थिर और विभिन्न शर्तों पर विभाजित देश की तुलना में कम आंतरिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

वैश्विक मान्यता

एक ऐसा देश जो विविधतापूर्ण होने के बावजूद एकजुट रहता है, न केवल राष्ट्र के लिए मूल्य जोड़ता है बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी उसका सम्मान होता है। यह एक

देश के नागरिकों के मूल्यों और नैतिकता को प्रदर्शित करके विश्व स्तर पर एक उदाहरण स्थापित करता है जो अलग-अलग पृष्ठभूमि और संस्कृतियों से होने के बावजूद एक-दूसरे का सम्मान और समर्थन करते हैं।

शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए

विविधता आंतरिक संघर्षों का कारण भी हो सकती है, लेकिन विविधता में एकता विभिन्न संस्कृति और पृष्ठभूमि वाले लोगों के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह उन्हें अपनी असमानताओं के बावजूद एक साथ रहने और एकजुट रहने में मदद करती है।

निष्कर्ष

विविधता में एकता हमें सिखाती है कि भले ही हम अलग-अलग जाति, धर्म से हों, लेकिन ये अंतर हमें अलग नहीं कर सकते। और साथ ही हम हमेशा अपने देश की बेहतरी के लिए एकजुट रहते हैं। यह हमारे देश द्वारा प्रदर्शित सबसे अनोखी घटना है। संस्कृति, रीति-रिवाज और नृत्य में अंतर देश को जीवंत बनाता है, भारत को दुनिया में एक अविश्वसनीय देश बनाता है।

1. हिंदी को इसका नाम फारसी शब्द हिंद से मिला है, जिसका अर्थ है "सिंधु नदी की भूमि"।
2. 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसे मनाने के लिए, हम 14 सितंबर को "हिंदी दिवस" मनाते हैं।
3. 1965 में हिंदी केंद्र सरकार की एकमात्र कामकाजी भाषा बन गई।
4. यह फिजी में एक आधिकारिक भाषा है और सूरीनाम, गुयाना, मॉरीशस और त्रिनिदाद में हिंदी को एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है।



श्री नवीन कुमार
आँकड़ा प्रविष्टि प्रचालक

कान्हा – सी मुस्कान



सुश्री रश्मि कुमारी
लेखापरीक्षक

कान्हा – सी मुस्कान है तेरी,
सब चिन्ता हर लेती है।
एक झलक प्यारी – सी तेरी,
मन में सुकून भर देती है।
धरा पर ऐसा कोई नहीं,
जिसके जीवन में कष्ट नहीं,
लेकिन तुम अपनी मुस्कान से,
सभी कष्ट झुठला देना।
हो दुखी जब तुम कभी,
बाँट लेना तुम दुख किसी का,
आनंद तुम्हें वहीं मिलेगा।
रहो जहाँ भी तुम कहीं,
कान्हा तुम्हारी मुस्कान बनाए रखेगा,
ये विश्वास है मेरा।

भारत की विविधता में निहित एकता

भारत एक विविधतापूर्ण देश है। इसके विभिन्न भागों में भौगोलिक अवस्थाओं, निवासियों और उनकी संस्कृतियों में काफी अन्तर है। कुछ प्रदेश अफ्रीकी रेगिस्तानों जैसे तप्त और शुष्क हैं, तो कुछ ध्रुव प्रदेश की भांति ठण्डे हैं। भारत विश्व का एक प्रसिद्ध और बड़ा देश है जहाँ विभिन्न धर्म जैसे हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध, सिक्ख, जैन, ईसाई और पारसी आदि एक साथ रहते हैं लेकिन सभी धर्म और कर्म के एक सिद्धांत पर भरोसा करते हैं।

यहाँ के लोग स्वभाव से भगवान से डरने वाले होते हैं और आत्मा की शुद्धि, पुनर्जन्म, मोक्ष, स्वर्ग और नरक में भरोसा रखते हैं। बिना किसी धर्म के लोगों को हानि पहुँचाये बेहद शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपने त्यौहारों होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुड फ्राईडे, महावीर जयंती, बुद्ध जयंती आदि को मनाते हैं।

इतनी विभिन्नता के बावजूद सम्पूर्ण भारत एकता के सूत्र में निबद्ध है। इस सूत्र की अनेक विधायें हैं, जिनकी जड़ें देश के सभी कोनों तक पल्लवित और पुष्पित हैं। बाहर विभिन्नताएं और विविधताएं भौतिक हैं, किन्तु भारतीयों के अभ्यन्तर में प्रवाहित एकता की अजस्र धारा भावनात्मक एवं रागात्मक है। इसी ने देश के जन-मन को एकता के सूत्र में पिरो रखा है।

भारत एक ऐसा देश है जिसने “विविधता में एकता” की सच्चाई को सही साबित किया है। बिना किसी परेशानी के कई वर्षों से विभिन्न धर्म और जाति के लोगों ने एक साथ रह कर दिखाया है। भारत ऊँचे पहाड़ों, घाटियों, महासागरों, प्रसिद्ध नदियों, धारा, जंगल, रेगिस्तान, प्राचीन संस्कृति और परंपराएँ और सबसे खास “विविधता में एकता” से सजा हुआ देश है। लोग यहाँ अपने नस्ल, धर्म और भाषा से संबंध रखते हैं फिर भी उन सभी के मानवता का समान चरित्र होता है जो उन्हें एक साथ रहने के काबिल बनाता है।

विविधता में एकता के लाभ

सबसे पहले, विविधता में एकता का पालन करने का तात्पर्य कई प्रकार के व्यक्तियों के बीच बातचीत से है। इन

व्यक्तियों में संभवतः कुछ अंतर होंगे। यह कार्यस्थलों, स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों आदि में भी होगा। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि विविध लोगों के साथ काम करने से संपर्क का अवसर मिलता है। इसके अलावा, यह बातचीत लोगों में सहिष्णुता का निर्माण करेगी। इसलिए, लोग दूसरों की राय का सम्मान करेंगे।

विविधता में एकता निश्चित रूप से टीमवर्क की गुणवत्ता को बढ़ाती है। ऐसा लोगों के बीच विश्वास और बंधन के कारण एकता का विकास होता है। इस प्रकार समन्वय और सहयोग बहुत कुशल हो जाता है। परिणामस्वरूप, परियोजनाओं के पूरा होने की दर में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।

व्यापार की दुनिया में एक नए सिद्धांत का पालन किया जा रहा है। यह सिद्धांत है वैश्विक सोच और स्थानीय रूप से कार्य करना। कंपनियों द्वारा इस सिद्धांत का उपयोग करने का कारण अलग-अलग सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएँ हैं। यह सिद्धांत निश्चित रूप से विविधता में एकता की अवधारणा की जीत है। साथ ही, अधिक से अधिक कंपनियाँ दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार कर रही हैं।

विविधता में एकता की अवधारणा विभिन्न सामाजिक समस्याओं को हल करने में कारगर है। यह इसलिए संभव है क्योंकि अलग-अलग लोग एक-दूसरे को जानते हैं। नतीजन, इससे लोगों के बीच आपसी सम्मान बढ़ता है।

विविधता में एकता एक विविधतापूर्ण देश के लिए बहुत उपयोगी है। सबसे बढ़कर, यह अवधारणा विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों, जातियों के लोगों को शांतिपूर्वक एक साथ रहने की अनुमति देती है। विविधता में एकता में विश्वास निश्चित रूप से दंगों और गड़बड़ी की संभावनाओं को कम करता है।

यहाँ पर इसकी कुछ कमियाँ भी है जो दी गयी है:

- ये अलग राज्यों और बहु-भाषायी संबंधी लोगों के बीच में कई सामाजिक चिंताओं को बढ़ावा दे सकता है।
- ये देश के कई क्षेत्रों में भ्रष्टाचार और अशिक्षा को बढ़ावा

दे सकता है।

- अविकसित संरचना, बिजली की कमी तथा खराब सड़कें आदि विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में खराब जीवनशैली का कारण बन सकती हैं।

राजनीतिक एकता और राष्ट्रीय भावना के आधार पर ही राष्ट्रीय आन्दोलनों एवं स्वतन्त्रता संग्राम में, देश के विभिन्न प्रान्तों के निवासियों ने दिल खोलकर सक्रिय रूप से भाग लिया और अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। स्वतन्त्र भारत में राष्ट्रीय एकता की परख चीनी एवं पाकिस्तानी आक्रमणों के दौरान भी खूब हुई।

‘महात्मा गाँधी’ ने कहा था-

“जब तक हम एकता के सूत्र में बँधे हैं, तब तक मजबूत हैं

और जब तक खण्डित हैं तब तक कमजोर हैं।”

इस प्रकार, कहा जा सकता है कि इतने सारे मतभेदों के बावजूद, भारत के लोग आपस में एकता की वास्तविक भावना प्रदर्शित करते हैं जो विविधता में एकता की अवधारणा को प्रदर्शित करता है। भारत की विविधता में एकता की संस्कृति दुनिया में अद्वितीय मानी जाती है जो वैश्विक समुदाय को आश्चर्यचकित करती है। भारत की सदियों पुरानी परंपरा के कारण जिसने लोगों को नैतिकता, मूल्यों, सम्मान और सहिष्णुता का महत्व सिखाया है।

वैसे तो लोग अलग-अलग संस्कृतियों और समुदायों से आते हैं, लेकिन वे मानवता, प्रेम और सम्मान के बंधन को साझा करते हैं और राष्ट्रवाद की एक ही डोर से बंधे हैं। भारत के संविधान ने भी सभी को समान अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान की है और हर नागरिक को बिना किसी हस्तक्षेप के सम्मान और गरिमा के साथ अपना जीवन जीने की अनुमति देता है तथा उन्हें एकजुट करता है।

निष्कर्ष

भारत में हिन्दी मातृभाषा है; हालाँकि, विभिन्न धर्मों और क्षेत्रों के लोगों द्वारा कई अन्य बोलियाँ और भाषाएँ बोली जाती हैं (जैसे कि अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, भोजपुरी, बिहारी, पंजाबी, मराठी, बंगाली, उड़िया, गुजराती, कश्मीरी, आदि); हालाँकि, हर कोई महान भारत का नागरिक होने पर गर्व महसूस करता है। भारत की विविधता में एकता विशेष रूप से वह है जिसके लिए यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह भारत में पर्यटन को बहुत अधिक आकर्षित करता है। भारतीय होने के नाते, हम सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और किसी भी कीमत पर इसकी अनूठी विशेषता को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ विविधता में एकता ही वास्तविक समृद्धि है और वर्तमान और भविष्य में प्रगति का मार्ग है।

1. हिंदी भाषा से संबंधित प्रावधानों को केंद्रीय हिंदी निदेशालय, भारत सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
2. लगभग 77% भारतीय हिंदी पढ़, लिख, बोल या समझ सकते हैं।
3. पहला हिंदी टाइपराइटर 1930 के दशक के दौरान लॉन्च किया गया था।
4. हिंदी प्राचीन भारतीय भाषा “संस्कृत” का प्रत्यक्ष वंशज है।
5. हिंदी की वर्णमाला तालिका को ‘वर्णमाला’ अर्थात् ‘अक्षरों की माला’ कहा जाता है।
6. 1913 में, दादा साहब फाल्के द्वारा पहली हिंदी फिल्म, राजा हरिश्चंद्र रिलीज़ की गई थी।



श्री राहुल रंजन
आँकड़ा प्रविष्टि प्रचालक

जातिवाद एक अभिशाप



श्री जीमूतेश मजुमदार
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

जातिवाद के गहरे संसार में,
बसा है बिखरा दर्द और बैर।

जाति-जाति का अंतर, जुबां से नहीं मिटता,
भेदभाव की दीवारें, अनगिनत बनीं रहती हैं।

आंखों में अंधेरा, दिलों में बदला लिया है,
समझौते की राह पर, इंसानियत भूल गए हैं।

जातिवाद की बरसात ने, भूमि पर बहाया है खून,
विभाजित हैं राष्ट्रीयता के सपने, बिखरी हुई सपनों की धूल।

बंधन में बंधी मानवता, चाहती है उड़ान,
समानता की खोज में, जुदा हैं अपने अपने तान।

उस उजाले की खोज में, जिसमें हो सबका सम्मान,
हर रंग, हर जाति, हो सबका आदर्श, सच्चे इंसान।

जातिवाद के गहरे संसार से, निकलें हम साथ,
मिटा दें भेदभाव के अंधकार, बनें एक प्रेम का विश्वास।

जातिवाद नाशवादी बांटी जा रही है,
नये सोच की आरजू बढ़ी जा रही है।

सिखाया जा रहा है हमें साहस रखना,
ना किसी धर्म का आधार बना जा रहा है।

हम सब एक हैं, यह संदेश बांटा जा रहा है,
भाईचारे की नई मिसाल सज रही है।

जातिवाद के गहरे समंदर को पार कर,
नये विचार की ऊँचाइयों तक ले जाना है।

शांति और समृद्धि का सपना सच करना है,
इस नयी सोच को समाज में फैलाना है।

अब बस नहीं रहा, जातिवाद का बोझ,
नये जीवन की राह में बढ़ा जा रहा है।

सबको गले लगाना है, एकता के संदेश से,
जातिवाद के अंधकार से देश को बचा लाना है।

लोकतंत्र और हिंदी

लोकतंत्र, इस शब्द के कई समानार्थी शब्द उपलब्ध हैं, प्रजातंत्र, जनतंत्र इत्यादि। भले ही इसे कई नामों से जाना जाये एवं इनके अर्थों में थोड़ी बहुत भिन्नता भी हो, पर सबका सार एक ही है जो इन सारे शब्दों में ध्वनित होती है- 'वह है जनसाधारण की शासन व्यवस्था', जो सुचारू रूप से एक मजबूत लोकतंत्र को बनाये रखने की नींव मानी जाती है। भाषा, वह माध्यम है जो सभी वर्ग के लोगों को आपस में जोड़ती है। जब लोकतंत्र में एक आम आदमी अपनी भाषा में सभी कार्य करेगा तो वह एक विचारवादी तो बनेगा ही, साथ ही वह एक सक्षम नागरिक भी बन सकेगा जो समाज कल्याण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित भी कर पाएगा।

भारत देश जब आजाद हुआ तो अंग्रेजों के शासन से मुक्त होने के पश्चात् इसने लोकतंत्र की परिपाटी पर चलने वाले राष्ट्र के रूप में स्वयं को स्थापित किया। इसे स्थापित करने के लिए देश के कई महान स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्ति की भावना से जुड़े व्यक्तियों ने अपने दिन-रात की मेहनत लगा दी। 26 जनवरी, 1950 को देश में संविधान लागू होने के बाद से वर्ष 1951-52 में देश का सबसे पहला चुनाव संपन्न कराया गया। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही, क्योंकि यह उस समय दुनिया में आयोजित सबसे बड़ा चुनाव रहा जिसमें विश्व की जनसंख्या का छठा हिस्सा मतदान करने जा रहा था। यह तो रही उपलब्धियों की बात, जिनसे हम चिर-परिचित हैं, पर आज लोकतंत्र और भाषा के बीच तालमेल बिठा पाने में हम कितने कामयाब रहे हैं, इस स्थिति का जायजा लेना भी अनिवार्य है। सर्वप्रथम हम इसके लिए यह जानने की कोशिश करें कि भारत देश का संविधान, जिसे देश की आत्मा भी कहते हैं, उसमें हिंदी को उसका स्थान कैसे और किस रूप में मिला और इसके लिए सबसे पहले हमें इसके इतिहास से अवगत होना आवश्यक है।

हिंदी भाषा का इतिहास एवं संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार्यता

आज हिंदी को हम जिस रूप में देखते हैं उसकी

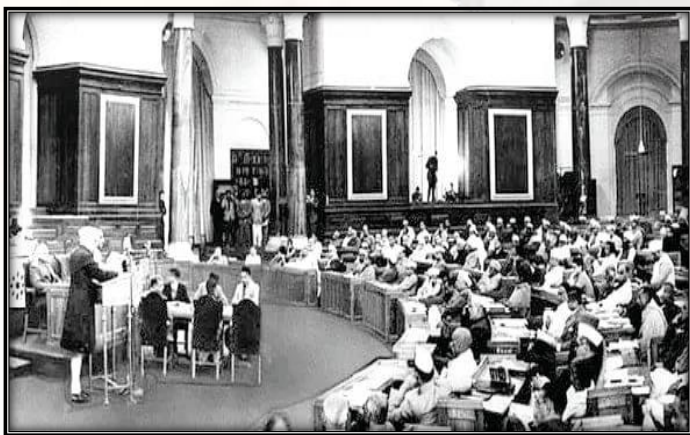
आकृति भले ही कुछ शताब्दी पुरानी हो, किंतु उसकी जड़ें संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश रुपी गहरे धरातल में फैली है। हिंदी आनुवंशिक रूप से आर्य भाषा संस्कृत से संबद्ध है। भारतीय भाषाओं के इतिहास का पुनर्लेखन करते हुए भाषा वैज्ञानिक डॉ. जीन बिस्म ने भारतीय आर्य भाषाओं को समाहित करते हुए लिखा है कि "हिंदी राष्ट्र अंतरंग की भाषा है। हिंदी संस्कृत की वैध उत्तराधिकारी है और आधुनिक भारतीय भाषा व्यवस्था में उसका वही स्थान है जो प्राचीन काल में संस्कृत का था।" प्राचीन काल में भारत में संस्कृत, प्राकृत, पालि, अपभ्रंश आदि भाषाओं का राजभाषा के रूप में प्रयोग होता था। राजपूत काल में तत्कालीन भाषा हिंदी का प्रयोग राजकाज में किया जाता था। उसके पश्चात भारत में मुसलमानों के आधिपत्य स्थापित हो जाने के बाद से धीरे धीरे हिंदी का स्थान फ़ारसी और अरबी भाषाओं ने ले लिया। हालांकि इस बीच में राजपूत नरेश के राज्य क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग बराबर प्रचलित रहा। मराठों के राज-काज में भी हिंदी का प्रयोग बढ़-चढ़कर किया जाता रहा। यह इस बात का परिचायक है कि हिंदी राजकाज का काम करने के लिए सदैव सक्षम रही है। इसके बाद 1855 में लार्ड मैकाले के आगमन ने अंग्रेजी को भारत को भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में स्थापित कर दिया था। धीरे-धीरे, यह प्रशासन के कामों के साथ-साथ शिक्षा, वाणिज्य के क्षेत्र में भी प्रयोग में लाई जाने लगी। लेकिन, अंग्रेजी शासकों को इस बात की जानकारी थी कि इस तरह से भारतीय भाषाओं को दबाया नहीं जा सकता। अतः उन्होंने हिन्दी भाषी प्रदेशों में हिन्दी को और अन्य प्रदेशों में, वहां की भाषाओं को प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम बनाया। इस श्रीगणेश का शुभ परिणाम यह हुआ कि हिन्दी और भारतीय भाषाएँ विकसित होने लगीं और वे उच्च शिक्षा का माध्यम बनीं। इतना ही नहीं स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भारतीय भाषाओं और विशेषकर हिन्दी को राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के रूप में प्रचलित करने का प्रयास प्रारंभ किया। इस राष्ट्रीय जागरण के

परिणाम स्वरूप हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रसार होने लगा और यह मत व्यक्त किया जाने लगा कि देश के अधिकांश लोगों की बोली होने के कारण हिन्दी को भी भारत की राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए। देश के कोन कोने से अनेक गैर-हिन्दी भाषी राष्ट्रीय नेताओं ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये।

महात्मा गांधी ने एक बार यह विचार व्यक्त किया था कि राष्ट्रभाषा बनने के लिए किसी भाषा में नीचे दिए गए पाँच गुण अवश्य होने चाहिए-

1. उसे सरकारी अधिकारी आसानी से सीख सकें,
2. वह समस्त भारत में धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक संपर्क के माध्यम के रूप में प्रयोग के लिए सक्षम हो,
3. वह अधिकांश भारतवासियों द्वारा बोली जाती हो,
4. सारे देश को उसे सीखने में आसानी हो,
5. ऐसी भाषा को चुनते समय क्षणिक हितों पर ध्यान न दिया जाए।

भारतीय संविधान सभा बैठक:



उनका विचार था कि भारतीय भाषाओं में केवल हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है, जिसमें उपर्युक्त सभी गुण मौजूद हैं। महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं के उद्गारों का परिणाम यह हुआ कि जब भारतीय संविधान सभा में संघ सरकार की राजभाषा निश्चित करने का प्रश्न आया तो विशद विचार मंथन के बाद 14 सितंबर, 1949 को हिन्दी को भारत संघ की राजभाषा घोषित किया गया। भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ और तभी से देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी विधिवत रूप से भारत संघ की राजभाषा है।

राजभाषा हिन्दी संबंधी संवैधानिक प्रावधान:-

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। हिन्दी को संघ की राजभाषा 1950 में ही घोषित कर दिया गया था, किंतु केंद्र सरकार के कामों में हिन्दी को अंग्रेजी का स्थान देने के लिए गंभीरता से प्रयास केंद्र सरकार द्वारा 1960 ओर विशेषकर राजभाषा अधिनियम, 1963 के पास होने के बाद से प्रारंभ किया गया।
 2. केंद्रीय सरकार के हिन्दी न जानने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए हिन्दी शिक्षण का कार्य शिक्षा मंत्रालय की देखरेख में 1952 में प्रारंभ हुआ था, किंतु बाद में लिए गए निर्णय के अनुसार अक्टूबर, 1955 से यह कार्य गृह मंत्रालय के तत्वाधान में हो रहा है। प्रारंभ में यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उन लोगों के लिए था, जो अपनी इच्छा से हिन्दी पढ़ना चाहते हैं बाद में अप्रैल 1960 में राष्ट्रपति के आदेश के अधीन हिन्दी का सेवाकालीन प्रशिक्षण उन सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया जो 01-01-1961 को 45 वर्ष के नहीं हुए थे। फिर भी, स्वेच्छा से हिन्दी सीखने वालों की तादाद आधिकतर जगहों पर इतनी पर्याप्त है कि राजभाषा विभाग ने अभी तक इस अनिवार्यता का प्रयोग नहीं किया है और हिन्दी प्रशिक्षण का कार्य सारे देश में स्वेच्छा तथा प्रोत्साहन के आधार पर चल रहा है।
 3. केंद्र सरकार ने 28 जून 1976 को राजभाषा नियम बनाया। राजभाषा नियम कुल 12 हैं, जो तमिलनाडु के अलावा पूरे भारत पर लागू हैं एवं आज संपूर्ण भारत में इन्हीं नियमों के आधार पर कार्यान्वयन किया जाता है।
- वर्तमान स्थिति एवं हमारी जिम्मेदारी** आजादी के पश्चात जब देश में संविधान लागू किया गया, तो हिंदी जो कि अंग्रेजों के अंग्रेजी भाषा के विरुद्ध हम भारतवासियों को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा के रूप में रही, उसे संविधान में अनुच्छेद 343 (1) में स्थान देकर संघ की भाषा के रूप में दर्जा दे तो दिया गया, पर क्या आज भी यह संघ की भाषा पूर्ण रूप से

बन सकी है? आज भी अधिकांश काम हिंदी के बजाय अंग्रेजी में किये जा रहे हैं। कई साइनबोर्ड, नेम-प्लेट इत्यादि में हिंदी को इस प्रकार से लिखा गया है कि वह बस एक उपहास बनकर रह गई हो। हमें अंग्रेजी में बोलने-लिखने में गर्व की अनुभूति होती है, पर जब बात हिंदी की होती है, तो स्थिति यह नहीं होती।

हाल में, कर्नाटक में हाईवे पर लगे साइनबोर्ड की तस्वीर गलत अनुवाद हो जाने के कारण काफी चर्चा में रही, अंग्रेजी के एक कथन (*Urgent make an Accident*), का कन्नड़ भाषा में अनुवाद का हिंदी अर्थ – *तत्काल दुर्घटना करवाओ हो गया*। इसका अर्थ था कि, तत्काल (हड़बड़ी) में रहने से दुर्घटना होती है।



यह हास्यास्पद तो है, पर कहीं न कहीं हम यह हंसी स्वयं पर ही कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की घटना के जिम्मेदार हम स्वयं ही हैं। जब तक हम इन चीजों में सुधार नहीं करते, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। इन घटनाओं से बचने के लिए भाषा पर अपनी पकड़ के साथ सटीक अनुवाद भी की जाने की आवश्यकता है। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं कि अंग्रेजी क्यों पढ़ी-लिखी जा रही है। दुनिया से अगर हमें कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है, तो हमें इसे सीखना ही होगा। पर जब अंग्रेजी हिंदी को प्रतिस्थापित करने लगती है, तो आत्म ग्लानि होने लगती है। मलयालम के प्रसिद्ध कवि वल्लतोल नारायण मेनन के अनुसार *“मातृभाषा माँ होती है, तो अन्य भाषा मौसी। मौसी अच्छी तो होती है, पर माँ का*

स्थान कदापि नहीं ग्रहण कर सकती।” वैसे, अगर आज हिंदी भाषा को राजकाज के रूप में सबसे ज्यादा कहीं अपनाये जाने की जरूरत है तो वह है न्याय के क्षेत्र में, यदि हम पूरी आपराधिक प्रक्रिया को समझकर उसमें अपना पक्ष दे नहीं पा रहे हैं, तो न्याय व्यवस्था का अर्थ ही क्या रह जाएगा। जब तक व्यक्ति अपना पक्ष हिंदी अथवा प्रादेशिक भाषाओं में नहीं रख सकेगा, तब तक अंग्रेजी की बीन बजती रहेगी। हालांकि, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में हिंदी में कार्यवाही करने के लिए विशेष जोर दे रहे हैं, पर अभी भी पटल पर काफी काम करना बाकी है। अंग्रेजी भले ही वैश्विक स्तर पर संवाद का माध्यम हो, पर भारत देश में आजादी के पूर्व से अबतक हिंदी की भूमिका उससे कहीं अधिक है, अतः इसे उसका उचित स्थान दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा यह अंग्रेजी लोकतंत्र की दीवारों में बसी रहेगी, और धीरे-धीरे हम अपने अस्तित्व से दूर जाते रहेंगे। रूस, चीन जैसे बड़े शक्तिशाली राष्ट्र भी अपनी भाषा साथ लेकर चलते हुए अंग्रेजी को अपनाते हैं, वो अपनी भाषा का साथ कभी नहीं छोड़ते, तो क्या यह हम भारतवासियों का दायित्व नहीं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में उसकी भाषा हिंदी को समुचित स्थान दे सकें। हिंदी को पल्लवित, पुष्पित करने की जिम्मेदारी हम सबकी ही है। आइये, हम सब इस जिम्मेदारी का अच्छे तरीके से निर्वहन करें एवं एक मजबूत लोकतंत्र को सुदृढ़ करें। तभी यह निम्नांकित पंक्तियाँ सार्थक हो पाएंगी;

“सारे देश की आशा है,
हिंदी अपनी भाषा है
जात-पात के बंधन को तोड़े
हिंदी सारे देश को जोड़े।”



श्री सोनू कुमार
कनिष्ठ अनुवादक

नारी तेरी कहानी



श्री अनूप कुमार सरकार
वरिष्ठ लेखापरीक्षक

नारी बेटा, नारी माता, चाची, बुआ आदि कहलाती है
इतनी सशक्त है नारी फिर भी आज अबला ही कहलाती है ॥
नवरात्रि के समय ही बस नारी पूजी जाती है
बाकी समय तो नारी सिर्फ खेल बन जाती है ॥

नारी शक्ति नारी दुर्गा नारी माँ कहलाती है अपने
बच्चों की खातिर वो कुछ भी कर जाती है
अपना घर, माँ, बाप अपना आंगन यहाँ
तक अपना सरनेम भी छोड़ आती है ॥
फिर भी नारी कभी पूजी नहीं जाती है
अपने दुःख छुपाकर वो सब सहती जाती है ॥

फिर भी अपने घर में पराई ही कहलाती है
ना ही कोई घर है उसका ना ही कोई मोल ॥
सबकी सेवा करते करते मिट जाता जीवन अनमोल
घर की जिम्मेदारी से लेकर बाहर के फर्ज भी निभाती है.. ॥

हर क्षेत्र में आगे बढ़कर अपना परचम लहराती है ॥
अब तो हम कह सकते हैं नारी तू अबला नहीं
माँ दुर्गा की रूप धारणी है ॥

तेरे कदमों में है धरती, तेरे हाथों में आसमान,
तेरी आज़ादी का सपना, अब होगा साकार ॥

तेरी हिम्मत, तेरी मेहनत, तुझसे ही है रौशनी,
तेरी आज़ादी का सपना, अब होगा साकार ॥

तू है बेटा, तू है बहन, तू है माँ की ममता,
तेरे बिना अधूरा जीवन, तुझसे ही है समर्पण ॥

तेरी आवाज़, तेरी पहचान, तुझसे ही है सम्मान,
तेरी आज़ादी का सपना, अब होगा साकार ॥

तू है नारी, तू है नायिका, तू है सबका सम्मान,
तेरे बिना अधूरा जीवन, तुझसे ही है मान
तेरे बिना अधूरा जीवन, तुझसे ही है मान ॥

समान नागरिक संहिता: परिचय, पृष्ठभूमि एवं इसकी आवश्यकता

समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - यूनिफार्म सिविल कोड) भारत के कानून नियमों के परिप्रेक्ष्य में एक प्रस्तावित विधिक ढांचा है जिसका उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को चाहे वे किसी भी धर्म से संबंधित हों; विवाह, तलाक, गोद लेने एवं उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत विषयों से संबंधित एक सार्वभौमिक कानून को संहिताबद्ध एवं लागू करना है।

पृष्ठभूमि

औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1835 में अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एकरूपता के विषय पर जोर देते हुए अपनी प्रस्तुत रिपोर्ट में विशेष रूप से सिफारिश किया कि हिंदू और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इस तरह के संहिताकरण से बाहर रखा जाए। बाद में औपनिवेशिक सरकार ने 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए बी.एन. राव समिति का गठन किया और इसका मसौदा बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रवर समिति को प्रस्तुत किया गया था जिस पर संविधान अपनाने के बाद 1951 में चर्चा हुई। बाद में इस विधेयक को 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के रूप में अपनाया गया था ताकि हिंदूओं, बौद्धों, जैनों और सिक्खों में वसीयत या इच्छारहित उत्तराधिकार से संबंधित कानून को संशोधित और संहिताबद्ध किया जा सके। हालांकि मुस्लिम, ईसाई और पारसी लोगों के लिये अलग-अलग व्यक्तिगत कानून थे। जब 1961 तक गोवा पुर्तगाली शासन के अधीन था, तब पुर्तगाली नेपोलियन कोड पर आधारित एक समान नागरिक संहिता वहां लागू की गई थी, जिसे गोवा ने पुर्तगाली शासन से मुक्त होने के बाद अपने सामान्य पारिवारिक कानून को बरकरार रखा, जिसे अब गोवा नागरिक संहिता के रूप में जाना जाता है। वहीं शेष भारत अपने धार्मिक या सामुदायिक पहचान के आधार पर विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों का पालन करता है। इसमें देश के विशिष्ट आदिवासी क्षेत्रों से सम्बंधित राज्यों में

अलग कानून अपनाए गए एवं उनकी संस्कृति को संरक्षण देने के उद्देश्य से कुछ विशिष्ट सुविधाएँ भी प्रदान की गईं। हालांकि, कानून में समरूपता लाने के उद्देश्य से विभिन्न न्यायलयों ने अक्सर अपने निर्णयों में समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करने पर जोर दिया है।

समान नागरिक संहिता के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क

राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता :- भारत कई धर्मों, रीति-रिवाजों और प्रथाओं वाला देश है। समान नागरिक संहिता देश को आजादी के बाद से अब तक की तुलना में अधिक एकीकृत करने में मदद करेगा। यह प्रत्येक भारतीय को उसकी जाति, धर्म या जनजाति के बावजूद, एक राष्ट्रीय नागरिक आचार संहिता तक लाने में मदद करेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में “धर्मनिरपेक्ष” शब्द सन्निहित है और यह इसी सिद्धांत को और बल प्रदान करेगा।

लैंगिक समानता की ओर कदम :

भारत में व्यक्तिगत कानून जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। हिन्दू, सिक्ख, जैन एवं बौद्ध समुदाय के लोगों को 1956 के हिन्दू व्यक्तिगत कानून के अधीन रखा गया जबकि मुस्लिम शरीयत कानून, 1937 का पालन करते हैं। समान नागरिक संहिता इस तरह के भेदभाव को समाप्त करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में मदद करेगी।

कानून प्रणाली का सरलीकरण और स्पष्टीकरण :

समान नागरिक संहिता कानून के अनुप्रयोग में निरंतरता सुनिश्चित करेगा क्योंकि यह सभी के लिए समान रूप से लागू होगा। यह कानून के अनुप्रयोग में भेदभाव या असंगति के जोखिम को कम करेगा। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि कानून के तहत सभी को समान अधिकार एवं सुरक्षा प्राप्त हो। इससे स्पष्टता भी बढ़ेगी, कार्यान्वयन में आसानी होगी और न्यायापालिका पर बोझ कम होगा, जिससे अधिक कुशल कानूनी प्रणाली सुनिश्चित होगी।

महिलाओं को सशक्त बनाना :

यह विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों जैसे बहुविवाह, असमान विरासत आदि में महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण और दमनकारी प्रथाओं को समाप्त करके लैंगिक न्याय और समानता सुनिश्चित करेगा।

समान नागरिक संहिता के विरोध में दिए जाने वाले तर्क विविध व्यक्तिगत कानून और प्रथाएं :

भारत के विविध कानूनों और प्रथाओं में सामंजस्य स्थापित करना जटिल है। विभिन्न समुदायों के भिन्न-भिन्न रीति-रिवाज होते हैं। इसके विरोधियों का यह भी तर्क है कि व्यक्तिगत कानून धार्मिक मान्यताओं से बने हैं। उनका कहना है, इनमें एकरूपता लाने से विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच तनाव हो सकता है। साथ ही, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होने के नाते अपने अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 29 एवं अनुच्छेद 30 के तहत अपने धर्म, संस्कृति और रीति-रिवाजों को पालन करने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25, किसी भी धर्म को मानने और प्रचार की स्वतंत्रता को संरक्षित करता है। समान नागरिक संहिता लागू करने से इन अनुच्छेदों का उल्लंघन होगा।

सांप्रदायिकता की राजनीति :

समान नागरिक संहिता की जटिलता और संवेदनशीलता के कारण कई विश्लेषकों का मत है कि इसकी मांग केवल सांप्रदायिकता की राजनीति के सन्दर्भ में की जाती है। इसकी सामग्री का भी वर्णन विशेष रूप से नहीं किया गया है जिस वजह से अल्पसंख्यकों में यह विश्वास फैल गया है कि यह उन पर समाज के एक विशेष वर्ग के विचार थोपने का एक तरीका है। किसी भी राजनितिक दल ने इस संहिता को हमेशा राजनीति से ओत-प्रोत तरीके से ही पेश किया है एवं इसमें नियमित तौर पर प्रतिबद्धता नहीं दिखाई है। लोगों के बीच यह विषय एक संवेदनशील और विभाजनकारी मुद्दे के रूप में देखा जाने लगा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न समूहों के बीच इस संहिता के दायरे, इसकी विषयवस्तु तथा स्वरूप को लेकर राजनीतिक दलों और हितधारकों के बीच कोई सहमति नहीं है। वस्तुतः इसे अब महज वोट बैंक की राजनीति तक ही सीमित कर दिया जा रहा है।

व्यावहारिक कठिनाइयां और जटिलताएं :

समान नागरिक संहिता को लागू करने में व्यक्तिगत कानूनों और प्रथाओं का मसौदा तैयार करना, संहिताबद्ध करना, सामंजस्य बनाना और तर्कसंगत बनाना जिससे सभी धर्मों, समुदायों के बीच मतभेद न बने, ऐसा करने में कई कठिनाइयां सामने आएंगी। ऐसा होने की वजह है परस्पर लोगों के बीच आम सहमति का अभाव। इस जटिलता को दूर करने के लिए सभी समुदायों के बीच सहमति स्थापित करना मुश्किल काम है।

जागरूकता एवं शिक्षा का अभाव :

भारत में बहुत से लोग व्यक्तिगत कानून या सामान्य कानून संबंधी अपने अधिकार और दायित्वों के बारे में नहीं जानते हैं। उन्हें समान नागरिक संहिता को अपनाने या अस्वीकार करने वाले अन्य देशों के अनुभवों के बारे में भी पर्याप्त जानकारी से अवगत नहीं कराया गया है। वे अक्सर सांप्रदायिक शक्तियों द्वारा फैलाई गई गलत सूचना या प्रचार से प्रभावित होते हैं।

आगे की राह :

भारत में हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाईयों, पारसियों के संहिताबद्ध व्यक्तिगत कानून का अनूठा मिश्रण है। सभी भारतीयों के लिए एक भी विधिक पुस्तक में कोई समान परिवार नियोजन संबंधी कानून मौजूद नहीं है, जो भारत में सह-अस्तित्व वाले सभी धार्मिक समुदायों के लिए स्वीकार्य हो। हालांकि उनमें से अधिकांश का मानना है कि समान नागरिक संहिता निश्चित रूप से वांछनीय है और यह राष्ट्रीयता को मजबूती प्रदान करने में मदद करेगा। राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए इसे एक भावनात्मक मुद्दे के रूप में उपयोग करने के बजाय, राजनीतिक और बौद्धिक नेताओं को आम सहमति बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए वे धर्म विशेष के सुधारकों, प्रचारकों के साथ व्यापक स्तर पर बातचीत कर सकते हैं। इसके साथ ही लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए सार्थक उपाय भी किये जाने चाहिए। सरकार को समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्त्व देने और संरक्षित करने के पहलुओं से निपटने के लिए संविधान के उद्देश्यों को संतुलित करने की आवश्यकता है और उन प्रथाओं को भी समाप्त करने की

आवश्यकता है जो लोगों के लिए, विशेष रूप से महिलाओं के लिए अपमानजनक है। हम इसके लिए उत्तराखंड को एक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, हाल ही में, उत्तराखंड विधानसभा ने **उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक 2024** पारित किया है, जो स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह पारित विधेयक उत्तराखंड के सभी निवासियों (अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर) के लिए विवाह, तलाक और संपत्ति की विरासत पर एक समान नियमों एवं कानून का प्रस्ताव करता है, चाहे उनका धर्म या

आस्था कुछ भी हो। उत्तराखंड का यह कानून संविधान के अनुच्छेद 44 (राज्य नीति के निर्देशक तत्व) से संबंधित है, जो राज्य को पूरे भारत के क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। यह दर्शाता है कि समान नागरिक संहिता की राह इतनी भी जटिल नहीं है जितना हम सोचते हैं। अंततः इस संहिता का मूल उद्देश्य केवल यही होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार हो, जिसे करने में व्यक्तिगत कानून अब तक विफल रहे हैं।

संविधान सभा में लम्बी चर्चा के बाद 14 सितम्बर सन् 1949 को हिन्दी को **भारत की राजभाषा** स्वीकारा गया। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के सम्बन्ध में व्यवस्था की गयी। इसकी स्मृति को ताजा रखने के लिये 14 सितम्बर का दिन प्रतिवर्ष हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है।

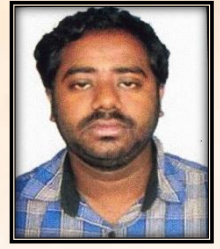
14 सितम्बर की शाम को संविधान सभा में हुई बहस के समापन के बाद जब संविधान का भाषा सम्बन्धी तत्कालीन भाग 14 क और वर्तमान भाग 17, संविधान का भाग बन गया तब डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने अपने भाषण में बधाई के कुछ शब्द कहे। उन्होंने कहा, "आज पहली ही बार ऐसा संविधान बना है जब कि हमने अपने संविधान में एक भाषा रखी है, जो संघ के प्रशासन की भाषा होगी। इस अपूर्व अध्याय का देश के निर्माण पर बहुत प्रभाव पड़ेगा"। उन्होंने इस बात पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की कि संविधान सभा ने अत्यधिक बहुमत से भाषा-विषयक प्रावधानों को स्वीकार किया। अपने वक्तव्य के उपसंहार में उन्होंने जो कहा वह अविस्मरणीय है। उन्होंने कहा-

यह मानसिक दशा का भी प्रश्न है जिसका हमारे समस्त जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। हम केन्द्र में जिस भाषा का प्रयोग करेंगे उससे हम एक-दूसरे के निकटतर आते जाएँगे। आखिर अंग्रेज़ी से हम निकटतर आए हैं, क्योंकि वह एक भाषा थी। अब उस अंग्रेज़ी के स्थान पर हमने एक भारतीय भाषा को अपनाया है। इससे अवश्यमेव हमारे संबंध घनिष्ठतर होंगे, विशेषतः इसलिए कि हमारी परम्पराएँ एक ही हैं, हमारी संस्कृति एक ही है और हमारी सभ्यता में सब बातें एक ही हैं। अतएव यदि हम इस सूत्र को स्वीकार नहीं करते तो परिणाम यह होता कि या तो इस देश में बहुत-सी भाषाओं का प्रयोग होता या वे प्रांत पृथक् हो जाते जो बाध्य होकर किसी भाषा विशेष को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। हमने यथासम्भव बुद्धिमानी का कार्य किया है और मुझे हर्ष है, मुझे प्रसन्नता है और मुझे आशा है कि भावी संतति इसके लिए हमारी सराहना करेगी।



श्री सोनू कुमार
कनिष्ठ अनुवादक

प्रजातंत्र और भारत की विविधता में निहित एकता



श्री शुभोजीत दे
सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी

विविधता में एकता देश का प्रतीक है
एक अनोखा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान,
सब देशों से न्यारा मेरा प्यारा हिंदुस्तान,
समरसता के भाव से बढ़ता देश का है मान,
वेशभूषा संग भाषा का मेल देश की है शान,
सभ्यता संस्कृति हमारी देश की अलग है पहचान,
जहां से आती सौंधी खुशबू भारत के हम लाल,
विविधता में एकता का प्रतीक हमारा प्यारा हिंदुस्तान।
सत्य, अहिंसा, ईमानदारी जन-जन की है अमिट निशान,
हिंदी भाषा हिंदुस्तान को एकसूत्र में रखती है बांध,
कश्मीर से कन्याकुमारी तक साक्षर से निरक्षर तक,
प्रेम बंधुत्व की निर्मल धारा बहती रहती सदा यहां,
पवित्रता की मिशाल गंगा मईया है अपने पास,
हम जिनकी संतान वो भारत देश महान,
उस निर्मल धरती का करते अभिनंदन हर बार,
विविधता में एकता का प्रतीक हमारा प्यारा हिंदुस्तान।
यहां अपना पराया कोई नहीं करते है मां उपकार तेरा,
जहां ऊंच नीच का भेद नहीं, रहता है इसका भान सदा,
अमर जहां की काशी है हम वही के भारतवासी है,
जिसकी रखवाली करता पर्वतराज विराट है,
इंकलाब का नारा जहां रग-रग में सबके बसता है,
विविधता में एकता का प्रतीक हमारा प्यारा हिंदुस्तान।
सोने की चिड़िया कहलाता वही अपना देश महान है,
हरबार जन्म ले इस धरती पर करें मंगल गान यहां,
धर्मनिरपेक्षता है इसका मान, करते हमसब इनका सम्मान,
मातृभूमि पर शीश झुकाऊँ रखता हूं विश्वास,
विविधता में एकता का प्रतीक हमारा प्यारा हिंदुस्तान॥

प्रजातन्त्र और भारत के लोग

चाय की टपरी पर बैठा मैं हल्की-हल्की बारिश की बूंदों की नमी को शर्ट पर महसूस कर रहा था। बर्फ की जैसी ओस से लिपटी हवाएं त्वचा के साथ मन को भी ठंडक दे रही थी। उसी बीच एक चाय की टपरी के समानांतर बैठा मोची अपनी दुकान पर (सड़क के ठीक पास) जूते सिल रहा था। अचानक उसके पीछे से दो बच्चे जो शायद उस मोची के ही थे बारिश में खेलने लगे। बच्चों की उन अटखेलियों को देख मन को मौसम से भी ज्यादा ठंडक महसूस हो रही थी। शायद, बचपन की याद ताजा हो गई थी। उसी बीच जूते में जा रही ठंडक मुझे इस भौतिक संसार में रहने की याद दिला रही थी। क्योंकि जूते की बनावट ही ऐसी थी की जूते में हवा से पहले पानी ही पहुंचता था। शुद्ध भाषा में जूते नीचे से थोड़ी फटी हुई थी। जूतों से पहुंची ठंडक यह एहसास करवा रहा था कि स्कूल जाने का समय हो रहा है। बारिश के कारण लेट हो रहा था। मैं किसी भी कारण से स्कूल लेट नहीं पहुंचना चाहता था। आखिर जिस स्कूल में शिक्षक ही लेट से पहुंचे, उस स्कूल के विधार्थी समय पर कैसे पहुँच सकते हैं। समय के साथ बारिश बहुत तेज होती चली जा रही थी और मन स्कूल समय पर नहीं पहुँच पाने से परेशान हो रहा था।

कुछ देर बाद, बारिश हल्की होने पर, मैं स्कूल की ओर चल पड़ा। प्रार्थना शुरू हो चुकी थी। राष्ट्रगान खत्म होते ही मैं स्कूल के कार्यालय के तरफ अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए भागा। आखिरकार, आप तब तक लेट नहीं होते हैं, जब तक उपस्थिति पंजिका प्रिंसिपल महोदय के पास नहीं पहुँच जाती। कक्षा में, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बाद, पहुँचा, क्योंकि पहला विषय मुझे ही पढ़ाना था। राजनीति शास्त्र का विषय था एवं बच्चों को तार्किक रूप से राजनीति और जीवन के पहलुओं को समझाने की कोशिश करता। राजनीति और जीवन के पहलू दो ऐसे विषय जिससे छात्र अनभिज्ञ थे, और उनको समझाना मेरे लिए कोई पहली से कम नहीं था।

भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों को हमारे जीवन के उन पहलुओं से जोड़ते हुए कुछ लम्हें आपके

सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

अनुच्छेद 1: घर में रहने वाले लोगों के नाम एवं वें कहाँ से संबंध रखते हैं। जैसे की माता जी गया से है एवं पिताजी का पूरा परिवार कलकत्ता से है।

अनुच्छेद 2: बड़ों के पसंद से नए सदस्य का चुनाव एवं उनकी स्थिति का विवरण इस अनुच्छेद में मिलता है। यह अनुच्छेद भारतीय समाज में शादी में ब्याहे लड़की के समान है जिसमें मन से आना तो संभव है किन्तु इससे निकलना संभव नहीं है।

अनुच्छेद 3: इस अनुच्छेद के तहत बड़े बुजुर्ग आपको आपके अधिकार और उसके साथ अधिकार क्षेत्र की सीमा को बताते हैं। अतः आपको छूट तो है आपके मन के करने की लेकिन छूट की सीमा बांध दी गई है।

इसके बीच में ही एक छात्र उठ खड़ा होता है। आश्चर्य से मेरी ओर देखते हुए पूछता है कि क्या बड़े बुजुर्ग या माता-पिता इतने ही बुरे होते हैं और सिर्फ छोटों पर धौंस जमाते हैं।

शायद विषय बहुत गहरा हो गया था और मस्तिष्क अभी इन सभी चीजों को समझने के समानांतर अवस्था तक नहीं पहुँचा था। स्थिति को समझते हुए मेरा उत्तर (हल्के मुस्कान के साथ) यह रहा कि बड़े बुजुर्ग अपने अधिकार का उपयोग घर की बेहतरी और घर को सुशासित रखने के लिए करते हैं। बड़े बुजुर्ग भी कभी बच्चे थे, फिर वे टीनैजर हुए, इसके बाद प्रौढ़ और अंतिम पड़ाव बड़े-बुजुर्ग तक पहुँचे हैं। इस पूरे प्रक्रिया में उन लोगों ने जो ज्ञान और अनुभव अर्जित किया है उनका उपयोग ही वे घर को चलाने में करते हैं। इस तरह से देखें तो बड़े-बुजुर्ग आपको वो अनुभव दे रहे हैं जिसे आने वाले काल में आप लोग सीखेंगे। परंतु, जब भारत का संविधान अठारह वर्ष की आयु में हमें अपना भावी नेता (अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री, मुख्य मंत्री एवं राष्ट्रपति) चुनने का अधिकार प्रदान करता है तब घर के लोगों को भी हमें हमारे जीवन को जीने के लिए अपने विवेक का प्रयोग, कुछ शर्तों के साथ करने की भी अनुमति देनी चाहिए।

एक छात्र के आँखों से हस्तक्षेप की भावना छलक रही थी, पूछे जाने पर उसने बताया कि आपके शब्द घर में गुलामी और जीवन में बड़ों के हस्तक्षेप की ओर इशारा करते हैं किन्तु दूसरी ओर आप आजादी में भी कुछ शर्तों के साथ जैसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, इस तरह से, गुरुजी आपके शब्दों का चुनाव विरोधाभास प्रकट कर रहा है। शायद उस छात्र का मेरे शब्दों के चुनाव की तरफ इंगित करना सही ही था, क्योंकि हम कम शब्दों में शायद जीवन के इतने गहन विषय को इतनी कम समय में नहीं समझा सकते हैं। अतः अपने शब्दों के चुनाव को सही ठहराते हुए इस विषय पर कुछ समय और देना पड़ा, जो इस तरह है।

सद्बुद्धि, अधिकार एवं अनुभव वो तीन चीजें हैं जो मनुष्य को पृथ्वी पर पाए जाने वाले दूसरे प्रजातियों से अलग करती हैं। अपने अधिकार को सही तरीके से जानना एवं समझना एवं उसका प्रयोग अनुभव के आधार पर अपने एवं समाज की प्रगति के लिए करना ही एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य है। कुछ विषयों पर अनुभव बुजुर्गों के पास वर्तमान में ज्यादा है और आपके पास अभी नहीं है या कम है। अतः हमें अगर अपने जीवन में बदलाव के लिए वर्तमान में कुछ बड़ा कदम उठाना है तो अपने सद्बुद्धि एवं अधिकार का आत्मसात्करण बुजुर्गों के सद्बुद्धि, अधिकार एवं अनुभव के साथ करके ही करना पड़ेगा। विषय की अवधि की शेष का समय जान पड़ा जब घंटी की आवाज कानों तक पहुंची। मैं अगले कक्षा की ओर बढ़ा।

अगले दिन फिर वही चाय की टपरी और उसके पास खेलते वही दो बच्चे। टपरी के पास बैठा वह मोची जो शायद कुछ ख्यालों में खोया जान प्रतीत हो रहा था और शायद कुछ चिंतित था। मैं उसके पास गया और उसकी समस्याओं को जानने की कोशिश की। इस देश में शायद हर गरीब व्यक्ति की समस्या खाने-पीने की कम और बढ़ते समाज में अपने बच्चों को प्रस्थापित करने हेतु जूझने की लालसा से जुड़ी समस्या ही मुख्यतः ज्यादा होती है। पूछने पर पता चला कि पास के स्कूल (अंग्रेजी माध्यम) के प्राध्यापक बच्चों को विधालय में प्रवेश नहीं दे रहे हैं। कारण जानने पर पता चला कि उच्च वर्ग के बच्चे भी वहाँ पढ़ते हैं एवं उनके और उनके बच्चों के कपड़े मेल नहीं खाएंगे। रोजगार की स्थिरता नहीं

होने से शायद भविष्य में मासिक शूल्क भी मैं न भर पाऊँ। यह सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है कि प्रजातन्त्र में प्रजातन्त्र शायद कुछ विशेष वर्ग के लोगों के पास ही है। जो अपने ढंग से प्रजातन्त्र को परिभाषित और उपयोग करते हैं। खैर, इन सब को छोड़कर, मैं अपने विधालय की ओर बढ़ा। कक्षा में पहुँच कर मैंने अपने छात्रों से कुछ सवाल पूछे जो इस तरह हैं : -1. प्रजातन्त्र क्या है? 2. समाज में मनुष्य के लिए समानता (सभी को समान अधिकार) होनी चाहिए कि नहीं? 3. शिक्षा का अधिकार सभी को मिलना चाहिए कि नहीं? छात्रों द्वारा दिए गए कुछ जवाब उपरोक्त क्रम से कुछ इस तरह हैं: -

1. किसी ने कहा प्रजातन्त्र में सबको आजादी है। किसी ने कहा यह हमें गांधी और नेहरू द्वारा अंग्रेजों से छिन कर दिया गया है। किसी ने कहा प्रजातन्त्र वह बीमारी है जो सबको नहीं दी जा सकती। क्योंकि कुछ लोग इसके लायक नहीं हैं। विस्तार से जानने पर पता चला कि छोटे जात वालों को प्रजातन्त्र जैसी चीजें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे समाज का पतन हो जाएगा।
2. कुछ जवाबों से यह समझ में आया कि सभी मनुष्य एक कैसे हो सकते हैं, धोबी का लड़का और पंडित का लड़का एक समान कभी भी नहीं हो सकता। पंडित को जितना शस्त्रों का ज्ञान है उतना धोबी को सात जन्मों में भी नहीं हो सकता। उधर धोबी का लड़का भी बोल पड़ा कि मैं और पंडित का लड़का एक समान नहीं हो सकते हैं क्योंकि हम तो मूल नागरिक हैं और वो तो विदेश से आए हैं।

उपरोक्त जवाबों को सुनने के बाद, तीसरे प्रश्न का जवाब सुनने की शक्ति और इच्छा और शायद इच्छाशक्ति तीनों ही खत्म हो चुकी थी। विषय की अवधि की सीमा कान में पड़ने वाले घंटी की ध्वनि से जान पड़ी और मैं दूसरी कक्षा की ओर चला। अगले दिन, कुछ विशेष व्यक्तियों एवं महापुरुषों द्वारा उद्धरित मुख्य नारों को मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा जो कि कुछ इस तरह से है: -

1. लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं है, इसका मतलब है यह सुनिश्चित करना कि लोगों के वोट सुने जाएं - डॉ. बी.आर. अंबेडकर (यह सुनिश्चित करना कि

प्रार्थी मतदान के पश्चात लोगों के समस्याओं को सुने।)

2. लोकतंत्र का मतलब है सहिष्णुता। सहिष्णुता सिर्फ़ उन लोगों के प्रति नहीं जो हमसे सहमत हैं, बल्कि उन लोगों के प्रति भी जो हमसे सहमत नहीं हैं - जवाहरलाल नेहरू (मतदान के समय लोग अपना मत अपने प्रार्थी को देते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यदि उसका प्रार्थी हार गया है तो उनका कोई भी काम नहीं होगा, काम सभी का होगा चाहे उसने विजयी प्रार्थी को मत दिया हो या नहीं।)
3. "लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि अपनी पसंद व्यक्त करने वाले लोग बुद्धिमानी से चुनाव करने के लिए तैयार न हों। इसलिए, लोकतंत्र की असली सुरक्षा शिक्षा है।" - फ्रेंकलिन डी. रूजवेल्ट द्वारा
4. "जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक कानून द्वारा प्रदान की गई कोई भी स्वतंत्रता आपके लिए किसी काम की नहीं है।" - बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा

और बिना कुछ प्रश्न किए मैंने छात्रों से आग्रह किया कि आप ऊपर लिखे गए वक्तव्यों को बार-बार पढ़ें। कुछ देर बाद मैंने इस पर उन्हें समझाने की कोशिश की कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द प्रजातन्त्र सिर्फ़ शब्द मात्र नहीं है बल्कि प्रजातन्त्र देश को सुशासित एवं सुसंगठित ढंग से चलाने में सहायता करता है, क्योंकि उसके माध्यम से भारतीय दंड संहिता बनाई गई है जो कि सब पर बिना भेदभाव के समान रूप से लागू होता है। प्रजातन्त्र के माध्यम से आप यह भी सुनिश्चित करते हैं कि देश चलाने के लिए कौन सी पार्टी सही है या नहीं? और वोट के माध्यम से हम उनका चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से निर्धारित समय के लिए करते हैं। वंशवाद से देश का मुखिया नहीं चुना जाता है एवं संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के प्रदर्शन के आधार पर हम भारत के लोग उन्हें या किसी और को चुनते हैं।

तभी कक्षा में से एक बच्चा खड़ा होकर प्रश्न करने लगा कि गुरुजी संविधान हमें किस तरह के अधिकार एवं शक्तियां प्रदान करता है। थोड़ा उदाहरण देकर समझाएं।

संविधान हमें कुछ व्यक्तिगत तौर पर अधिकार एवं शक्तियां प्रदान करता है जिनमें से कुछ एक इस तरह हैं:

अनुच्छेद 13: जो कानून मौलिक अधिकार के अनुकूल नहीं है या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है उससे बचाव से संबंधित अधिकार इस अनुच्छेद में है।

अनुच्छेद 14 से 18: समाज में रह रहे लोगों को चाहे वह किसी भी वर्ग, समुदाय या जाति के हो, उन्हें समानता का अधिकार है। अतः जो अधिकार, सुविधाएं एक व्यक्ति को प्राप्त है वो स्वतः दूसरे को भी प्राप्त है।

अनुच्छेद 19 से 22: भारत में रहने वालों को आजादी से जीने एवं इस देश में अपने हिसाब से किन्तु संविधान एवं कानून के दायरे में जीवन यापन करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक इसी तरह-

अनुच्छेद 23 से 24: शोषण के विरुद्ध लड़ने का अधिकार, **अनुच्छेद 25 से 28 :** अपने-अपने धर्म को मानने का अधिकार, **अनुच्छेद 29 से 30:** सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, **अनुच्छेद 32:** संवैधानिक उपचार का अधिकार इत्यादि दिए गए हैं। इसी के साथ एक जरूरी अनुच्छेद 350 A जो की अपनी मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार भी भारत में रह रहे सभी भारतीयों को समान रूप से प्रदान करता है।

इस तरह से यह कहा जा सकता है कि जीवन जीने के लिए संसार में उपस्थित विभिन्न मानकों का संयोजन हमारे संविधान में संविधान निर्माताओं ने हमें निःशुल्क प्रदान किया है। जो यह बतलाता है कि शिक्षा का अधिकार एक मात्र ऐसा अधिकार है जो हमें यह शक्ति प्रदान करती है कि जीवन जीने के लिए जो प्रावधान संविधान में सुसज्जित किए गए हैं उनको समझने में शिक्षा ही हमारी एक मात्र सहयोगी है। इंदिरा गांधी जी के शब्दों में "प्रश्न करने की शक्ति समस्त मानव प्रगति का आधार है।" जो कि यह दर्शाता है कि आजादी का मतलब सिर्फ़ अंग्रेजों से आजादी नहीं है, बल्कि मुक्त विचार, मुक्त विचारों पर प्रश्न, तर्क संगत युक्तियाँ, संविधान पर सबका अधिकार (प्रस्तावना से) एवं संविधान पर सवाल (संविधान मौलिक अधिकार के विरोधी होने पर) (अनुच्छेद-32 से), लिखने की स्वतंत्रता, कुछ नया करने की स्वतंत्रता, अपने धर्म को समझने एवं उसे आत्मसात करने की स्वतंत्रता, अपने तरीके से रहने एवं खाने की स्वतंत्रता

इत्यादि से भी है।

शाम को घर लौटते समय मैं उस मोची के बच्चे के स्कूल की तरफ हो चला, वहाँ जाकर मैं प्रिन्सपल महोदय से मिला, अपने आने की विषय-वस्तु को समझाया। थोड़ी देर उन्होंने आनाकानी की। मुझसे छुटकारा पाने के लिए यह भी कहा कि इस विषय-वस्तु से मेरा कोई नाता नहीं है एवं यह स्कूल के नियमों के खिलाफ है और मुझे इस कारण से वहाँ से चले जाना चाहिए। मैं पूरी तैयारी करके गया था इसलिए जब मैंने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 में लिखित कुछ शब्दों जैसे कि प्रत्येक निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल के लिए अपनी प्रवेश स्तर की कक्षा में कम से कम 25% कमजोर और वंचित समूहों के बच्चों को प्रवेश देना अनिवार्य किया गया है, इसके साथ ही अनुच्छेद-14 जो कि अस्पृश्यता के निवारण से संबंधित है इसके बारे में भी शायद आप जानते ही होंगे प्रिन्सपल सर बोला, इतना सुनते ही प्रिन्सपल महोदय के पसीने छूटने लगे, शब्दों में गंभीरता और नमी आ गई जो कि मेरे प्रवेश करने के समय शायद कहीं शिमला या ऊंटी में छुट्टियाँ मना रहा था। चाय के साथ बिस्किट भी कुछ ही क्षण में मेरे सामने दिखाई पड़ी।

प्रिन्सपल महोदय ने यह आश्वासन दिया कि विषय को गंभीर रूप से देखा जाएगा और इसके लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनपर कार्यवाही की जाएगी (अतः यह विषय उनको आज ही जान पड़ा और इन सब चीजों के लिए कोई और जिम्मेदार है, गलतियों को छुपाने के लिए या हैन्डल करने के लिए इस तरह की हर छोटे-बड़े कार्यालय के प्रबंधन में इस तरह के लोग होते हैं और आज के जमाने में जिसको स्किल कहते हैं)। बच्चों को एडमिशन के संबंध में पूछने पर उन्होंने आश्चस्त किया कि एडमिशन हो जाएगा।

प्रजातन्त्र/स्वतंत्रता/गणतंत्रता का अर्थ जो कि प्रस्तावना में समाहित है विस्तृत रूप से मुझे अब ही पता चला, कि पीछे कोई कुछ भी गलत (संविधान एवं नियम-कानून के विरुद्ध) कर लें किन्तु विषय-वस्तु लोगों तक पहुँचने पर संविधान/नियम-कानून को मानना ही पड़ता है चाहे वह किसी भी वर्ग या समुदाय का हो। लेकिन उसके पहले हमें अपने से जुड़े विषय-वस्तु को संविधान एवं उसके

सहयोग से बनाए गए कानून के हिसाब से जोड़ना आना चाहिए।

चिनुआ अचेबे एक नाइजीरियाई उपन्यासकार, कवि और आलोचक के शब्दों में "लोकतंत्र लागू करने में हर किसी की भूमिका महत्वपूर्ण है। और जब तक हर जिम्मेदार और कानून का पालन करने वाले वयस्क को, जाति, लिंग, रंग या पंथ की परवाह किए बिना, सरकार में अपनी अविभाज्य और अप्राप्य आवाज़ नहीं मिलेगी, तब तक सच्चा लोकतंत्र कभी नहीं होगा।"



श्री राकेश गुप्ता
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

भारत देश महान



सुश्री सोनिया
सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी

सिर पर हिमालय है इसका ताज,
हृदय में बहती नदियों की माला,
तीन दिशाओं में सागर है इसकी शान,
ऐसा है मेरा भारत देश महान।

रंग-बिरंगें फूलों के जैसे हिन्दू-मुस्लिम,
सिक्ख-इसाई है इसकी संतान,
वृक्षों में कलख करती कोयल,
खेतों में, लहलहाते फसल,
मिट्टी की सोंधी, खुशबू है इसकी पहचान,
ऐसा है मेरा भारत देश महान।

वीर-धीर-योगी ऋषि करते हैं;
सदियों से वास यहाँ,
माता-पिता की सेवा करते हैं;
पुत्र श्रवण कुमार यहाँ,
कर्मवीर कर्तव्य परायण हैं इंसान यहाँ,
ऐसा है मेरा भारत देश महान।

नेताजी की वीरता पर है शीश नमन और सम्मान,
लहराता तिरंगा है यहाँ हर घर की शान,
जान हथेली पर लेकर, वीर करते हैं
न्यौछावर प्राण....
ऐसा है मेरा भारत देश महान।

जीवन में शिक्षा का महत्व

शिक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। शिक्षा के बिना हमारा जीवन पशु के समान है। जीवन में आगे बढ़ने तथा सफलता पाने के लिए शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा न केवल हमें सफल होने के लिए एक मंच प्रदान करती है बल्कि सामाजिक आचरण, शक्ति, चरित्र, तथा आत्म सम्मान भी देती है। शिक्षित होने से हम सामाजिक तथा मानसिक रूप से जागरूक होते हैं। शिक्षा हमारे अंदर आत्मविश्वास विकसित करती है तथा हमारे व्यक्तित्व निर्माण में भी मदद करती है। शिक्षा से स्वयं का ज्ञान प्राप्त होता है, समाज में सम्मान प्राप्त होता है, शिक्षा से ही एक बेहतर जीवन की कल्पना की जा सकती है।

शिक्षा हमारे बेहतर भविष्य का आधार होती है। शिक्षा मनुष्य की एक ऐसी संपत्ति होती है, जिसे कोई भी व्यक्ति छीन नहीं सकता। शिक्षा को सफलता की कुंजी भी कहा जाता है। शिक्षा हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करती है। शिक्षा हमें सही मार्गदर्शन देती है जिससे हम कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जा सकते।

व्यक्तिगत विकास: शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व और विश्वदृष्टि को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ज्ञान और कौशल प्रदान करती है जो व्यक्तिगत विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक है। शिक्षा के माध्यम से, व्यक्ति आलोचनात्मक रूप से सोचना, समस्याओं को हल करना और उचित निर्णय लेना सीखते हैं।

कैरियर के अवसर: शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण लाभ कैरियर के कई अवसर प्रदान करना भी है। शिक्षित व्यक्तियों को स्थिर नौकरी मिलने की अधिक संभावना होती है। उनके पास कैरियर विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुँच होती है और वे नौकरी के बाजार में बदलावों के अनुकूल होने के लिए सुसज्जित होते हैं।

सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता: शिक्षा को अक्सर सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता के प्रमुख चालक के रूप में देखा जाता है। यह विविध पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को अपनी सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति में सुधार करने में सक्षम बनाता है। शिक्षित व्यक्ति अपने

समुदायों और समाजों में सकारात्मक रूप से योगदान देने की अधिक संभावना रखते हैं।

जीवन की बढ़ी हुई गुणवत्ता: शिक्षा जीवन की उच्च गुणवत्ता से निकटता से जुड़ी हुई है। यह व्यक्तियों को स्वस्थ जीवन शैली जीने, अपनी भलाई के बारे में सोचने तथा प्रयास करने और आवश्यक सेवाओं तक पहुँचने में सक्षम बनाती है। शिक्षा सशक्तिकरण और स्वतंत्रता की भावना को भी बढ़ावा देती है।

समाज में योगदान: शिक्षित व्यक्ति समाज के विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और कला जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति में योगदान देते हैं। शिक्षा नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देती है, जिससे सामाजिक प्रगति और समृद्धि को बढ़ावा मिलता है।

संज्ञानात्मक विकास: शिक्षा संज्ञानात्मक क्षमताओं जैसे आलोचनात्मक सोच, समस्या-समाधान और विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ाती है। यह बौद्धिक जिज्ञासा और आजीवन सीखने को प्रोत्साहित करती है, जो तेजी से बदलती दुनिया के अनुकूल होने के लिए आवश्यक है।

शांति और सहिष्णुता को बढ़ावा देना: शिक्षा समझ, सहिष्णुता और विविधता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देती है। यह व्यक्तियों को रचनात्मक संवाद में शामिल होने, शांतिपूर्ण तरीके से संघर्षों को हल करने और एकजुट समुदायों का निर्माण करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करती है।

व्यक्तिगत संतुष्टि: इसके व्यावहारिक लाभों से परे, शिक्षा व्यक्तिगत संतुष्टि में योगदान देती है। यह नए अनुभवों, दृष्टिकोणों और आत्म-अभिव्यक्ति के अवसरों के द्वार खोलती है। शिक्षा व्यक्तियों को अपने जुनून को आगे बढ़ाने और सार्थक जीवन जीने के लिए सशक्त बनाती है। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन नहीं है; यह एक परिवर्तनकारी शक्ति भी है जो व्यक्तियों को सशक्त बनाती है, समाजों को समृद्ध बनाती है और वैश्विक प्रगति की ओर बढ़ाती है। शिक्षा के महत्व को अपनाने से व्यक्ति अपनी पूरी

क्षमता का उपयोग कर सकता है और एक बेहतर विश्व के निर्माण में सकारात्मक योगदान दे सकता है।



श्री राजेश चौधरी
डाटा एंट्री ऑपरेटर

अपनी मंजिल अपने हाथ

अभी दूर है मंजिल रूकना नहीं है
मुश्किलें आयेंगी हजार
झुकना नहीं है।

जो लोग कमजोर होते हैं वो
हमेशा किस्मत के भरोसे ही रहते हैं।
लेकिन जो खुद पर भरोसा करते हैं हर हाल में हर
मुश्किल में अपनी किस्मत को सवार लेते हैं।

अगर हिम्मत नहीं हारोगे तो उलझे रास्तों से भी
अपनी मंजिल को पाना मुश्किल नहीं होगा।
अपने आप पर इतना भरोसा रखो क्योंकि तुम्हारी
कामयाबी को तुम पर भरोसा है।

अभी जिन्दगी में धक्के हैं तो क्या हुआ हमें
कामयाबी जरूर मिलेगी क्योंकि हमारे इरादे पक्के हैं
किस्मत की लकीरों पर अब भरोसा करना छोड़ दिया है
जब इंसान बदल जाते हैं तो लकीरें क्या चीज है।

कामयाबी हासिल करने का मजा भी तभी आता है
जब जमाना आपको नाकामयाब और बेकार समझता हो
जिसने भी कामयाबी की अहमियत को जान लिया है
दुनिया ने उसी का दिल से सम्मान किया है

अभी तो शुरुआत है, हमने स्टेटस अभी पाया कहाँ है
अभी तो लिखना शुरू किया है, हमने दम दिखाया कहाँ है
तलाश मत करो अच्छे इंसानों की
खुद एक अच्छे इंसान बन कर दिखाओ।

प्रजातंत्र तथा भारत की विविधता में निहित एकता

भारत, विश्व का एकमात्र ऐसा अनोखा देश है जो संगीत, रंग, भाषा, धर्म, संस्कृति और जीवनशैली की अद्वितीय विविधता से भरपूर है। इस विविधता के बीच एक महत्वपूर्ण और गहरा संबंध है, जो प्रजातंत्र और भारतीय समाज की एकता में निहित है।

प्रजातंत्र, जिसे "लोकतंत्र" भी कहा जाता है, एक राजनीतिक प्रणाली है जो लोगों को सशक्त बनाती है और उनके हितों की रक्षा करती है। भारत एक लोकतंत्र है, जिसमें नागरिकों को चुनाव द्वारा सरकार का चयन करने का अधिकार है। यह लोकतंत्र भारतीय समाज की एकता को स्थापित करता है क्योंकि यह हर व्यक्ति को समान रूप से सरकारी निर्णयों में भाग लेने के लिए समर्थ बनाता है।

भारतीय समाज में विविधता एक अद्वितीय और अमूल्य संस्पर्श का अनुभव है। यहाँ पर अनेक धर्म, भाषाएँ, संस्कृतियाँ, और जातियाँ हैं, लेकिन इस विविधता के बावजूद, भारतीय समाज में गहरी एकता का अनुभव होता है। समाज में अद्वितीयता का सम्मान किया जाता है और विभिन्न समुदायों के लोग साथ मिलकर रहते हैं। यहाँ पर एक एकीकृत सामाजिक और राष्ट्रीय भावना का अनुभव होता है, जो भारत को एक ऐतिहासिक और आधुनिक देश के रूप में संगठित करता है।

प्रजातंत्र और भारतीय समाज की विविधता में निहित एकता का एक गहरा संबंध है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास को समर्थ बनाता है। यह एक सामूहिक एवं आत्मगत उत्प्रेरणा का वातावरण प्रदान करता है जो समृद्धि और समरसता के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने में मदद करता है। इसीलिए, प्रजातंत्र और भारतीय समाज की विविधता में निहित एकता एक संवैधानिक, सांस्कृतिक, और राजनीतिक स्थिति है जो देश को विश्व स्तर पर अग्रणी बनाती है।

अतः प्रजातंत्र तथा भारत की विविधता में निहित एकता को निम्नलिखित माध्यम से देखा जा सकता है:

1. संविधान: भारत का संविधान एकता का महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो सभी नागरिकों को समानता और न्याय की

गारंटी देता है।

भारतीय संविधान एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, जो हमारे राष्ट्र की आधारशिला के रूप में स्थापित हुआ। इसकी स्थापना 26 जनवरी, 1950 को हुई थी और यह भारतीय गणराज्य का संविधान है। संविधान का यह महत्वपूर्ण दस्तावेज न केवल हमारे कानूनी और संवैधानिक व्यवस्था की धारा है, बल्कि यह हमारे समाज के आदर्शों, मूल्यों और नैतिकता का प्रतिबिम्ब भी है।

भारतीय संविधान एकता का महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है, क्योंकि यह सभी नागरिकों को समानता और न्याय की गारंटी देता है। संविधान ने हमारे देश के लोकतांत्रिक संरचना को सुनिश्चित किया है और नागरिकों को सशक्त बनाया है। इसमें व्यक्ति की मानवाधिकारों की रक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया गया है, जो हमारे समाज की एकता और समरसता के लिए अत्यंत आवश्यक है।

संविधान ने हमें सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक असमानताओं को दूर करने के लिए एक सामान्य प्लेटफ़ॉर्म प्रदान किया है। यहाँ तक कि समाज के सबसे छोटे और सबसे असहाय व्यक्ति तक को भी समानता का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान ने विभिन्न समुदायों और जातियों के बीच समानता और अधिकार के सिद्धांत को प्रोत्साहित किया है, जिससे हमारे समाज की अखंडता और समरसता की संरचना होती है।

संविधान के माध्यम से ही हम एक भारतीय समाज के लिए व्यापक समझौते कर सकते हैं, जो समाज के सभी सदस्यों को समर्पित होते हैं। यह एक संविधानिक दस्तावेज के रूप में नहीं, बल्कि हमारे देश की एकता और समरसता के सिद्धांत का प्रतिबिम्ब है।

इस प्रकार, भारतीय संविधान न केवल एक कानूनी दस्तावेज है, बल्कि यह हमारे राष्ट्रीय एकता और अद्वितीयता के साथ-साथ हमारे समाज की एकता और समरसता का भी प्रतीक है। इसने सभी नागरिकों को अपने मूलभूत अधिकारों की गारंटी दी है और उन्हें समानता और न्याय की अदालत में पहुँचने का मौका दिया है। इसलिए, हमारे देश की समृद्धि

और समरसता के लिए संविधान का महत्व अपार है।

2. सामाजिक विविधता में निहित एकता: भारत में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, और सांस्कृतिक विविधता एकता का स्रोत है।

भारत एक ऐसा देश है जहाँ सामाजिक विविधता का अद्वितीय संगम होता है। यहाँ पर विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, और संस्कृति के अनगिनत रूप आपस में मिल जाते हैं, जो भारतीय समाज की समृद्धि का प्रमुख स्रोत है। यहाँ पर हर राज्य, प्रांत और क्षेत्र में अपनी अलग-अलग पहचान और परंपराएँ हैं, जो इस देश को एक विशेष और समृद्ध राष्ट्र बनाती हैं। पहले तो, भारत में जाति व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ पर अनेक जातियाँ हैं जो अपनी-अपनी सामाजिक संरचना और विशेषताओं से प्रसिद्ध हैं। इन जातियों की संगठन की वजह से हमारे समाज में सामाजिक व्यवस्था और समरसता की संरचना बनी रहती है। जातिवाद के बावजूद, यहाँ पर जातियों के बीच संघीयता भी होती है जो समाज को एकजुट करती है। दूसरे तो, धर्म भारतीय समाज का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि धर्मों के अनुयायी रहते हैं, जो अपनी-अपनी धार्मिक प्रथाओं और संस्कृतियों के माध्यम से एक दूसरे को समझते और सम्मान करते हैं। धर्म भी एकता और समरसता का महत्वपूर्ण स्रोत है जो हमारे समाज को एक साथ बाँधता है। तीसरे तो, भारत में भाषाओं की विविधता भी अद्वितीय है। यहाँ पर हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, पंजाबी, गुजराती, ओडिया, कन्नड़, मलयालम आदि अनेक भाषाएँ विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती हैं। इन भाषाओं के माध्यम से ही भारतीय समाज की भिन्नता और एकता का परिचायक होता है। चौथे और अंतिम, संस्कृति भी भारतीय समाज की अद्वितीयता को प्रकट करती है। यहाँ पर विभिन्न रीति-रिवाज, त्योहार, संस्कृति और कला के अद्वितीय संगम को देखा जा सकता है जो हमारे समाज को समृद्ध और विविध बनाता है।

इस प्रकार, भारत में सामाजिक विविधता एकता का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके माध्यम से हम अपने समाज की एकता और समरसता को बढ़ाते हैं और विभिन्नता में भी एकता का संदेश प्रस्तुत करते हैं। इसलिए, भारतीय समाज

की विविधता ही उसकी शक्ति और समृद्धि का स्रोत है।

3. राजनीतिक विविधता में निहित एकता: चुनावी प्रक्रिया और संवैधानिक प्रक्रियाओं में भाग लेने का महत्व

राजनीतिक एकता एक समाज के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह समाज की सामूहिकता और सहमति को प्रकट करती है। भारतीय समाज में राजनीतिक एकता को बढ़ावा देने में चुनावी प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जहाँ नागरिकों को संवैधानिक प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। भारत में चुनावी प्रक्रिया एक बड़ा महान उत्सव होता है, जिसमें लोकतंत्र की ताकत और महत्व को दिखाया जाता है। हर पांच वर्ष में होने वाले चुनाव देश के नागरिकों को अपने नेताओं का चयन करने का मौका देते हैं। इन चुनावों में हर व्यक्ति को समान रूप से मतदान करने का अधिकार होता है, जिससे समाज में राजनीतिक एकता का माहौल बना रहता है। संवैधानिक प्रक्रियाओं में भाग लेने का यह अधिकार नागरिकों को एक मजबूत लोकतंत्र की ओर ले जाता है। चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने से लोग समाज के निर्णय में सक्रिय भागीदार बनते हैं और उनकी भागीदारी राजनीतिक निर्णयों को बल प्रदान करती है। इससे उनका विश्वास और सहमति प्राप्त होती है कि उनके द्वारा चुने गए नेताओं द्वारा उनके हित में समान रूप से कार्य किया जाएगा। चुनावी प्रक्रिया समाज में राजनीतिक एकता को स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ पर सभी नागरिकों को एक समान अवसर मिलता है अपनी राय व्यक्त करने का, जिससे समाज में समानता और न्याय की भावना मजबूत होती है। चुनावी प्रक्रिया द्वारा ही राजनीतिक प्रक्रियाओं को संवैधानिक रूप से स्थापित किया जाता है और लोकतंत्र की मूलभूत ताकत को प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार, भारत में चुनावी प्रक्रिया और संवैधानिक प्रक्रियाओं में भाग लेने का अधिकार राजनीतिक एकता को बढ़ावा देता है। यह एक मजबूत लोकतंत्र की नींव होती है, जिससे समाज में राजनीतिक और सामाजिक सहमति को बढ़ावा मिलता है। इसलिए, हमें यह समझना चाहिए कि चुनावी प्रक्रिया न केवल एक अभिन्न हिस्सा है, बल्कि यह हमारे समाज की एकता और सहमति

की मुख्य दिशा है।

4. सांस्कृतिक विविधता मे निहित एकता

भारत एक ऐसा देश है जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर विभिन्न धर्म, भाषा, जाति, सम्प्रदाय और क्षेत्रों में भिन्नताएँ होने के बावजूद, भारतीय सांस्कृतिक धरोहर उसकी एकता का प्रमुख स्रोत है। यह धरोहर हमें हमारे राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा प्रदान करता है और हमारे समाज को एक साथ लाने में मदद करता है।

भारतीय सांस्कृतिक धरोहर अत्यंत विविध और समृद्ध है। यहाँ पर हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य धर्म-सम्प्रदाय के लोग रहते हैं, जो अपनी-अपनी संस्कृति और धार्मिक प्रथाओं को मानते हैं। इन संस्कृतियों ने अपनी खास शैलियों, विशेषताओं और त्योहारों से भारतीय समाज को रंगीन और विविध बनाया है।

भारतीय सांस्कृतिक धरोहर में भारतीय कला, संगीत, नृत्य, शिल्पकला और साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में अपनी अलग-अलग कलाओं की परंपराएँ हैं, जो हमारे समाज की एकता और समरसता का स्रोत बनती हैं। उदाहरण के लिए भारतीय शास्त्रीय संगीत, कथक नृत्य, भारतीय शिल्पकला, तंत्र कला, अथवा भारतीय चित्रकला आदि ने विश्व की सांस्कृतिक विरासत में अपनी विशेष पहचान बनाई है।

भारतीय सांस्कृतिक धरोहर न केवल भारत में, बल्कि विश्व भर में भी महत्वपूर्ण है। यह धरोहर हमारी अत्यंत समृद्ध और विविध भारतीय पहचान का स्तंभ है, जो हमें एक साथ लाकर देश की एकता और समरसता को बढ़ाने में मदद करती है। इसे सुरक्षित रखने और बढ़ाने के लिए हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति सदैव समर्पित रहना चाहिए।

इस प्रकार, सांस्कृतिक धरोहर भारतीय समाज की विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह हमारे समाज के अनुभवों, अभिव्यक्तियों और अद्वितीयताओं को एक समृद्ध स्थान प्रदान करती है। इसके माध्यम से हम अपने राष्ट्रीय और सांस्कृतिक भावनाओं को सुरक्षित रखते हैं और आगामी पीढ़ियों को भी यह विरासत प्राप्त करने का मौका देते हैं।

5. भाषाई विविधता मे निहित एकता

भारत एक ऐसा देश है जहाँ भाषाओं की विविधता और समृद्धता है। यहाँ पर अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं और हर भाषा अपनी विशेषताओं, भावनाओं और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा मानने के साथ-साथ, भारतीय समाज में अन्य भाषाओं के सम्मान का परिप्रेक्ष्य बना रहता है।

हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार करने का निर्णय एक महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति का प्रतीक है। इससे हिंदी को देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और समरसता का प्रतीक माना जाता है। हिंदी की अपनी भूमिका है लेकिन यह भारतीय समाज में अन्य भाषाओं के सम्मान को भी प्रोत्साहित करती है।

भारत में अनेक भाषाओं की सम्मान और सम्बोधन के लिए विभिन्न कानूनी व्यवस्थाएँ हैं। विभिन्न राज्यों में अपनी-अपनी प्रादेशिक भाषाएँ मान्यता प्राप्त हैं और उनका विकास, प्रचार-प्रसार और उनकी संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान है। इसके अलावा, सरकार द्वारा विभिन्न भाषाओं में शिक्षा, संगठनों में उपलब्धता और सरकारी कार्यों में समानता के लिए नीतियाँ बनाई गई हैं।

इस प्रकार, हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार करने के साथ-साथ, भारतीय समाज में भाषाओं की विविधता और सम्मान का प्रतिनिधित्व किया जाता है। इससे समाज में भाषाई एकता की महत्वपूर्ण भावना को स्थापित किया जाता है और सभी भाषाओं के लोगों को एक साथ लाने में मदद मिलती है। इसलिए, हमें अपनी भाषाओं के प्रति सम्मान और सहमति बनाए रखने के लिए सदैव समर्पित रहना चाहिए।

6. धर्मनिरपेक्षता: भारत के धार्मिक विविधता का संरक्षक

भारत एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विविधताओं से परिपूर्ण देश है, जहाँ हर कोने में धार्मिक विविधताएँ देखने को मिलती हैं। इस धार्मिक विविधता के बीच एक महत्वपूर्ण सिद्धांत और मूल्य है - धर्मनिरपेक्षता। यह न केवल एक विचार बल्कि भारतीय समाज की आत्मा और इसके लोकतांत्रिक ढांचे का आधार है।

धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राजनीति और सरकार धार्मिक मुद्दों पर निर्णय लेते समय धर्म से अलग रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि समाज में धर्म को अनदेखा किया जाए, बल्कि यह शिक्षा देता है कि सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान और स्वतंत्रता प्राप्त है। धर्मनिरपेक्षता धार्मिक स्वतंत्रता का एक प्रमुख स्तर होता है, जहां व्यक्ति के विचारों और धार्मिक प्राथमिकताओं का सम्मान किया जाता है बिना उसे किसी भी प्रकार के निर्देशन या दबाव के।

भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षता का मूल अनुभव किया जा सकता है। हमारे संविधान ने इसे एक मौलिक अधिकार और भारतीय जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। इसके बिना हमारा समाज इस प्रकार की विविधता और एकता को सम्मानित नहीं कर सकता है जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर में गहरी नींव रखती है।

धर्मनिरपेक्षता भारतीय समाज को विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच एक साझी और उदार मानसिकता प्रदान करती है। यह एक संघर्षमुक्त माहौल बनाती है, जो धार्मिक विविधता को समर्थित करते हुए समाज के सभी सदस्यों को समानता और स्वतंत्रता की भावना से जोड़ती है।

धर्मनिरपेक्षता का अपना महत्वपूर्ण अनुभव भारतीय इतिहास में रहा है, जिसने हमें सिखाया है कि धार्मिकता और राजनीति को अलग अलग करना एक सशक्त और समर्थ राष्ट्र के लिए आवश्यक है। यह सिद्ध करता है कि हम सभी एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं और हमें एक-दूसरे की समझ और सम्मान के प्रति विशेष सावधानी और प्रेम दिखाना चाहिए।

इस प्रकार, धर्मनिरपेक्षता न केवल एक राजनीतिक नीति होती है, बल्कि यह भारतीय समाज की एकता और अखंडता के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत भी है। इसे बनाए रखना हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए, क्योंकि यह हमारी संस्कृति और समृद्ध समाज की मूल धारा को प्रकट करता है।

7. विज्ञान और प्रौद्योगिकी: भारत की विविधता और नवाचार

भारत, एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक देश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी विविधता और विशेषज्ञता

से प्रसिद्ध है। यहां की ऐतिहासिक और प्राचीन वैज्ञानिक धाराएँ और नवीनतम तकनीकी उपलब्धियां दुनिया भर में मान्यता प्राप्त हैं। भारतीय समुदाय और संस्कृति ने हमेशा ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी को समर्थन और प्रोत्साहन दिया है, जो नए नवाचारों की राह प्रशस्त करता है।

भारतीय विज्ञान की धारा बहुत ही प्राचीन है। वेदों में विज्ञान, गणित, नक्षत्रविज्ञान, और औषधि विज्ञान के उल्लेख हैं, जो उस समय की उत्कृष्टता और वैज्ञानिक गहराई को दर्शाते हैं। यह धारा अपने समय में विश्वसनीयता और उच्चता का प्रतीक थी। भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधानों में अत्यधिक वैज्ञानिक और तात्त्विक सोच का प्रदर्शन किया है, जिसने विश्व को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में मदद की है।

मौर्य साम्राज्य के समय में, भारत ने गणित में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिकों ने गणितीय सिद्धांतों और नक्षत्रविज्ञान की अद्वितीय विधाओं में अद्वितीय योगदान किया। वे अपने कार्यों से सदैव याद किए जाते हैं और उनका प्रभाव विज्ञान जगत में अभी भी अनुभव किया जाता है।

भारत वर्तमान में भी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी अनुपम विविधता और नवाचार को प्रशस्त करता है। आधुनिक भारतीय वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता विभिन्न क्षेत्रों में अपने अनुसंधानों और आविष्कारों से प्रमुख हैं। इन्हें उनकी उच्चतम स्तरीय विशेषज्ञता के लिए सम्मानित किया गया है, जिसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने मार्गदर्शक योगदान को प्रमोट किया है।

भारतीय वैज्ञानिक समुदाय ने अनेक विश्वस्तरीय आविष्कार और प्रौद्योगिकी में अमूल्य योगदान दिया, जैसे कि चंद्रयान मिशन, मंगलयान मिशन, आईआईटी के नवाचार, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो-तकनीकी, आदि। ये उत्कृष्ट उपलब्धियां भारतीय समुदाय के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की महत्ता को दर्शाती हैं और भारत को विश्व के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी मानचित्र में महत्वपूर्ण स्थान पर ले आती है।

इस प्रकार, भारतीय समुदाय ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी विशेष ऊर्जा, विविधता और अद्वितीय योगदान के माध्यम से एक प्रेरणास्त्रोत बनाया है।

8. खाद्य और वस्त्र विविधता मे निहित एकता: भारतीय समाज में एकता का प्रतीक

भारत एक ऐसा देश है जो अपनी खाद्य और वस्त्र की विविधता के कारण भी प्रसिद्ध है। यहां के खाद्य और वस्त्र विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाते हैं जो समाज में एकता का महत्वपूर्ण प्रतीक है। इन दोनों क्षेत्रों में विविधता और समृद्धता देखने को मिलती है जो भारतीय समाज की सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है।

खाद्य (Food): भारतीय खाद्य संस्कृति अपनी विविधता और रसोई की अनुपम संख्या के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय भोजन में विभिन्न प्रांतीय विशेषताएं, स्वाद, और पदार्थ होते हैं जो इसे विशेष बनाते हैं। उत्तर भारत में रोटी, साग, दाल, और चावल की परंपरा है, जबकि दक्षिण भारत में डोसा, इडली, सांभर जैसे खास व्यंजन प्रसिद्ध हैं। पश्चिमी भारत में गुजराती, महाराष्ट्रीयन, और पंजाबी व्यंजनों का समृद्ध परिचय होता है। इसके साथ ही, पूरे देश में विभिन्न स्वादिष्ट विशेषताओं वाले खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं, जो भारतीय भोजन को और भी रमणीय बनाते हैं। भारतीय खाद्य में सामाजिक और सांस्कृतिक साझेदारी का महत्वपूर्ण रोल होता है।

बड़े सामाजिक और पारिवारिक अवसरों में खाद्य का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जहां लोग एक साथ बैठकर अपनी संबंधों को मजबूत करते हैं और सामाजिक बंधन बढ़ाते हैं। विविधता में भी एकता होती है, क्योंकि यहां अलग-अलग क्षेत्रों के लोग एक-दूसरे के विशेष व्यंजनों को स्वीकार करते हैं और इसे समृद्धता का प्रतीक मानते हैं।

वस्त्र (Clothing): भारतीय वस्त्र संस्कृति भी अपनी विविधता और धार्मिक, सामाजिक, और भौतिक परिवेश के अनुसार विशेषता प्राप्त करती है। प्रत्येक प्रांत में अपने विशेष स्थानीय परिधान होते हैं जो उसकी संस्कृति और परंपराओं को दर्शाते हैं। उत्तर भारत में लोग शाल, कुर्ता, पगड़ी, आदि पहनते हैं, जबकि दक्षिण भारत में धोती, साड़ी, और लंगा वनी जैसे परिधान प्रमुख होते हैं। पश्चिमी भारत में लोग शेरवानी, लेहंगा-चोली, और जीन्स-टी-शर्ट जैसे आधुनिक वस्त्रों को प्राथमिकता देते हैं। भारतीय वस्त्र समृद्धता और विविधता का प्रतीक है। इसे न केवल अपने देश में बल्कि

विदेशों में भी मान्यता मिलती है। भारतीय वस्त्र उनकी विशिष्टता और शैली के लिए प्रसिद्ध हैं, जो उनकी सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा है। इस प्रकार भारत में खाद्य और वस्त्र की विविधता एकता और समृद्धता का प्रतीक है।

9. राष्ट्रीय विविधता मे निहित एकता:

भारत एक विविध और समृद्ध देश है जो राष्ट्रीय एकता का महत्वपूर्ण प्रतीक है। यहां के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के लोग एक साथ काम करते हैं और एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय एकता के लिए समर्पित होते हैं। इस एकता ने देश को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और समाज में समरसता और समझदारी को बढ़ावा दिया है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई समृद्धताओं को एक साथ देखा जा सकता है।

यहां के विभिन्न राज्यों में अलग-अलग भाषाएं, संस्कृतियां और लोक संगीत व नृत्य परंपराएं हैं जो उसकी समृद्धता का प्रतीक है। इन विविधताओं के बावजूद, भारत में राष्ट्रीय एकता का भाव मजबूती से अपनी जड़ें जमाता है। इस प्रकार, भारतीय समाज की राष्ट्रीय एकता उसकी विविधता, समृद्धता और सांस्कृतिक विविधताओं में समाहित है। यह एक उदाहरण है कि विभिन्नताओं में एकता को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है और राष्ट्रीय एकता को कैसे स्थापित किया जा सकता है जो एक सशक्त और एकजुट देश की नींव होती है।

10. सांस्कृतिक उत्सव भारतीय समाज के विविधता का प्रतीक:

भारत एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर से युक्त देश है, जो अपनी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर विभिन्न सांस्कृतिक उत्सव हमें एक साथ लाने और उन्हें समर्थन देने का महत्वपूर्ण कार्य निभाते हैं।

ये उत्सव न केवल हमारी परंपराओं को प्रदर्शित करते हैं, बल्कि वे हमें विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों की सांस्कृतिक धरोहर को जानने और समझने का मौका भी प्रदान करते हैं।

पहले तो, भारतीय समाज में विविधता के प्रतीक के रूप में ये सांस्कृतिक उत्सव हमें बताते हैं कि हमारी समृद्ध

सांस्कृतिक विरासत की अमूल्य धरोहर को हम सभी को समर्पित करना चाहिए। जैसे कि होली, दीवाली, ईद, वैष्णव जन्मोत्सव, नवरात्रि आदि।

ये सभी उत्सव अपनी खासियतों में एकता, समर्पण, और सम्बंध की भावना को प्रकट करते हैं। उनमें से प्रत्येक उत्सव अलग-अलग प्रांतों और समुदायों में मनाया जाता है, लेकिन उनका संदेश एक ही है - समर्पण और एकता की भावना।

दूसरे, ये उत्सव भारतीय समाज के विभिन्न समुदायों को एक साथ लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें मनाने का तरीका और उनका महत्व समाज की एकता और समर्थन के साथ जुड़ा होता है।

अंत में, भारतीय सांस्कृतिक उत्सव हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लाते हैं - हमारी सांस्कृतिक विविधता का समर्थन और समर्पण। इन उत्सवों का सही अनुभव करके, हम अपनी अपनी विरासत के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं और एक-दूसरे के साथ अधिक मिलकर रहते हैं।

इस प्रकार, ये सांस्कृतिक उत्सव हमारे समाज को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से विश्वास कराते हैं कि सांस्कृतिक विविधता ही हमारी सशक्तता है।

11. राष्ट्रीय खेल भारत की विविधता और एकता को प्रमोट करने वाले महत्वपूर्ण माध्यम हैं।

भारत, जिसे अपनी सांस्कृतिक विविधता और भौगोलिक विविधता से परिचित किया जाता है, उसी प्रकार अपने खेलीय विविधता से भी अच्छी तरह से जाना जाता है।

भारतीय खेलों का इतिहास विचारने वाला हर व्यक्ति जानता है कि क्रिकेट, हॉकी, और कबड्डी जैसे खेल न केवल खेल के माध्यम से मनोरंजन प्रदान करते हैं, बल्कि वे राष्ट्रीय एकता और समर्पण के प्रतीक भी हैं।

पहले तो, क्रिकेट भारतीय खेल जगत में अत्यधिक लोकप्रिय है। यह खेल भारत के विभिन्न क्षेत्रों में खेला जाता है और लाखों लोगों को एक साथ लाता है। इसके माध्यम से, लोग अपनी पसंदीदा टीमों के लिए जीवन्त उत्साह और भावनात्मक जुड़ाव दिखाते हैं। क्रिकेट के महत्वपूर्ण मैच देशभर में एकता और समर्थन का संदेश देते हैं, जैसे की भारत-पाकिस्तान मैच।

दूसरे, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है और यहाँ तक कि भारतीय हॉकी टीम का इतिहास बहुत गौरवपूर्ण रहा है। हॉकी ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विजेता बनाया है और लोगों के दिलों में राष्ट्रीय गर्व का भाव जगाता है। इस खेल ने भारत के खिलाड़ियों को एक विशेष पहचान दिलाने का कार्य किया है।

तीसरे, कबड्डी एक पारंपरिक भारतीय खेल है, जो मुख्य रूप से गाँवों और उनके आस-पास के क्षेत्रों में खेला जाता है। इस खेल में खिलाड़ियों की दृढ़ता और सामूहिक खेलने की क्षमता को महत्वपूर्ण माना जाता है। कबड्डी महिलाओं और पुरुषों दोनों के बीच लोकप्रिय है और यह खेल खेलने वालों के बीच एक मजबूत संबंध बनाता है।

इन सभी खेलों में, विभिन्न क्षेत्रों, जातियों, और समुदायों के लोग एकता और सहयोग की भावना को समर्थन देते हैं। खेल मनोरंजन के साधन के साथ समाज में समर्थन, सम्मान, और संबंधों को मजबूत करने का माध्यम होता है। इसके अलावा, ये खेल खिलाड़ियों में नेतृत्व कौशल, अनुशासन, और अन्य महत्वपूर्ण गुणों का संचार करते हैं जो उन्हें जीवन में भी अग्रणी बनाते हैं।

इस प्रकार, भारतीय राष्ट्रीय खेल न केवल खेलीय माध्यम के रूप में महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ये हमारी विविधता, एकता, और सामूहिक भावना को प्रदर्शित और प्रमोट करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन खेलों के माध्यम से हम अपनी एकता और संगठनशीलता को मजबूत करते हैं और राष्ट्रीय गर्व को महसूस करते हैं।

12. स्थानीय समृद्धि समाज की एकता को स्थानीय स्तर पर मजबूत करने वाले कार्यक्रम और परियोजनाएं

समाज की स्थानीय समृद्धि एक महत्वपूर्ण मापदंड है, जिसमें समाज के सभी वर्गों और समुदायों का समर्थन और सहयोग शामिल होता है।

स्थानीय समृद्धि कार्यक्रम और परियोजनाएं समाज को संगठित और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं और साथ ही साथ एकता के भाव को स्थानीय स्तर पर मजबूत करती हैं।

पहले तो, स्थानीय समृद्धि कार्यक्रम समाज के अन्योन्य संबंधों को मजबूत करते हैं। ये कार्यक्रम और

परियोजनाएं विभिन्न समुदायों के बीच विश्वास, समझौता और सहयोग को बढ़ाते हैं जो समाज के सभी वर्गों के लोगों को एक साथ लाने का अवसर प्रदान करते हैं और उनके बीच साझेदारी का माहौल बनाते हैं। इससे लोग एक दूसरे के साथ अधिक मिलते-जुलते हैं और समाज में सामूहिक भावना बढ़ती है।

दूसरे, ये कार्यक्रम समाज के सदस्यों को सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। स्थानीय समृद्धि परियोजनाओं में लोग साथ मिलकर विभिन्न समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं और इस प्रक्रिया में उनके बीच एक सामाजिक और सांस्कृतिक आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इस तरह, ये परियोजनाएं समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं और लोगों में स्वार्थ के बजाय समाज की

हितैषी भावना को बढ़ाती हैं।

इस प्रकार, स्थानीय समृद्धि कार्यक्रम और परियोजनाएं समाज की एकता को स्थानीय स्तर पर मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये कार्यक्रम और परियोजनाएं समाज के सभी सदस्यों के बीच सहयोग, समर्थन, और सम्बंधों को बढ़ाते हैं और उन्हें अपने समूह के प्रति समर्पित बनाते हैं। इस प्रकार, स्थानीय समृद्धि के इन कार्यक्रमों और परियोजनाओं का समुदाय के विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान होता है।

अतः यह कहा जा सकता है कि उपर्युक्त कारण ही प्रजातंत्र तथा भारत की विविधता में निहित एकता में जान फुंकने का काम कर रही है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 'राजभाषा' के निम्नलिखित लक्षण बताए थे-

1. प्रयोग करने वालों के लिए वह भाषा सरल होनी चाहिए।
2. उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का आपसी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार हो सकना चाहिए।
3. यह जरूरी है कि भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हों।
4. राष्ट्र के लिए वह भाषा आसान होनी चाहिए।
5. उस भाषा का विचार करते समय किसी क्षणिक या अल्प स्थायी स्थिति पर जोर नहीं देना चाहिए।

भारत के सन्दर्भ में, इन लक्षणों पर हिन्दी भाषा बिल्कुल खरी उतरती है।



श्री सुजय प्रसाद
लेखापरीक्षक

अलग-अलग सब, फिर भी हम एक



श्री प्रदीप कुमार पात्र
वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी

अलग-अलग भाषाएँ हमारी अलग-अलग जातियाँ;
अलग-अलग भावनाएँ, और अलग-अलग बतिया।
विचारधारा अलग-अलग, और अलग-अलग हैं धर्म;
अलग-अलग कार्यकारण, अलग-अलग सब कर्म।।

अलग-अलग सपने सबके, उम्मीदें भी अलग-अलग;
अलग-अलग पाना-खोना, हँसना-रोना अलग-अलग।
अलग-अलग सुख-दुःख सभी व जीवन की रूप-रंग,
यह जिंदगी जीने के लिए, अलग-अलग सबके जंग।।

अलग-अलग हैं नदी-सागर, मरु, जंगल और पहाड़;
अलग-अलग गांव-शहर, अलग-अलग वास-विहार।
अलग-अलग हैं वेश-भूषा और हमारे कृषि-त्यौहार;
अलग-अलग जीत होती, अलग-अलग होती है हार।।

अलग-अलग हैं आदर्श और अलग-अलग है नीति;
अलग-अलग रिवाज और अलग-अलग सब रीति।
अलग-अलग सूर-ताल और अलग-अलग सब गीत,
अलग-अलग सब पूजा-पार्वन, मुहब्बत-प्रेम-प्रीत।।

इतने सारे अलग-अलग सब और विविधता-वैचित्र्य;
फिर भी रहते साथ साथ हम, बनकर पड़ोसी-मित्र।
एकता ही है ताकत हमारी, तथा सुख-समृद्धि का सार,
'विविधता में एकता' यही वतन का वैशिष्ट्य हमार।।

सभ्यताओं की हजारों धाराएँ वतन हमारा अपनाते,
युग-युग से हम मिलते-जुलते व एकता के गीत गाते।
अलग-अलग सब फिर भी एक हैं, हमारी पहचान;
हजारों धाराएँ मिलते हुए, भारत मेरा बने महान।।

भारत: विविधता में एकता की प्रकृति

"भारत की विविधता उसकी आत्मा की गहराई को दर्शाती है, और उसकी एकता उसकी शक्ति को परिभाषित करती है।"

भारत विविधता में एकता का अद्वितीय उदाहरण है। यह देश अपने विशाल भूगोल, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, धार्मिक विविधता, भाषाई भिन्नता, और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। यहाँ की विविधता केवल एकता को नहीं दर्शाती, बल्कि यह भारतीय समाज की आधारशिला भी है।

I. भाषाई विविधता

भारत में भाषाई विविधता एक अद्वितीय और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। यह देश अनेक भाषाओं, बोलियों और लिपियों का घर है, जो भारतीय समाज की विविधता और एकता दोनों को प्रतिबिंबित करती है।

❖ भारत की प्रमुख भाषाएँ

भारत में संविधान द्वारा 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा दिया गया है। इन भाषाओं में हिंदी, बांग्ला, तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, असमिया, मैथिली, संथाली, कश्मीरी, नेपाली, कोंकणी, सिंधी, डोगरी, मणिपुरी, बोडो, और संस्कृत शामिल हैं। हिंदी और अंग्रेजी को संपर्क भाषा के रूप में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, जो लोगों को एक-दूसरे से संवाद करने में मदद करती हैं।

❖ क्षेत्रीय भाषाएँ और बोलियाँ

प्रत्येक राज्य और क्षेत्र की अपनी विशिष्ट भाषा और बोलियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, और बंगाल में बांग्ला मुख्य भाषा है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक भाषा की कई बोलियाँ भी होती हैं, जो स्थानीय क्षेत्रों में बोली जाती हैं। इन बोलियों में सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता के रंग दिखाई देते हैं।

❖ भाषाई समृद्धि का प्रभाव

भारत की भाषाई विविधता साहित्य, संगीत, कला और सिनेमा में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। विभिन्न भाषाओं में साहित्यिक कृतियाँ, जैसे कि तुलसीदास की रामचरितमानस (हिंदी), रवींद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि (बांग्ला), और

तिरुवल्लुवर की तिरुक्कुरल (तमिल) भारतीय साहित्य की समृद्ध धरोहर का हिस्सा हैं। इन कृतियों ने न केवल भारतीय साहित्य को समृद्ध किया है, बल्कि विश्व साहित्य में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

❖ एकता में विविधता

भाषाई विविधता के बावजूद, भारतीय समाज में आपसी समझ और सम्मान की भावना प्रबल है। शिक्षा और मीडिया के माध्यम से विभिन्न भाषाओं के लोगों को एक-दूसरे की भाषा और संस्कृति के बारे में जानने का अवसर मिलता है। इसके अलावा, भारतीय सिनेमा, विशेषकर बॉलीवुड, विभिन्न भाषाई समूहों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

❖ भाषा संरक्षण और संवर्धन

भारतीय संविधान और विभिन्न राज्य सरकारें भाषाई विविधता के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई कदम उठाती हैं। विभिन्न भाषाओं के साहित्य, कला और संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कार और अनुदान दिए जाते हैं। इसके साथ ही, शिक्षण संस्थानों में क्षेत्रीय भाषाओं को पढ़ाया जाता है ताकि नई पीढ़ी अपनी भाषा और संस्कृति से जुड़ी रह सके।

भारत की भाषाई विविधता उसकी सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह विविधता न केवल भारतीय समाज को समृद्ध बनाती है, बल्कि एकता की भावना को भी प्रबल करती है। भारतीय नागरिकों के बीच आपसी सम्मान और समझदारी की यह भावना ही भारत को एक सशक्त और महान राष्ट्र बनाती है।

II. धार्मिक विविधता

भारत में धार्मिक विविधता एक अद्वितीय और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है, जो विभिन्न धर्मों के सहअस्तित्व और आपसी सम्मान पर आधारित है। यह विविधता भारतीय समाज की आधारशिला है और उसकी एकता को मजबूत करती है।

❖ प्रमुख धर्म

भारत में कई प्रमुख धर्मों के अनुयायी पाए जाते हैं, जिनमें

हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, और पारसी शामिल हैं। प्रत्येक धर्म की अपनी विशिष्ट परंपराएँ, त्योहार, और धार्मिक स्थल हैं।

****हिंदू धर्म****: भारत का सबसे पुराना और प्रमुख धर्म है। यहाँ के अधिकांश लोग हिंदू हैं और देशभर में अनेक मंदिर हैं जैसे कि वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर, तमिलनाडु का मीनाक्षी मंदिर और ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर।

****इस्लाम****: भारत में दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ कई महत्वपूर्ण मस्जिदें हैं जैसे दिल्ली की जामा मस्जिद और हैदराबाद की मक्का मस्जिद।

****सिख धर्म****: पंजाब में उत्पन्न हुआ, और अमृतसर का स्वर्ण मंदिर सिख धर्म का प्रमुख तीर्थस्थल है।

****ईसाई धर्म****: केरल में सेंट थॉमस क्रिश्चियन्स और गोवा में चर्च ऑफ़ सेंट फ्रांसिस ऑफ़ असीसी जैसे महत्वपूर्ण चर्च हैं।

****बौद्ध धर्म****: बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर और सारनाथ जैसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल हैं।

****जैन धर्म****: जैन धर्म के प्रमुख तीर्थस्थल जैसे गुजरात का पालीताना और राजस्थान का रणकपुर मंदिर प्रसिद्ध हैं।

****पारसी धर्म****: पारसी समुदाय के लोग मुख्यतः मुंबई में बसे हुए हैं और वहाँ उनके प्रमुख आगार (फायर टेम्पल) हैं।

❖ धार्मिक सहअस्तित्व

भारत में धार्मिक सहअस्तित्व की लंबी परंपरा रही है। विभिन्न धर्मों के लोग एक-दूसरे के त्योहारों और धार्मिक आयोजनों में शामिल होते हैं।

उदाहरण के लिए, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, और बैसाखी जैसे त्योहारों को सभी समुदायों द्वारा मिलकर मनाया जाता है।

❖ धार्मिक विविधता का प्रभाव

धार्मिक विविधता ने भारतीय समाज को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाया है। कला, साहित्य, संगीत, और वास्तुकला में विभिन्न धर्मों के प्रभाव स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत, जिसमें हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत शामिल हैं, विभिन्न धार्मिक परंपराओं से प्रेरणा लेते हैं। धार्मिक साहित्य जैसे भगवद गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, धम्मपद, और जैन आगम ने भारतीय साहित्य को समृद्ध किया है।

❖ संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता

भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करने, प्रचार करने और उसे प्रसारित करने के लिए स्वतंत्र है। भारत की धर्मनिरपेक्षता की यह भावना सभी धर्मों के बीच समानता और न्याय सुनिश्चित करती है।

❖ समन्वय और एकता

धार्मिक विविधता के बावजूद, भारतीय समाज में समन्वय और एकता की भावना प्रबल है। धार्मिक सौहार्द और सहअस्तित्व की भावना भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विभिन्न धर्मों के बीच संवाद और सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कई धार्मिक और सांस्कृतिक संगठन सक्रिय हैं।

भारत की धार्मिक विविधता उसकी सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह विविधता न केवल भारतीय समाज को समृद्ध बनाती है, बल्कि एकता की भावना को भी प्रबल करती है। भारतीय नागरिकों के बीच आपसी सम्मान और समझदारी की यह भावना ही भारत को एक सशक्त और महान राष्ट्र बनाती है। धार्मिक विविधता में निहित यह एकता भारतीय समाज की अनूठी पहचान है।

III. सांस्कृतिक विविधता

सांस्कृतिक विविधता भारतीय समाज की सबसे महत्वपूर्ण और रोचक विशेषता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, आदिवासी समुदायों, धर्मों, और जातियों का आपसी संगम होता है। इसका परिणाम है कि भारत की सांस्कृतिक विविधता विश्व की सबसे अद्वितीय और विशाल विविधता में से एक है।

❖ विभिन्न संस्कृतियाँ

****भाषाएँ****: भारत में कई प्रमुख भाषाएँ हैं, जैसे कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, और असमीया। प्रत्येक भाषा अपनी विशेषताओं, साहित्य, और लोककला के लिए प्रसिद्ध है।

****लोक संस्कृति****: भारतीय लोक संस्कृति में अत्यधिक विविधता है। यहाँ विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों की लोक गाने, नृत्य, कला, और प्रथाएँ हैं जो उनकी विशिष्टता को दर्शाती

हैं।

****शैली और शैलीकार****: भारतीय साहित्य, कला, संगीत, और नृत्य में विभिन्न शैलियों का समावेश है। उदाहरण के लिए, हिंदी सिनेमा में बॉलीवुड, साउथ इंडियन सिनेमा, बंगाली सिनेमा, और मराठी सिनेमा में अलग-अलग शैलियाँ देखने को मिलती हैं।

****धरोहर और विरासत****: भारतीय संस्कृति में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों की विरासत अत्यधिक धनी है। यहाँ ताजमहल, खजुराहो, कोंकण, राजपूताना किले, और खण्ड-राजपुर का मंदिर जैसे ऐतिहासिक स्थल हैं।

❖ एकता और समन्वय

भारत की सांस्कृतिक विविधता उसकी एकता को मजबूत करती है। भले ही विभिन्न समुदायों के लोग अपने-अपने संस्कृति और धार्मिक विशेषताओं में विश्वास रखते हों, लेकिन वे सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के माध्यम से आपसी समझ, सहयोग, और समरसता को बढ़ावा देते हैं।

IV. सामाजिक और भौगोलिक विविधता

भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में विस्तृत समुद्र तट, पश्चिम में रेगिस्तान और पूर्व में घने वन हैं। इस भौगोलिक विविधताओं का प्रभाव भारतीय समाज पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। विभिन्न जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद, भारतीय समाज में आपसी सहयोग और सद्भावना की भावना बनी रहती है।

भारतीय ग्रामीण और शहरी समुदाय एक-दूसरे के पूरक हैं और एकता का प्रदर्शन करते हैं। सामाजिक और भौगोलिक विविधता एक समृद्धि का प्रतीक है जो हमारे समाज और पृथ्वी की समृद्धि को दर्शाती है। यह अंतरराष्ट्रीय समझौतों, सांस्कृतिक विविधताओं, विभिन्न जातियों, धर्मों, भाषाओं, और जीवनशैलियों के संगम का परिणाम है।

इसके अलावा, भौगोलिक विविधता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आधारभूत जलवायु, जलसंसाधन, वनसंपदा, और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों को संभालने में मदद करती है।

सामाजिक विविधता अनेक तरीकों से लाभदायक होती है। यह समृद्धि और नवाचार के जनन में मदद करती है, क्योंकि विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं से

आगे बढ़कर नए आदर्श और विचारों को स्वीकार किया जा सकता है। यह भी समाज में बृहत समरसता को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि लोग एक-दूसरे के साथ भिन्नताओं को समझते हैं और उन्हें समर्थन और सम्मान करते हैं।

भौगोलिक विविधता भी महत्वपूर्ण है। विविधता के रूप में, यह विभिन्न जलवायु और जलसंसाधनों को संरक्षित करने, बनाए रखने और प्रबंधित करने में मदद करती है। इसके अलावा, भौगोलिक विविधता से विभिन्न प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ अनुकूल रहने और उनके प्रभावों को संभालने में मदद मिलती है।

सामाजिक और भौगोलिक विविधता हमारे समृद्धशील और सशक्त समाज और पृथ्वी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनका समर्थन करने और संरक्षण करने के लिए हमें सामूहिक और व्यक्तिगत स्तर पर कदम उठाने की आवश्यकता है।

V. राजनीतिक व्यवस्था

राजनीतिक व्यवस्था एक राष्ट्र के शासन और प्रशासन की व्यवस्था होती है जो संविधान और कानूनों के माध्यम से स्थापित की जाती है। यह व्यवस्था संविधान, संवैधानिक संस्थाओं, राजनीतिक पार्टियों, सरकारी निकायों, न्यायिक प्रक्रियाओं, और नागरिकों के साथ संबंधित होती है।

राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य समाज की सुरक्षा, न्याय, और समानता को सुनिश्चित करना है। इसके माध्यम से लोगों को निर्णायक अधिकार, मौखिक और लिखित स्वतंत्रता, और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का अधिकार प्राप्त होता है।

राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से सरकार लोगों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में काम करती है। राजनीतिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक यह है कि यह विभिन्न सामाजिक समूहों और समुदायों के द्वारा विदेशी और घरेलू नीतियों पर प्रभाव डालने का माध्यम भी होती है। यह लोगों को उनकी आवाज को सरकारी प्रक्रियाओं के माध्यम से सुनाने का एक माध्यम भी है।

राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख समस्याओं में भ्रष्टाचार, नेताओं द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग और

न्यायपालिका की अधिकतम समय लगाने वाली प्रक्रियाओं की लंबाई शामिल होती है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए समाज के सभी वर्गों का सहयोग और सहभागिता आवश्यक है।

➤ निष्कर्ष

भारत में विविधता में एकता केवल एक नारा नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत वास्तविकता है। यह एकता विभिन्न संस्कृतियों,

भाषाओं, धर्मों और सामाजिक समूहों के बीच आपसी सम्मान और सहअस्तित्व की भावना पर आधारित है। यह विविधता ही भारत को विशेष बनाती है और इसे एक मजबूत, समृद्ध, और सामंजस्यपूर्ण राष्ट्र के रूप में स्थापित करती है। भारतीय समाज की इस अद्वितीयता को समझना और उसका सम्मान करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है।

प्रजातंत्र की महिमा

प्रजातंत्र की महिमा, हम सब का है गान,
सबके हित की सोच यहाँ, सबका है सम्मान।
जनता की आवाज़, सत्ता की है पहचान,
जनता के ही हाथ में, सत्ता की कमान।
समानता की राह पे, चलें कदम-कदम,
हर एक नागरिक यहाँ, है महत्वपूर्ण रत्न।
सहिष्णुता का दीप जलाएँ, भेदभाव को मिटाएँ,
मिलकर रहें हर हाल में, एकता को अपनाएँ।
विचारों की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार,
संविधान की रक्षा में, हम सब हैं तैयार।
लोकतंत्र की इस बगिया में, हर फूल है खिलता,
सबके मन में न्याय का, दीपक सदा जलता।
प्रजातंत्र के रक्षक हम, हर कदम उठाएँ,
राष्ट्र की उन्नति में, अपना फर्ज निभाएँ।
भारत माँ के आँगन में, हर दिन सजे त्योहार,
प्रजातंत्र की छांव में, खिलें सुखद बहार।
जय हो प्रजातंत्र की, जय हो भारत देश,
हम सब मिलकर गाएँ, एकता का संदेश।



सुश्री सुमन कुमारी
कनिष्ठ अनुवादक

प्रजातंत्र और हम



श्री अमित कुमार साह
कनिष्ठ अनुवादक

प्रजातंत्र का दीप जलाए,
हर दिल में उजियारा फैलाए।
जनता की ये शक्ति महान,
हर देश को बनाए महान।

संविधान की रचना सुंदर,
न्याय, समता की है अंबर।
लोकतंत्र की बगिया में फूल,
हर एक नागरिक बने मस्तूल।

स्वतंत्रता का गीत सुनाए,
जन-जन में उल्लास जगाए।
समान अधिकारों का सबक सिखाए,
प्रजातंत्र की राह दिखाए।

चुनाव का पर्व जो आए,
जनता अपना हक जताए।
नेता वही जो सेवा करे,
जनता की आवाज सुने, समर्पित रहे।

संवाद का हो दरिया गहरा,
हर मुद्दे पर हो विचार गहरा।
सहयोग से बढ़े कदम,
प्रजातंत्र की राह पर हर दम।

विविधता में एकता का संदेश,
प्रजातंत्र का यही उपदेश।
धर्म, जाति, भाषा से परे,
सबको मिले, न्याय का द्वार खुले।

प्रजातंत्र की छांव में बैठे,
हर एक नागरिक का दिल हर्षित।
मिलजुल कर बढ़े कदम,
हम सबका यही हो प्रण।

प्रजातंत्र की जय-जयकार,
हर दिल में हो इसका प्यार।
लोकतंत्र की ये बगिया खिलाए,
हर देश को समृद्ध बनाए।

आओ मिलकर ये प्रण करें,
प्रजातंत्र की रक्षा करें।
जनता की शक्ति को पहचाने,
हम सब मिलकर इसे सजाए।

जय प्रजातंत्र!
जय भारत!
लोकतंत्र की राह पर चलें,
हर दिल को खुशी से भरें।

प्रजातंत्र

अपनी अनेकानेक सीमाओं, संभावनाओं एवं गुण-दोष के बावजूद वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसके साथ ही भारत एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र बन गया। संविधान द्वारा प्रजातंत्र के आधारभूत सिद्धांत के अनुरूप नागरिकों को सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया।

प्रजातांत्रिक व्यवस्था प्रणाली जनता को अपना शासक चुनने और शासकों पर नियंत्रण बनाए रखने के अधिकार का संरक्षण करती है। प्रजातंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ईसा पूर्व पांचवीं शताब्दी के मध्य में तत्कालीन यूनानी नगर राज्यों की राजनीतिक व्यवस्था के सन्दर्भ में ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस द्वारा किया गया। डेमोक्रेसी अथवा प्रजातंत्र शब्द की व्युत्पत्ति पर ध्यान दें तो यह ग्रीक के डेमोक्रेटिका (Democratika) से उत्पन्न हुआ है। डेमोक्रेटिका दो शब्द डेमोस (Demos) एवं क्रेटोस (Kratos) से मिलकर बना है। इसमें डेमोस का अर्थ 'जनता' तथा क्रेटोस का 'शासन' है। अर्थात् जनता के द्वारा शासन। अतः प्रजातंत्र जनता या लोगों के 'शासन' का प्रतीक है। प्रमुख राजनीतिक विचारक अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई प्रजातंत्र की परिभाषा में भी उपरोक्त अवधारणा की पुष्टि हुई है- "प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है"।

राजनीतिक तौर पर प्रजातंत्र सरकार एवं शासन की एक पद्धति या प्रणाली मात्र है परन्तु सम्पूर्णता एवं सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो यह अपने आप में एक व्यापक संकल्पना है, एक विशिष्ट जीवन दृष्टि है। दरअसल अपनी व्यापक अर्थव्याप्ति में प्रजातंत्र स्वतंत्रता, समानता, सहभागिता, सामंजस्य, बन्धुत्व जैसे उदात्त मानवीय भावनाओं एवं मूल्यों - मान्यताओं पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का भी द्योतक है, जो जाति-धर्म, लिंग, रंग, सम्प्रदाय से इतर प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान महत्त्व तथा उन्नति प्रगति के समान अवसर उपलब्ध कराने के निमित्त कृत संकल्प है। मनुष्य के सर्वांगीण विकास तथा मानवीय

अधिकारों की रक्षा हेतु प्रजातंत्र के सामाजिक सन्दर्भों को छोड़कर उसे केवल राजनीतिक स्तर पर ही प्राप्त कर लिया जाए तो यह प्रजातंत्र की अधूरी उपलब्धि ही मानी जाएगी। प्रजातंत्र के सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अन्तर्गत पारिवारिक जीवन में भी हमारे संबंधों में यथासंभव प्रजातांत्रिक स्पेस होना चाहिए।

राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रजातांत्रिक व्यवस्था की व्यावहारिकता या कारगरता को जाँचने-परखने के तीन प्रमुख मानक या पैमाने निर्धारित किए गए हैं-

1. नियमित और निष्पक्ष चुनाव 2. प्रमुख नीतियों और नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा 3. सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करने का नागरिकों को सूचना का अधिकार। इनसे संलग्न प्रमुख संस्थानों और उनके व्यवहारों के आधार पर सत्तारूढ़ सरकार विशेष की जनतांत्रिक अथवा गैरजनतांत्रिक रवैये की समीक्षा की जा सकती है।

बदलते समय के साथ-साथ प्रजातंत्र के सिद्धान्त एवं व्यवहार में भी परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। 19वीं शताब्दी में प्रजातंत्र का अर्थ राजनीतिक समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय से संबद्ध था। वहीं 20वीं शताब्दी में प्रजातांत्रिक संक्रमण, प्रजातंत्र की चुनौतियों एवं प्रजातंत्र को पुनः स्थापित करने के लिए किए गए कई प्रमुख आन्दोलन तथा संघर्ष इसकी अपरिहार्यता एवं महत्ता को दर्शाते हैं। 21 वीं शताब्दी तक आते-आते उदारवाद, बहुलवाद, विश्व बन्धुत्व, वैश्वीकरण इत्यादि परिवर्तनों ने वैश्विक स्तर पर प्रजातंत्र को एक दृढ़ एवं अटल व्यवस्था के रूप में प्रतिष्ठित किया।

इतिहास साक्षी है कि देश-दुनिया में कहीं-कहीं प्रजातंत्र को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए समय-समय पर कठिन संघर्षों का सामना करना पड़ा है। प्रजातंत्र में सत्ता की शक्ति कानून या विधि द्वारा प्रतिपादित की जाती है लेकिन दुर्भाग्यवश अधिकतर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ही इनका स्वहित में गलत इस्तेमाल करते हैं तथा प्रजातंत्र का कानूनी मुखौटा बनाए रखते हुए, अपने आचार और व्यवहार में अधिकाधिक तानाशाही को चरितार्थ करते

हैं। प्रजातंत्र में चर्चा, विचार-विमर्श एवं आलोचना का विशेष स्थान होता है। प्रख्यात अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के विचारानुसार " The big thing that we know from John Stuart Mill is that democracy is government by discussion, and, if you make discussion fearful, you are not going to get a democracy, no matter how you count the votes".

किसी भी देश में प्रजातंत्र की व्यापक दुर्गति एक बहुत बड़ा कारण मीडिया का पक्षपातपूर्ण बर्ताव होता है, इसके साथ ही अशिक्षा, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, साम्प्रदायिकता, राजनीतिक हिंसा, सामाजिक - आर्थिक असमानता, पूँजी एवं

सत्ता की साँठ-गाँठ इत्यादि समस्याएँ प्रजातंत्र के समक्ष प्रश्नचिह्न लगाती हैं।

भारत जैसे विशाल देश में प्रजातंत्र के मार्ग में अनेकों चुनौतियाँ एवं बाधाएँ खड़ी हैं, इनको पहचानना और इन्हें पार करना निश्चय ही एक दुर्लभ कार्य है लेकिन भारत की चिरंजीवी प्रजातांत्रिक परम्परा को बनाए रखने के लिए हमें यह प्रयास करना ही होगा। कहना न होगा कि यह भारतीय जनमानस की प्रजातंत्र के प्रति गहन आस्था एवं प्रतिबद्धता ही है कि तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भारत में प्रजातंत्र शासन की गतिशीलता तथा निरन्तरता अद्यतन बनी हुई है।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

यह राजभाषा विभाग द्वारा निर्मित समिति होती है जो नगर स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य देखती है। सन् 1976 के एक आदेश के अनुसार इनका गठन किया गया। बड़े-बड़े नगरों में जहाँ केन्द्रीय सरकार के दस या उससे अधिक कार्यालय हैं, वहाँ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (नराकास) का गठन किया गया। समिति का गठन राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर भारत सरकार के राजभाषा सचिव द्वारा किया जाता है।

इसकी बैठकें वर्ष में दो बार होती हैं। इनकी अध्यक्षता नगर के वरिष्ठतम अधिकारी करते हैं। इन समितियों में नगर में स्थित सभी केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। वे अपने-अपने कार्यालयों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हैं और हिन्दी के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए सुझाव देते हैं। प्रारम्भ में ऐसे नगरों की संख्या सीमित थी, अब बढ़ती जा रही है। हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने में इन बैठकों से विशेष लाभ हुआ है। इस समय पूरे भारत में 500 से अधिक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ कार्य कर रही हैं।

सन् 1979 के आदेश द्वारा इसके कार्यों में विस्तार कर निम्नलिखित कर्तव्य निश्चित किये गये थे:

- ❖ राजभाषा अधिनियम/नियम और सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गये आदेशों और हिन्दी के प्रयोग से सम्बन्धित वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा,
- ❖ नगर के केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के सम्बन्ध में किये जाने वाले उपायों पर विचार,
- ❖ हिन्दी के सन्दर्भ सहित्य, टाइपराइटर्स, टाइपिस्टों, आशुलिपिकों आदि की उपलब्धि की समीक्षा,
- ❖ हिन्दी, हिन्दी टाइपिंग तथा हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार।



श्री वसीम मिन्हास
हिंदी अधिकारी

प्रजातंत्र : भारत के परिप्रेक्ष्य में

आज विश्व के प्रत्येक देश स्वयं को प्रजातांत्रिक कहलाने पर गर्वान्वित महसूस करते हैं। यदि कोई कहे कि वह एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र का नागरिक है तो उसे एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता है। आखिर प्रजातंत्र है क्या? यह प्रश्न प्रत्येक मन का प्रश्न होता है। प्रजातंत्र की कई परिभाषाएं समय-समय पर व्याख्यायित हुई हैं। इसमें मुझे सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की लगती है जिसके अनुसार "प्रजातंत्र जनता की, जनता के लिए एवं जनता के द्वारा शासन है।" सामान्य शब्दों में ऐसा शासन जिसमें शासन का मूल स्रोत प्रजा (जनता) हो एवं उसके चुने गए प्रतिनिधि प्रजा की ओर से शासन का प्रतिनिधित्व करते हों।

विश्व के कई ऐसे राष्ट्र हैं जो हैं तो प्रकृति में राजतांत्रिक किन्तु उनका शासन प्रजातांत्रिक है। उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन, नीदरलैण्ड, कनाडा जापान भूटान इत्यादि। यहां राजा या रानी नाममात्र के शासक हैं जबकि शासन की पूरी व्यवस्था संवैधानिक एवं जनतांत्रिक है।

भारत में प्रजातंत्र का इतिहास बहुत पुराना है। इसकी सभ्यता एवं संस्कृति विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में गिनी जाती है। भारत के महाजनपद इसके अमूर्त उदाहरण हैं। वैशाली महाजनपद का जनतंत्र इसका जीवंत उदाहरण है। चोल शासन के स्थानीय स्वशासन को भी प्रजातंत्र का एक उत्तम उदाहरण माना जाता है।

भारत के आधुनिक प्रजातंत्र की नींव अंग्रेजों के शासन के मध्य माना जाता है जब अंग्रेजी शासन के दौरान वायसराय की कार्यकारिणी परिषद् अथवा केंद्रीय विधान परिषद् जैसी संस्थाओं में भारतीयों का प्रवेश शुरू हुआ। परन्तु औपचारिक रूप से भारत में प्रजातंत्र का आगमन 26 जनवरी 1950 से माना जाता है जब भारत का संविधान लागू हुआ तथा 1952 में पहली बार चुनाव हुए। आज भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आज हम गर्व से कहते हैं कि भारत एक प्रगतिशील, समुन्नत एवं विशाल प्रजातांत्रिक देश है।

प्रजातंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि उसके शासन का प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति में स्वतंत्र होता है। यहां स्वतंत्र शब्द का अर्थ नैतिक तौर पर स्वतंत्र होता है। अतः नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए संविधान द्वारा प्रदत्त अपने प्रत्येक अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। सभी को अवसरों की समानता प्राप्त है तथा संवैधानिक रीतियों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भेद-भाव नहीं है।

भारत का प्रजातंत्र राज्य एक समन्वित प्रजातंत्र है। यहां सभी धर्मों का संभाव है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जो सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है। भारत का संविधान किसी भी क्षेत्र में धर्म को विषय के उपर सर्वोच्चता नहीं प्रदान करता है। यहां विभिन्न प्रकार के धर्म संस्कृतियों एवं विचारों का सह-अस्तित्व है। इस दृष्टि से हम यह कह सकते हैं कि यहां अनेकता में एकता है। इन्हें प्रजातंत्र के उत्कृष्ट गुणों के रूप में देखा जाता है।

यहां की अर्थव्यवस्था भी इसके प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है जिस कारण यहां की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहां सार्वजनिक एवं पूंजीवादी दोनों प्रकार के उद्यम देखने को मिलते हैं। सभी को वृद्धि का समान अवसर प्राप्त है। यहां समावेशी एवं सतत् प्रगतिशील अर्थव्यवस्था भी है। जिससे सार्वजनिक एवं पूंजीवादी उद्यम एक-दूसरे के गुणों का समावेश करते हैं।

भारत के प्रजातांत्रिक शासन का मूल स्रोत भारत का संविधान है। यह मानता है कि भारत का शासन भारत की जनता अर्थात् प्रजा में निहित है। यहां की जनता को वयस्क मताधिकार प्राप्त है। यहां अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक चुनाव की व्यवस्था है। लोग अपने पसंद के जनप्रतिनिधि को चुन सकते हैं तथा उनके द्वारा शासन को चलाया जाता है। इसके उपरांत चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर भी प्रजा का शासन कुछ इस प्रकार है कि यदि प्रजा आपसे संतुष्ट नहीं है तो अगले निर्वाचन में किसी अन्य प्रतिनिधि को चुन लेती है। इसलिए कहा जा सकता है कि भारत का प्रजातंत्र जनशक्ति परिपूर्ण

है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रजातंत्र शासन व्यवस्था का एक सर्वोत्तम स्वरूप है तथा वर्तमान में यह विश्व की सर्वमान्य शासन व्यवस्था है। इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय प्रजातंत्र विश्व की सबसे विशाल एवं विविधता से संपन्न प्रजातंत्र है।

राजभाषा संकल्प, 1968

भारतीय संसद के दोनों सदनों (राज्यसभा और लोकसभा) ने 1968 में 'राजभाषा संकल्प' के नाम से निम्नलिखित संकल्प लिया

1. जबकि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा का प्रसार, वृद्धि करना और उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, संघ का कर्तव्य है :

यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों एवं की जाने वाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखी जाएगी और सब राज्य सरकारों को भेजी जाएगी।

2. जबकि संविधान की आठवीं अनुसूची में हिंदी के अतिरिक्त भारत की 22 मुख्य भाषाओं का उल्लेख किया गया है और देश की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि इन भाषाओं के पूर्ण विकास हेतु सामूहिक उपाय किए जाने चाहिए:

यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के साथ-साथ इन सब भाषाओं के समन्वित विकास हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा ताकि वे शीघ्र समृद्ध हो और आधुनिक ज्ञान के संचार का प्रभावी माध्यम बनें।

3. जबकि एकता की भावना के संवर्धन तथा देश के विभिन्न भागों में जनता में संचार की सुविधा हेतु यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए गए त्रि-भाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णतः कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी उपाय किया जाना चाहिए :

यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा के, दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक को तरजीह देते हुए, और अहिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी के अध्ययन के लिए उस सूत्र के अनुसार प्रबन्ध किया जाना चाहिए।



श्री आशुतोष कुमार पाण्डेय
आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक

जनतंत्र में विविधता और एकता

भारत एक बहुत बड़ा देश है। यह अट्ठाईस राज्य और आठ केन्द्र शासित प्रदेश को लेकर गठित है। प्रत्येक राज्य लगभग भाषा को आधार बनाकर गठित की गई है। भारत के स्वाधीन होने के बाद समग्र देश को एकजुट करने के लिए देश में कई उत्तम प्रयास किए गए। भारत में लोकतंत्र की स्थापना हेतु भारत का संविधान तैयार किया गया था। आज भी इसके तहत भारत की शासन व्यवस्था चल रही है। राज्य, राज्य सरकार के द्वारा शासित होती है और केन्द्र, केन्द्र सरकार के द्वारा शासित होती है। केन्द्र शासित प्रदेश केन्द्र सरकार के द्वारा शासित होती है परंतु संपूर्ण रूप से नहीं। भारत में समस्त लोगों के भीतर बहुत विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। यहाँ लोगों के भीतर अनेक प्रकार के धर्मों, नस्लों, संस्कृतियाँ, भाषायें, जातियाँ, परिधान, उत्सव, रूप, रंग, आध्यात्मिकता, विचारधारा, जीवनशैली इत्यादि दिखाई देती है।

भारत में विभिन्न भाषाओं में लोग वार्तालाप करते हैं। समग्र भारत में लगभग 780 भाषायें लोगों के द्वारा बोली जाती हैं। इनमें से 22 भाषाएँ भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल हैं। यह हैं असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगू, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एवं डोगरी। उनके लेखन की शैली भी अलग-अलग होती है। एक भाषा बोलने वाले लोगों के द्वारा दूसरे की भाषा को समझना मुश्किल है। बिना सीखे दूसरे की भाषा को नहीं समझ सकते हैं।

मोटे तौर पर अंग्रेजी, हिंदी सम्पूर्ण भारत में बोली-समझी जाती है। हिंदी भारत की जातीय भाषा है। भारत में विभिन्न प्रकार के त्यौहार भी मनाये जाते हैं। जैसे हिंदू लोग दिवाली, मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि, होली, राम नवमी, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, नवरात्रि इत्यादि त्यौहार मनाते हैं। मुस्लिम लोग ईद उल फितर, ईद उल जुहा, मुहर्रम, इत्यादि मनाते हैं। सिख धर्म के लोग बैसाखी, गुरु अर्जुन देव शहीद दिवस, गुरु ग्रंथ साहिब, बंदी छोड़ दिवस, गुरु नानक, गुरु पर्व, गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस इत्यादि त्यौहार मनाते हैं।

इस तरह जैन, बौद्ध, इसाई एवं अन्य धर्म के लोग अपना-अपना त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं। कितने सारी भाषायें और विभिन्न प्रकार के लोग भारत में रहते हैं फिर भी उनके अंदर एकता कायम रहती है। भारत में जनतंत्र शासन की स्थापना के लिए हमारे पूर्वजों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी। हम सभी एक ही स्वर में भारत माता की जय बोलते हैं। हम हमारे भारत देश के लिए गर्व का अनुभव करते हैं।

कुछ विशेष त्यौहार ऐसे होते हैं जिसे प्रत्येक जाति और धर्म के लोग मिलकर बड़ी धूमधाम से और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाते हैं। जैसे कोलकाता में दुर्गा-पूजा, उड़ीसा की पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी इत्यादि सभी वर्ग के लोगों द्वारा मनाया जाता है। यह विविधता में एकता की एक अनुपम छवि है।

भारत में जनतंत्र शासन कैसा होगा उसका वर्णन संविधान के प्रावधानों में किया गया है। शासन के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति होते हैं। उनके नीचे दो सदन रहता है। एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। राज्यसभा के लिए सदस्य परोक्ष रूप से चुने हुए आते हैं। वह राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं लेकिन लोकसभा के लिए सदस्य प्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। कुल 543 सीटों के लिए चुनाव संपन्न होती है। समग्र भारत के लोग चुनाव के इस पर्व में भाग लेते हैं और अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देते हैं। वोट के बाद वोटों की गिनती होती है और जिस उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिलता है उसको विजेता घोषित किया जाता है और आगे चलकर वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होता है। यही है, विविधता के अंदर की एकता। विभिन्न भाषा, विभिन्न धर्मों इत्यादि के लोग वोट देते हैं और केवल एक ही उम्मीदवार विजयी होता है।

इस तरह हरेक राज्य से राज्यसभा सदस्य चुनकर आते हैं और वह राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। इसी तरह राज्यों में भी विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। राज्य की विधानसभा के लिए लोग पुनः प्रत्यक्ष रूप से मतदान करते हैं। ऐसे ही राज्य के विभिन्न प्रांगण में से विभिन्न भाषाओं तथा विभिन्न चिंता धारा के लोग मतदान करके एक उम्मीदवार

को जिताते हैं जो विधानसभा का सदस्य बनता है। यहाँ यह साबित हो गया कि, शासन दो स्तर पर होती है। एक केंद्रीय स्तर में जिसको केंद्र सरकार कहते हैं और एक राज्य स्तर में जिसको राज्य सरकार कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र शासित प्रदेशों में जहाँ विधानसभा है, वहाँ चुनाव द्वारा सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जीतकर आते हैं और तथापि वहाँ पर केंद्र सरकार ही शासन के अधिकार में रहता है। लेकिन जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है वहाँ केंद्र सरकार संपूर्ण शासन करती है। अतः यह देख पाते हैं कि भारत में शासन चार तरह से होती है जैसे कि एक केंद्र में है, एक राज्य में है, एक केंद्र शासित प्रदेश में है जहाँ विधानसभा है, और एक केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ विधानसभा नहीं है। यह चारों सरकार भारत के संविधान के अनुसार शासन करती है।

लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हुआ है। इस चुनाव में देखा गया कि जितने भी राजनीतिक पार्टियाँ है वह लोग गठबंधन करके दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक है नेशनल डेमोक्रेटिक एलाइंस जो लगभग 25 राजनीतिक दलों को लेकर गठित है और उसमें मुख्य पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। वहीं दूसरा गठबंधन है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंकलूसिव एलाइंस। यह गठबंधन लगभग 42 राजनीतिक पार्टियों को लेकर गठित है जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य पार्टी है। अर्थात् दो बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ अपने-अपने गठबंधन की अगुवाई करते हुए चुनावी मैदान में उतरी थी। गठबंधन में जो सहयोगी पार्टियाँ है, उनका विभिन्न राज्यों में सरकार हो या न हो, लेकिन उनके विचारधारा अलग-अलग हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए वे लोग एक साथ होकर दो बड़ी पार्टियाँ तैयार की, जिससे कि चुनाव में लोगों के पास दो विकल्प हों। ऐसे होने से कोई एक पार्टी बहुमत प्राप्त कर सकेगी और अपनी सरकार बना पाएगी। उसमें जो छोटे-छोटे दल हैं वह सरकार में भागीदार बनेंगे और भारत की शासन में उनका योगदान रहेगा। यहाँ ये देखना दिलचस्प होगा कि जो-जो राजनीतिक दल राज्यों में परस्पर मुकाबला करते थे वह केंद्र स्तर में एक वृहत्तर उद्देश्य लेकर एक साथ आए हैं, वह किस प्रकार से तालमेल बिठा पाते हैं।

राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा सभी में सदस्य भिन्न-भिन्न पार्टियों की तरफ से चुनकर आते हैं। बहुमत

रखने वाली पार्टी सरकार बनाती है और बाकी सदस्य विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। जब कोई ऐसा बिल या विधेयक सदन में रखा जाता है जिसका महत्व जातीय स्तर पर महत्वपूर्ण हो, उसको सर्वसम्मति के साथ पास किया जाता है। यहाँ सभी दलों के लोग एक साथ भारत की जातीयता और अखंडता की सुरक्षा को सर्वोपरि रखकर अपने-अपने आपसी मतभेद भूलकर बिल को पारित कराने में अपना समर्थन देते हैं। यही है विभिन्नता में एकता। जब-जब भारत पर किसी बाहरी शक्ति जैसे पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश ने आक्रमण किया तब-तब भारतवासियों ने अपने-अपने जाति, धर्म, वर्ण, विश्वास और भाषा इत्यादि की दीवार को हटाकर एकजुट होकर बाहरी शक्ति के साथ लड़ाई करके जीत हासिल की। यही है, भारत के जनतंत्र में निहित विविधता के अंदर एकता की अवधारणा।

जनतंत्र में विविधता में एकता देश को शक्तिशाली और समृद्ध बनाने के लिए बेहतर वातावरण प्रदान करती है। यह राष्ट्रीय एकीकरण और विकास में मदद करता है।



श्री करूणाकर साहू
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

भारत में एक राष्ट्र, एक चुनाव की संभावनाएँ, इसके फायदे और नुकसान एवं चुनौतियाँ

प्रस्तावना: एक राष्ट्र, एक चुनाव (वन नेशन, वन इलेक्शन) का तात्पर्य लोकसभा एवं राजसभा का चुनाव एक साथ कराये जाने से है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। वर्तमान में देश में कुल 28 राज्य हैं, और करीब 2-5 राज्यों की विधानसभाओं में हर 6 महीने में चुनाव कराये जाते हैं।

फलस्वरूप, भारत सरकार लंबे समय से कई चुनाव कराने की चुनौतियों से जूझ रहा है। "एक राष्ट्र, एक चुनाव" की अवधारणा चुनाव की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और लोकतांत्रिक शासन को बढ़ाने के लिए एक संभावित समाधान के रूप में उभरी है।

संभावनाएं: एक राष्ट्र, एक चुनाव की अवधारणा नई नहीं है। प्रारम्भ में देश की आज़ादी के बाद सन 1952, 1957, 1962 और 1967 में कुछ वर्षों तक लोकसभा एवं राज्यसभा के चुनाव एक साथ ही कराये गये थे।

दुनिया के देशों में एक साथ चुनाव:

ब्राजील (26 राज्य), कोलंबिया और फिलीपींस (राष्ट्रपति शासन प्रणाली) में राष्ट्रपति पद के लिए और विधायी स्तर पर चुनाव एक साथ कराये जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका और स्वीडेन में भी आम चुनाव और प्रांतीय दोनों चुनाव एक साथ ही कराये जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में आम चुनाव और प्रांतीय चुनाव एक साथ पांच साल के लिए होते हैं और नगर निगम चुनाव, आम चुनाव और प्रांतीय चुनाव के दो साल बाद कराये जाते हैं।

स्वीडेन में राष्ट्रीय विधायिका और प्रांतीय विधायिका/काउंटी परिषद और स्थानीय निकायों/म्युनिसिपल असेंबली के चुनाव चार साल के लिए एक निश्चित तिथि यानी सितंबर के दूसरे रविवार को होते हैं।

एक राष्ट्र, एक चुनाव के फायदे:

क) लागत में कमी: एक से अधिक चुनाव कराने में काफी वित्तीय संसाधनों की खपत होती है। एक राष्ट्र, एक चुनाव को

लागू करने से लागत में काफी बचत होगी क्योंकि विभिन्न स्तरों (राष्ट्रीय, राज्य) पर चुनाव एक साथ होंगे।

ख) समय दक्षता/कुशलता: बार-बार चुनाव होने से सरकारी कामकाज बाधित होता है और महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों से ध्यान भटक जाता है। "एक राष्ट्र, एक चुनाव" की व्यवस्था चुनावों की आवृत्ति को कम करेगा, जिससे निर्वाचित प्रतिनिधि शासन और दीर्घकालिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। एक अन्य अवसर पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति, श्री प्रणब मुखर्जी ने भी टिप्पणी की थी कि "वर्ष भर किसी न किसी निर्वाचन के साथ ही आचार संहिता के कारण सरकार के सामान्य कार्यकलाप रुक जाते हैं"।

ग) बेहतर मतदान प्रतिशत: बार बार चुनाव होने से मतदाताओं में थकान और भागीदारी में कमी आ सकती है। "एक राष्ट्र, एक चुनाव" से मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है, क्योंकि जब एक साथ कई चुनाव होंगे तो नागरिक वोट डालने के लिए अधिक प्रेरित होंगे।

घ) शासन की निरंतरता में वृद्धि: बार-बार चुनाव अक्सर नीतिगत अस्थिरता और गतिरोध का कारण बनते हैं। "एक राष्ट्र, एक चुनाव" के साथ, सरकारों के पास सत्ता में लंबी अवधि होगी, जिससे उनकी नीतियों और सुधारों को लागू करने में निरंतरता या मदद मिलेगी।

ड.) सुव्यवस्थित प्रशासन: एक से अधिक चुनाव आयोजित करने के लिए व्यापक प्रशासनिक मशीनरी की आवश्यकता होती है। "एक राष्ट्र, एक चुनाव" लॉजिस्टिक्स को सरल बनाएगा और प्रशासनिक संसाधनों पर बोझ को कम करेगा, जिससे अधिक कुशल शासन संभव हो सकेगा।

एक राष्ट्र, एक चुनाव के नुकसान:

1) संवैधानिक संशोधन: एक राष्ट्र, एक चुनाव को लागू करने के लिए भारत के संविधान में महत्वपूर्ण बदलावों की आवश्यकता होगी, जो एक बोझिल और समय लेने वाली प्रक्रिया हो सकती है। इससे कानूनी चुनौतियाँ और

प्रक्रिया हो सकती है। इससे कानूनी चुनौतियाँ और राजनीतिक विवाद पैदा हो सकते हैं।

2) कार्यान्वयन में चुनौतियाँ: देश भर में चुनावों का समन्वय करना एक जटिल कार्य होगा, जिसमें सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स और मतदाता शिक्षा जैसे मुद्दे शामिल होंगे। इतने विशाल और विविधतापूर्ण राष्ट्र में एकरूपता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है।

3) क्षेत्रीय स्वायत्तता का नुकसान: आलोचकों का तर्क है कि “एक राष्ट्र, एक चुनाव” राज्य सरकारों की स्वायत्तता को कमजोर कर सकता है, क्योंकि समकालिक चुनावों के दौरान उन पर राष्ट्रीय मुद्दों का प्रभाव पड़ जाएगा। इससे भारत का संघीय ढांचा संभावित रूप से कमजोर हो सकता है।

4) सीमित जवाबदेही: “एक राष्ट्र, एक चुनाव” से लंबे चुनाव चक्र से जवाबदेही कम हो सकती है, क्योंकि निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने कार्यकाल के दौरान अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव कम महसूस हो सकता है।

5) बड़े पैमाने पर रकम (फंड) की आवश्यकता: एक राष्ट्र, एक चुनाव अभियान के लिए फंडिंग में वृद्धि की आवश्यकता हो सकती है, जिससे यह छोटे लोगों के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। यह राजनीतिक विविधता को सीमित कर सकता है और बड़ी अच्छी तरह से वित्त पोषित पार्टियों का पक्ष ले सकता है।

“एक राष्ट्र, एक चुनाव” की बाधाएँ:

1) विधानसभाओं और लोकसभा की शर्तों को पहली बार सिंक्रनाइज (समकालिक) किया जाना।

2) अगर चुनाव एक साथ होते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा जब सत्तारूढ़ दल या गठबंधन कार्यकाल के बीच लोकसभा या राज्य विधानसभाओं में बहुमत खो देता है।

3) लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल तय करना।

4) चुनाव आयोग के लिए इतने बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक्स, सिविलियरिटी और मानवीय संसाधन उपलब्ध कराना भी व्यावहारिक रूप से एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा।

5) संविधान के अनुच्छेद 83 (लोकसभा और राज्यसभा के कार्यकाल), 85 (संसद के सत्रों, सत्रावसान और विघटन के

प्रावधान), 172 (राज्य विधानमंडलों की अवधि), 174 (राज्य विधानमंडल के सत्रों, सत्रावसान और विघटन के प्रावधान) और 356 के प्रावधानों में संशोधन के बिना लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ नहीं कराए जा सकते हैं। एक साथ चुनाव कराने के लिए संघ और राज्य विधानसभाओं के लिए निश्चित कार्यकाल का होना अति आवश्यक है।

समितियों का गठन और उनके रिपोर्ट

2 सितंबर, 2023 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में एक साथ चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। यह समिति ने मार्च 2024 में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी। कुल 18,626 पृष्ठों वाली यह रिपोर्ट हितधारकों तथा विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श और 191 दिनों के शोध कार्य का परिणाम है।

इस रिपोर्ट के अनुसार 47 राजनैतिक दलों ने अपने विचार और सुझाव दिये, जिनमें से 32 ने देश में एक साथ चुनाव कराये जाने का समर्थन किया।

निष्कर्ष: बार-बार होने वाला निर्वाचन न केवल मानव संसाधनों पर भारी बोझ डालता है बल्कि आदर्श आचार संहिता के लागू होने के कारण विकास प्रक्रिया को भी बाधित करता है। इसलिए, लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के साथ-साथ होने वाले निर्वाचन के विषय पर निरंतर चर्चा किए जाने की आवश्यकता है और इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों को एकमत होने की आवश्यकता है।

एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा भारत की जटिल चुनावी प्रणाली को सुव्यवस्थित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। इसके कार्यान्वयन के लिए संवैधानिक संशोधनों पर सावधानीपूर्वक विचार करने, क्षेत्रीय स्वायत्तता की रक्षा करने और तार्किक चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता होगी।



श्री अजय चौधरी
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

अनुभवों की गंगा और ज्ञान की डुबकी

आजकल बेरोजगारी का मुद्दा काफी चर्चा में है और इसी के मद्देनजर अपनी फर्श से अर्श तक की यात्रा का वृत्तांत मैंने यहाँ समेटने का प्रयास किया है। इस यात्रा का प्रथम पड़ाव मेरे स्नातक परीक्षा से शुरू हुई। कब स्नातक की पढ़ाई पूरी की और कब नौकरी की इस यात्रा में पदार्पण किया, पता ही नहीं चला। न जाने कितने ख्वाहिशें थी, कब घर की चहारदीवारी से बाहर निकलने का मौका मिलेगा और देखते-देखते इसी जिद्दोजहद में सरकारी नौकरी हासिल करने की यात्रा शुरू हो गई। हालांकि, शुरुआत तो काफी अच्छी थी। मन नए-नए सपने संजोने लगा। इस आस में कि नौकरी के बाद अपने सपनों को पूरा करूँगी, मुझे समाज में एक सम्मानित महिला के रूप में स्थान मिलेगा। लोग मुझे भी अपना आदर्श मानेंगे कि कैसे कोई अगर कुछ हासिल करने की ठान ले तो वो भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। कल्पनाओं की इस दुनिया से मैं कभी बाहर तो नहीं आना चाहती थी लेकिन यथार्थ इसके विपरीत था। पहली बार जब सरकारी नौकरी की परीक्षा देने गयी तो भीड़ देखते ही ऐसा लगा कि मानो किसी बड़े फ़िल्मी सितारे का काफ़िला वहाँ से गुजरने को हो, और लोगों की भीड़ उसकी एक झलक पाने को वहाँ उमड़ी हो।

उस भीड़ को देखकर अनायास ही दिल सहम-सा गया तथा मन में कई विचार उठने लगे कि मेरे परीक्षा में उत्तीर्ण होने की संभावना तो शून्य के बराबर है। भला इन धुरंधरों के सामने मैं क्या कर पाऊँगी? लेकिन भविष्य की कल्पना ने हिम्मत दी कि, 'प्रयास करो, किसी को तो सफलता मिलेगी ही तो तुम्हें क्यों नहीं'? यहीं से एक अनंत यात्रा की शुरुआत हुई। परीक्षा से जब बाहर निकली तो बाकी अभ्यर्थियों की बातों को सुनकर लगा कि मेरा चयन शायद नहीं होगा। इनके ज्ञान एवं अनुभव के सामने मेरा ज्ञान तो सूरज के सामने दीया दिखाने के बराबर था।

खैर, किसी तरह से मैं परीक्षा देकर घर वापस आयी। घरवालों ने कई सवाल किए लेकिन, मौनम् स्वीकृति: लक्षणम् ने उनके सारे सवालों के जवाब दे दिए। वे मेरे चेहरे को पढ़कर समझ गए और वे मन ही मन इसी सोच में रहे कि

नहीं गई होगी। समय के साथ सब यथावत हो गया। एक छोटे से गाँव में रहकर कई सारे बंदिशों के बावजूद ऐसे ख्वाब बुनना तथा उसे पूरा करने की कोशिश करना किसी महिला के लिए एक काल्पनिक ख्वाब की तरह ही था।

मन यह कह रहा था भले आज के समय में मेरा चयन संभव नहीं हो, लेकिन अपनी इच्छाओं की नाव को बीच मंझधार में फंसने नहीं दूँगी। दुबारा नए जोश के साथ मैंने इस कठिन कार्य को पूरा करने का प्रण किया।

इन सबके बीच मेरी शादी का दबाव भी दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। सामाजिक तथा आर्थिक कारणों से किसी अन्यत्र शहर में जाकर तैयारी करना संभव नहीं था। सहारा केवल किताबों तथा सूचना तकनीक का था। संघर्ष के इस पड़ाव में कई क्षण ऐसे आये जब लगा कि अपनी इच्छाओं के आगे आत्मसमर्पण कर दिया जाए पर फिर भी अन्तर्मन इसे किसी भी स्थिति में मानने को तैयार नहीं था।

संघर्ष जारी रहा और एक ही लक्ष्य था कि असफलता के इस दौर से सफलता की ओर कैसे बढ़ा जाए। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की पंक्ति 'एकला चलो रे' वाली बात चरितार्थ हो रही थी। समय अपने रफ़्तार से बीतता चला गया तथा मुझे नित्य नये अनुभवों का ज्ञान देता चला गया। जीवन के इस पड़ाव ने कई यक्षप्रश्नों के उत्तर अनायास ही दे दिए।

आखिरकार, मेहनत रंग लायी और मैं कुछ परीक्षाओं के शुरुआती चरणों में उत्तीर्ण भी हुई। पर साथ ही, अंतिम चयन की सूची में नाम शामिल होने का प्रयास भी जारी था। यह दौर तनावपूर्ण भी रहा। अपने सारे पीछे छूट गए, जिनके साथ कभी सारा दिन बीतता था, पर आज उनसे दूर हो गई।

मन में कभी-कभी ऐसा लगता था कि सफल हो भी गयी तो ऐसी सफलता का क्या करूँगी जिसमें अपने ही अलग हो गए। खैर, ये जीवन है, जो संघर्ष करेगा वही तो आगे बढ़ेगा। यात्रा के इस क्रम में कई पड़ाव आए, कई खट्टे-मीठे अनुभव भी मिले। कभी-कभी सफलता हाथों में आकर दूर हो जाया करती थी, तो उससे निराशा भी यक़ीनन काफी होती थी। अंततः सफलता हासिल हुई।

सफलता की चर्चा सुनते ही रिश्तेदार बरसाती मेंढक की तरह पनपने लगे। लेकिन इस सफलता ने जिंदगी का घरौंदा मुझसे छीन लिया। इसकी मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ी। मूर्त शरीर मानो फिर से अमूर्त हो गया। घरवालों से न चाहते हुए भी भारी मन से मैंने अश्रुपूर्ण विदाई ली। सर्वस्व

का त्याग कर, 'दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम' वाली स्थिति हो गयी थी। शहर की चकाचौंध तथा भाग-दौड़ वाली जिन्दगी ने बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ सिखाना बाकी है। मेरी जीवन की यह यात्रा अभी भी अनवरत जारी है।

हिंदी आम आदमी की भाषा के रूप में देश की एकता का सूत्र है। सभी भारतीय भाषाओं की बड़ी बहन होने के नाते हिंदी विभिन्न भाषाओं के उपयोगी और प्रचलित शब्दों को अपने में समाहित करके सही मायनों में भारत की संपर्क भाषा होने की भूमिका निभा रही है। हिंदी जन-आंदोलनों की भी भाषा रही है। हिंदी के महत्त्व को गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर ने बड़े सुंदर रूप में प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था, 'भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिंदी महानदी'। हिंदी के इसी महत्त्व को देखते हुए तकनीकी कंपनियां इस भाषा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं। यह खुशी की बात है कि सूचना प्रौद्योगिकी में हिन्दी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। आज वैश्वीकरण के दौर में, हिंदी विश्व स्तर पर एक प्रभावशाली भाषा बनकर उभरी है। आज पूरी दुनिया में 175 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिन्दी भाषा पढ़ाई जा रही है। ज्ञान-विज्ञान की पुस्तकें बड़े पैमाने पर हिंदी में लिखी जा रही हैं। सोशल मीडिया और संचार माध्यमों में हिंदी का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है।

भाषा का विकास उसके साहित्य पर निर्भर करता है। आज के तकनीकी के युग में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी हिंदी में काम को बढ़ावा देना चाहिए ताकि देश की प्रगति में ग्रामीण जनसंख्या सहित सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसके लिए यह अनिवार्य है कि हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में तकनीकी ज्ञान से संबंधित साहित्य का सरल अनुवाद किया जाए। इसके लिए राजभाषा विभाग ने सरल हिंदी शब्दावली भी तैयार की है। राजभाषा विभाग द्वारा राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन योजना के द्वारा हिंदी में ज्ञान-विज्ञान की पुस्तकों के लेखन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे हमारे विद्यार्थियों को ज्ञान-विज्ञान संबंधी पुस्तकें हिंदी में उपलब्ध होंगी। हिन्दी भाषा के माध्यम से शिक्षित युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें, इस दिशा में निरंतर प्रयास भी जरूरी है।

भाषा वही जीवित रहती है जिसका प्रयोग जनता करती है। भारत में लोगों के बीच संवाद का सबसे बेहतर माध्यम हिन्दी है। इसलिए इसको एक-दूसरे में प्रचारित करना चाहिये। इस कारण हिन्दी दिवस के दिन उन सभी से निवेदन किया जाता है कि वे अपने बोलचाल की भाषा में भी हिंदी का ही उपयोग करें। हिंदी भाषा के प्रसार से पूरे देश में एकता की भावना और मजबूत होगी।



सुश्री प्रीति कुमारी
लेखापरीक्षक

प्रजातंत्र: एक सामाजिक एवं राजनीतिक आदर्श

प्रजातंत्र, जिसे लोकतंत्र भी कहा जाता है, एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता को सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होती है। इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जो सरकार चलाने का कार्य करते हैं।

यह प्रणाली समाज के प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता, और न्याय के सिद्धांतों के साथ जीवन जीने का अधिकार देती है।

प्रजातंत्र की विशेषताएँ

1. जनता की सहभागिता: प्रजातंत्र में जनता की सहभागिता महत्वपूर्ण होती है। यह भागीदारी चुनावों के माध्यम से होती है, जहां जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है।

2. स्वतंत्रता और अधिकार: प्रजातंत्र में नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, और समानता का अधिकार होता है। ये अधिकार उन्हें स्वतंत्र और न्यायसंगत जीवन जीने में सहायता प्रदान करता है।

3. समानता और न्याय: प्रजातंत्र में सभी नागरिकों को कानून के सामने समानता प्राप्त होती है। न्यायपालिका स्वतंत्र होती है और न्याय प्रदान करने में निष्पक्ष रहती है।

4. उत्तरदायित्व और पारदर्शिता: सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। पारदर्शिता सुनिश्चित करती है कि सरकारी कार्यों और निर्णयों की जानकारी जनता तक पहुंचे।

5. बहुमत का सम्मान और अल्पमत का संरक्षण: प्रजातंत्र में बहुमत का निर्णय मान्य होता है, लेकिन अल्पमत के विचारों और अधिकारों का भी सम्मान किया जाता है।

प्रजातंत्र के लाभ

1. स्वतंत्रता और अधिकारों का संरक्षण: प्रजातंत्र में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा होती है और उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त होती है।

2. सामाजिक न्याय: प्रजातंत्र में सभी नागरिकों को समान अवसर और न्याय प्राप्त होता है। यह भेदभाव रहित समाज के निर्माण में सहायक होता है।

3. जवाबदेह सरकार: प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, जिससे भ्रष्टाचार की

संभावना कम हो जाती है।

4. समाज की स्थिरता: प्रजातंत्र में समाज की स्थिरता बनाए रखने की क्षमता होती है, क्योंकि यह व्यवस्था सभी वर्गों और विचारधाराओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है।

प्रजातंत्र एक सामाजिक और राजनीतिक आदर्श है, जो स्वतंत्रता, समानता, और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। यह समाज को समृद्ध और स्थिर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालाँकि, इसे सही ढंग से लागू करने के लिए राजनीतिक जागरूकता, नागरिक जिम्मेदारी, और नैतिकता की आवश्यकता होती है। प्रजातंत्र का सही अर्थ तब ही सार्थक हो सकता है जब प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत हो और समाज की भलाई के लिए योगदान दे।

भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, जहाँ प्रजातंत्र की जड़ें गहरी और मजबूत हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ, जिससे भारत एक गणराज्य और संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राष्ट्र बन गया। भारतीय संविधान के तहत देश की शासन व्यवस्था को संसदीय प्रजातंत्र के रूप में स्थापित किया गया है, जहाँ नागरिकों को व्यापक अधिकार और स्वतंत्रताएँ दी गई हैं।

भारतीय प्रजातंत्र की विशेषताएँ

1. संवैधानिक ढांचा

भारत का संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। यह एक विस्तृत दस्तावेज़ है जिसमें देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों, और देश की शासन व्यवस्था के बारे में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। संविधान की प्रस्तावना में ही भारत को एक "संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य" के रूप में वर्णित किया गया है।

2. संसदीय प्रणाली

भारत में संसदीय प्रणाली का अनुसरण किया जाता है। यहाँ द्विसदनीय संसद होती है, जिसमें लोकसभा (निचला सदन) और राज्यसभा (ऊपरी सदन) शामिल हैं। लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं।

3. मौलिक अधिकार

भारतीय संविधान नागरिकों को कई मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जैसे कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ये अधिकार नागरिकों की सुरक्षा और स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं।

4. स्वतंत्र न्यायपालिका

भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, जिसका मुख्य कार्य संविधान की रक्षा करना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायिक समीक्षा के माध्यम से संविधान की व्याख्या की जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि सरकार संविधान का पालन करे।

5. मल्टी-पार्टी सिस्टम

भारत में बहुदलीय प्रणाली है, जिसमें विभिन्न विचारधाराओं और नीतियों वाले कई राजनीतिक दल हैं। यह प्रणाली चुनावों में विविधता और विकल्प प्रदान करती है, जिससे नागरिकों के पास अपनी पसंद के अनुसार प्रतिनिधि चुनने का विकल्प होता है।

6. राज्यों की स्वायत्तता

भारत एक संघीय संरचना वाला देश है, जहाँ केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। राज्यों को विशेष अधिकार और शक्तियाँ दी गई हैं, जिससे वे अपनी क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान कर सकें।

भारतीय प्रजातंत्र की चुनौतियाँ

1. भ्रष्टाचार और कदाचार

भारत में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है, जो प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता को प्रभावित करता है।

2. जातिगत और धार्मिक विभाजन

भारत में सामाजिक विभाजन, जैसे जातिगत और धार्मिक मुद्दे, प्रजातंत्र की शुद्धता और स्थायित्व को चुनौती देते हैं। यह विभाजन कभी-कभी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं।

3. शिक्षा और जागरूकता की कमी

कई नागरिकों में राजनीतिक शिक्षा और जागरूकता की

कमी है, जिससे वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से सजग नहीं होते।

4. अत्यधिक जनसंख्या और संसाधनों की कमी

भारत की बड़ी जनसंख्या और सीमित संसाधन भी प्रजातांत्रिक प्रणाली के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करते हैं, खासकर गरीबी, बेरोजगारी, और स्वास्थ्य सेवाओं की अपर्याप्तता के संदर्भ में।

निष्कर्ष

भारतीय प्रजातंत्र ने अपनी विविधता और चुनौतियों के बावजूद एक स्थायी और सशक्त लोकतांत्रिक प्रणाली का निर्माण किया है। यह प्रणाली भारत की विविधता को सम्मान देती है और नागरिकों को अपने भविष्य को आकार देने का अधिकार प्रदान करती है। हालांकि, चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि सरकार, समाज और नागरिक मिलकर प्रजातंत्र को और मजबूत और निष्पक्ष बनाने के लिए निरंतर प्रयास करें। प्रजातंत्र की सफलता का मूल मंत्र नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और जिम्मेदारी में निहित है।



श्री अमित कुमार साह
कनिष्ठ अनुवादक

राजभाषा हिंदी से संबंधित संवैधानिक

प्रावधान भारत के संविधान में राजभाषा से संबंधित भाग-17

अध्याय 1 - संघ की भाषा

अनुच्छेद 120. संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा

1. भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। परंतु, यथास्थिति, राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृ-भाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।
2. जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो "या अंग्रेजी में" शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो।

अनुच्छेद 210 : विधान-मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा

1. भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान-मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा।
परंतु, यथास्थिति, विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।
2. जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो "या अंग्रेजी में" शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो:
परंतु हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के विधान-मंडलों के संबंध में, यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले "पंद्रह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस वर्ष" शब्द रख दिए गए हों :
परंतु यह और कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम राज्यों के विधान-मंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले "पंद्रह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "चालीस वर्ष" शब्द रख दिए गए हों।

अनुच्छेद 343. संघ की राजभाषा -

1. संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।
2. खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था :

परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

3. इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि के पश्चात, विधि द्वारा
 - a. अंग्रेजी भाषा का, या
 - b. अंकों के देवनागरी रूप का, ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

अनुच्छेद 344. राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति –

1. राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा, एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी।
2. आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को-
 - a. संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग,
 - b. संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों,
 - c. अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा,
 - d. संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप,
 - e. संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय, के बारे में सिफारिश करे।
3. खंड (2) के अधीन अपनी सिफारिशें करने में, आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा।
4. एक समिति गठित की जाएगी जो तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे और दस राज्य सभा के सदस्य होंगे जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।
5. समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे।
6. अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति खंड (5) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश दे सकेगा।

अध्याय 2 - प्रादेशिक भाषाएं

अनुच्छेद 345. राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं-

अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं

शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा:

परंतु जब तक राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा, अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

अनुच्छेद 346. एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा-

संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी :

परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा।

अनुच्छेद 347. किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध-

यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए, जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए।

अध्याय 3 - उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा

अनुच्छेद 348. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा-

1. इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक –
 - a. उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी,
 - b.
 - i. संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुरः स्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संसाधनों के,
 - ii. संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के, और
 - iii. इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के, प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे।
2. खंड (1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस

उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा:

परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगी।

3. खंड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी राज्य के विधान-मंडल ने, उस विधान-मंडल में पुरःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा (iv) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

अनुच्छेद 349. भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया-

इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि के दौरान, अनुच्छेद 348 के खंड (1) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुरःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुरःस्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर और उस अनुच्छेद के खंड (4) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् ही देगा, अन्यथा नहीं।

अध्याय 4 - विशेष निदेश

अनुच्छेद 350. व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा -

प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 350 क. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं-

प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।

अनुच्छेद 350 ख. भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए विशेष अधिकारी -

1. भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।
2. विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा।

अनुच्छेद 351. हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश –

संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

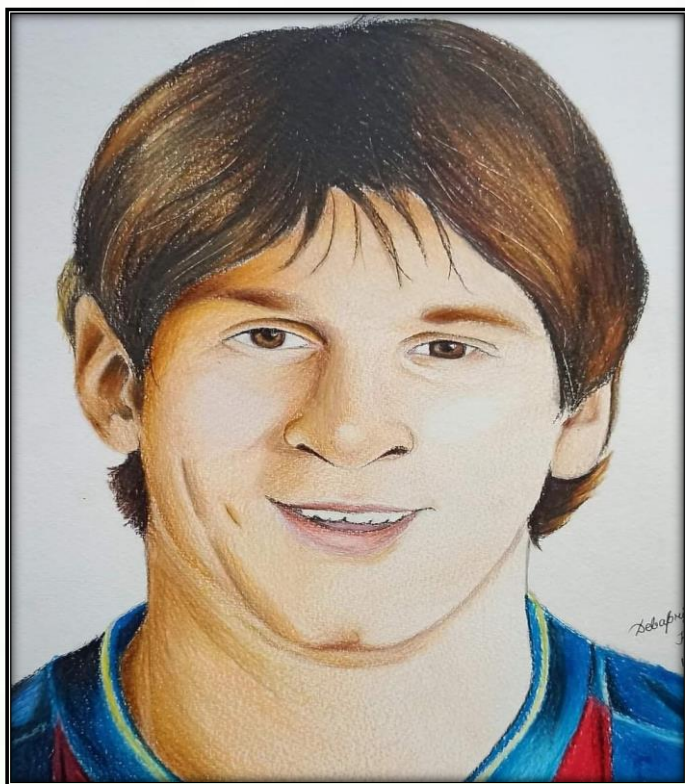
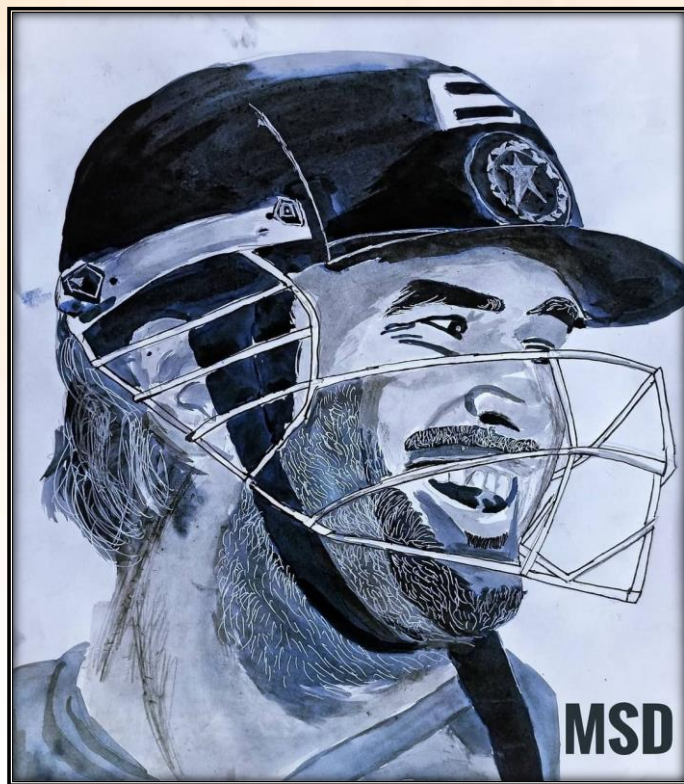
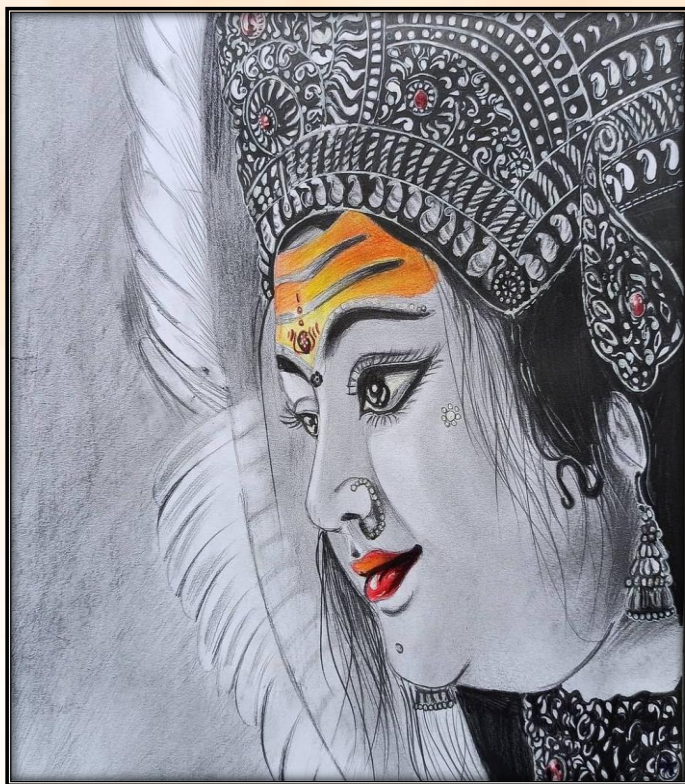
स्रोत - <https://rajbhasha.gov.in/>

1. दुनिया भर में कुल 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। जिनमें से अकेले 45 विश्वविद्यालय अमेरिका से हैं।
2. हिंदी भाषा में 'a', 'an' और 'the' जैसे लेखों की कोई आवश्यकता नहीं है।
3. अगर आप हिंदी जानते हैं तो आप नेपाली भाषा को आसानी से पढ़ सकते हैं।
4. 'योग', 'कर्म', 'खाकी', 'पायजामा' और 'मंत्र' जैसे शब्द हिंदी से लिए गए हैं।



श्री राजा साव
वरिष्ठ अनुवादक

श्री सुप्रिय खां, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के सुपुत्र,
श्री देवप्रिय खां द्वारा बनाई गई चित्रकारी



ऑडिट रन 2023



आई.ए. एंड ए.डी. पूर्वी क्षेत्र फुटबॉल प्रतियोगिता 2024 की झलकियाँ



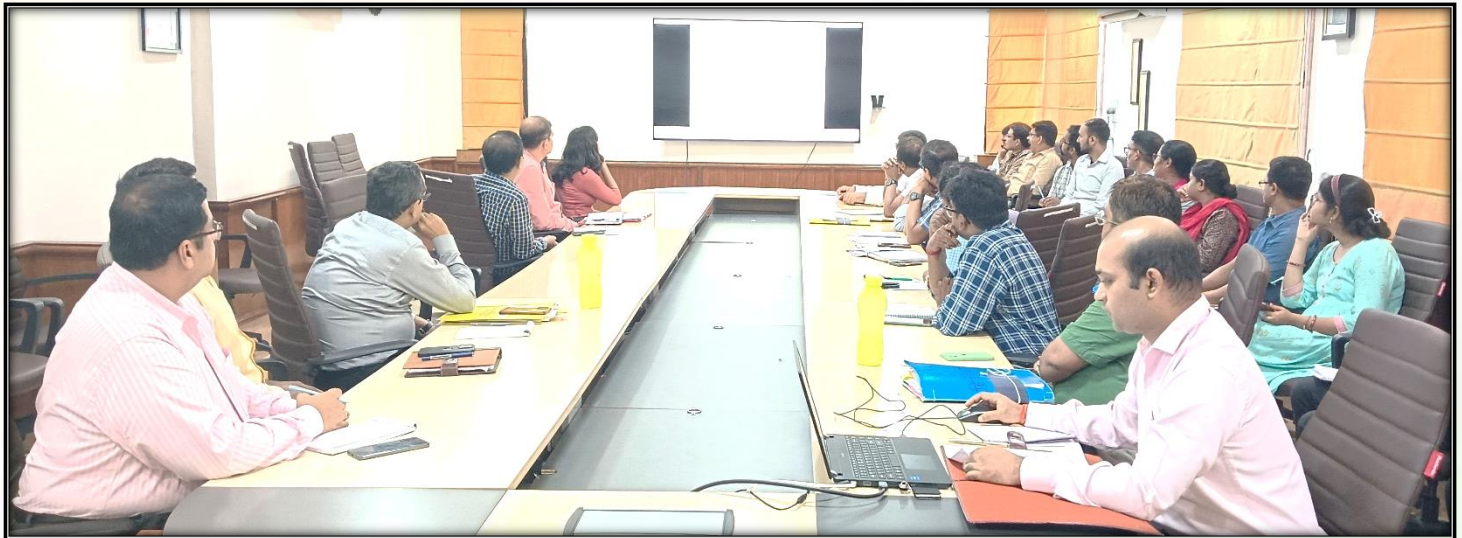
आई.ए. एंड ए.डी. पूर्वी क्षेत्र फुटबॉल प्रतियोगिता 2024 की झलकियाँ



कार्यालय में आयोजित टेबल टेनिस प्रतियोगिता



राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की झलकियाँ



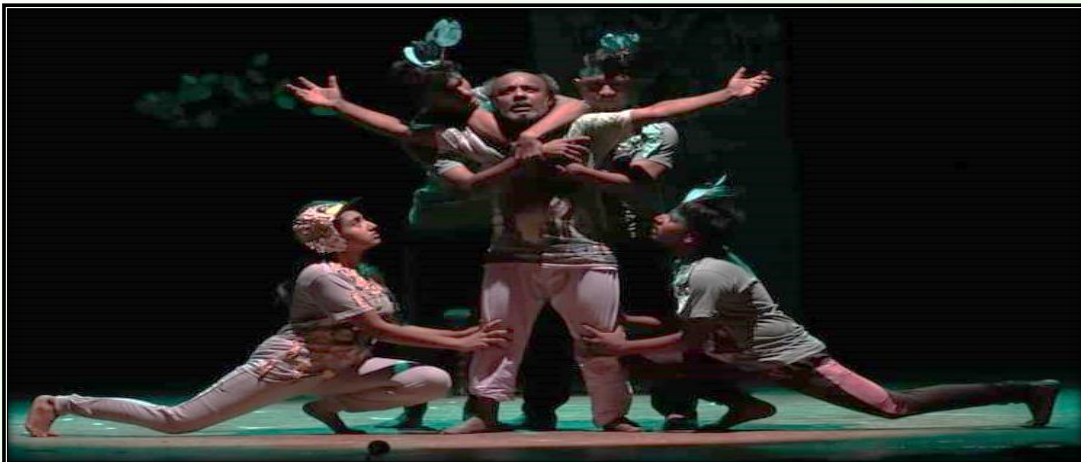
हिंदी अनुभाग द्वारा हिन्दी कार्यशाला का आयोजन



लेखापरीक्षा समिति बैठक



कार्यालय में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकियाँ



कार्यालय में आयोजित योग दिवस में भाग लेते पदाधिकारीगण



हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2024-25 का वार्षिक कार्यक्रम

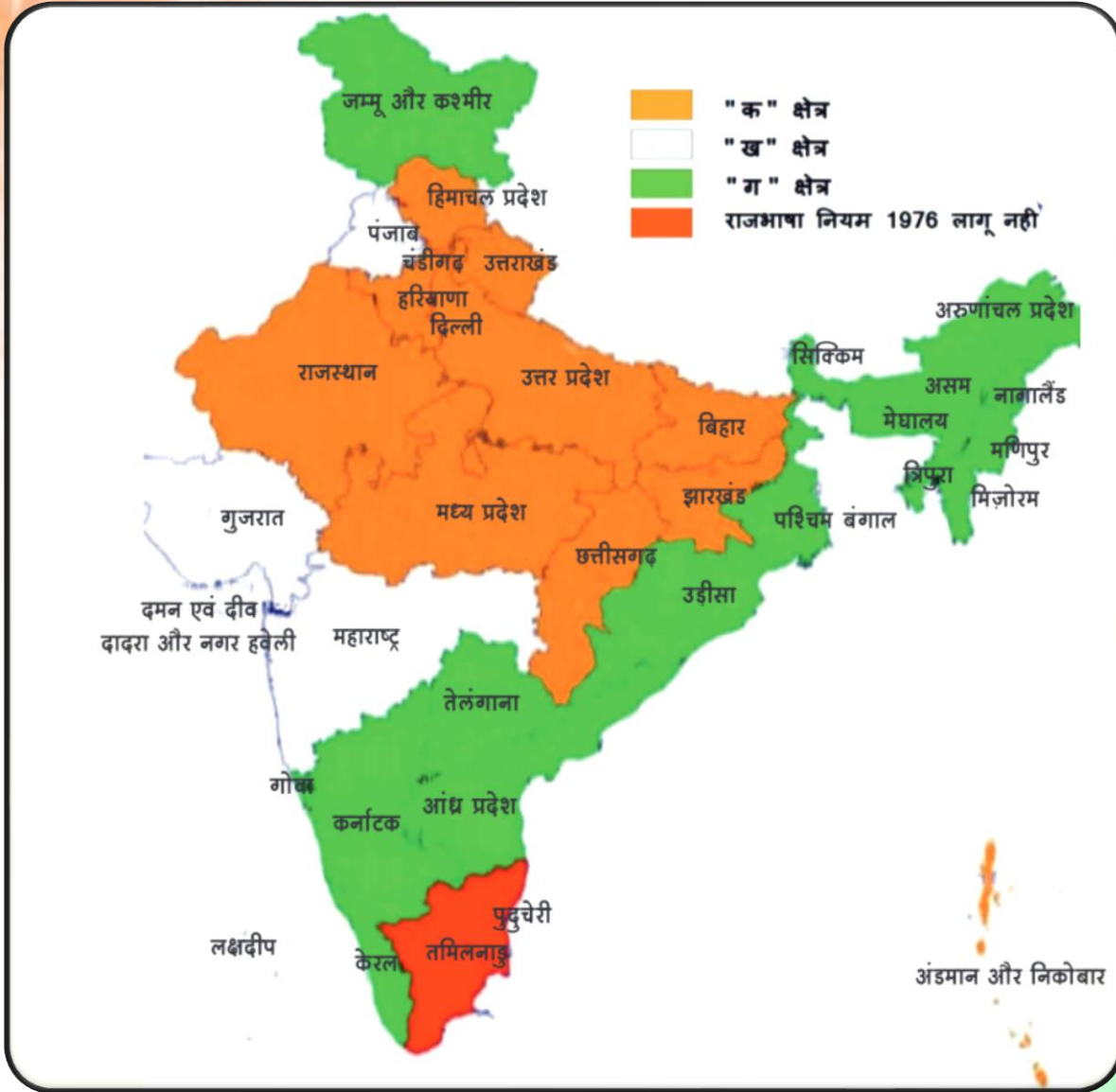
क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1	हिंदी में मूल पत्राचार(ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 100% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	1. ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2. ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3. ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 90% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	1. ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2. ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3. ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 55% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति
2	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3	हिंदी में टिप्पण	75%	50%	30%
4	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	60%	30%
5	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
6	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
7	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
9	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पेनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10	हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जिनमें कंप्यूटर भी शामिल है, की खरीद	100%	100%	100%

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2024-25 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
11	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
12	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में प्रदर्शित किए जाएं।	100%	100%	100%
13	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण	वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण		
14	राजभाषा संबंधी बैठकें (क) हिंदी सलाहकार समिति (ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 2 बैठकें वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक) वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)		
15	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	100%	100%
16	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हों।	40%	30%	20%
	(न्यूनतम अनुभाग) सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, "क" क्षेत्र में कुल कार्य का 40%, "ख" क्षेत्र में 25% और "ग" क्षेत्र में 15% कार्य हिंदी में किया जाए।			

राजभाषा नियम, 1976

हिंदी के अनुमानित ज्ञान के आधार पर देश के राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को तीन क्षेत्रों, यथा क, ख, ग में परिभाषित किया गया है।



भाषा क्षेत्र	राज्य/संघ राज्य
'क'	बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य हैं।
'ख'	गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र
'ग'	उपरोक्त निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र

स्रोत : rajbhasha.gov.in



कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा II)
पश्चिम बंगाल, कोलकाता – 700064